



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082021-228670
CG-DL-E-02082021-228670

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943

No. 214]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 2021/SRAVANA 9, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2021

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडीडी – एसएसआर - 03/2021

विषय: चीन जन. गण., इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित किए गए “विस्कोस स्टेपल फाइबर” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 7/03/2021 – डी जी टी आर.— क. मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 19 मार्च, 2009 को चीन जन. गण. और इण्डोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये “विस्कोस स्टेपल फाइबर” (जिसे आगे “वी एस एफ” अथवा “पी यू सी” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “संबद्ध वस्तु” कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की और जांच

किये जाने के बाद दिनांक 17 मई, 2010 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/6/2009 – डी जी ए डी के माध्यम से निश्चयात्मक शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की और दिनांक 26 जुलाई, 2010 को अधिसूचना सं. 76/2010 – सीमा शुल्क के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. एक निर्णायक समीक्षा (एस एस आर) जांच की शुरुआत दिनांक 22 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. 15/9/2015 – डी जी ए डी के माध्यम से की गई थी। पाटनरोधी शुल्कों के विस्तार की सिफारिश दिनांक 8 जुलाई, 2016 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/9/2015 – डी जी ए डी के माध्यम से की गई थी और उसे दिनांक 8 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 43/2016 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था।
3. नियम 23 (1ख) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क (5) में अन्य बातों के साथ साथ प्रावधान है कि पाटनरोधी शुल्क, यदि पूर्व में निरस्त नहीं किया गया हो, का इस प्रकार के शुल्क लगाये जाने की तिथि से 5 वर्षों के समाप्त होने पर प्रभाव नहीं रहेंगे और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप संभवतः पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
4. भारत के मानव निर्मित फाइबर उद्योग संघ (जिसे आगे 'आवेदक संघ' अथवा 'ए एम एफ आई आई' कहा गया है) ने चीन जन. गण. और इण्डोनेशिया (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "बम्बू फाइबर, मॉडल फाइबर, नॉन वूवेन फाइबर, फ्लेम रिटार्डेंट फाइबर, इको फाइबर (इको विरो अथवा ई वी), स्पन डाइड फाइबर टेंसिल फाइबर (अथवा लियो सेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वी एस एफ)" (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' कहा गया है) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने के लिए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी का गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. ने आंकड़े उपलब्ध कराये हैं और शुल्कों के विस्तार का अनुरोध किया है।
5. घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर और अपने आपको संतुष्ट करने के बाद, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत और इस नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित धारा 9क (5) के अनुसार प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को लगातार लगाये रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए तथा इस तथ्य की जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, के लिए दिनांक 22 फरवरी, 2021 की अधिसूचना फा. सं. 7/03/2021 – डी जी टी आर (एसएसआर – एडी – 03/2021) के माध्यम से निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।
6. संबद्ध वस्तुओं पर मौजूदा शुल्क 7 अगस्त, 2021 को समाप्त होना निश्चित था। दिनांक 30 जून, 2021 की अधिसूचना सं. 39/2021 के माध्यम से केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर, 2021 तक पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया।
7. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं (जैसा कि दिनांक 22 फरवरी, 2021 की जांच शुरुआत अधिसूचना फा. सं. 7/03/2021 – डी जी टी आर (एसएसआर – एडी – 03/2021) में परिभाषित किया गया है, के आयातों के संबंध में पूर्व में किये गये जांचों के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

8. इस जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :
 - i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने की कार्यवाही शुरू करने के पूर्व वर्तमान आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 22 फरवरी, 2021 को अधिसूचना जारी की।

- iii. प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 22 फरवरी, 2021 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित रूप में और तरीके से संगत सूचना उपलब्ध करायें और निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोधों से अवगत करायें।
- iv. प्राधिकारी ने ऊपर में उल्लिखित नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा दूतावास को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- v. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों से निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबंधित संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ भेजी गई थी।
- vi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार पर प्राधिकारी ने अपने उत्तर तथा अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए 20 मई, 2021 तक समय विस्तार दिया।
- vii. प्राधिकारी ने संगत सूचना प्राप्त करने के लिए इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजीं :
 - क. अलेर फलूदा, चीन जन. गण.
 - ख. अनहूई सोमेट फाइबर, चीन जन. गण.
 - ग. चाइना जियांगसू ओयांग टेक्नोलॉजी कार्पोरेशन लिमि., चीन जन. गण.
 - घ. ओयांग इंडस्ट्रीयल ग्रुप (मनासी), चीन जन. गण.
 - ङ. बिरला जिंगवेई, चीन जन. गण.
 - च. चेंगदू ग्रेस कार्पोरेशन लिमि., चीन जन. गण.
 - छ. जिउजियांग-हेंगशेंग, चीन जन. गण.
 - ज. हेबई जिगो केमिकल फाइबर कंपनी लिमि., चीन जन. गण.
 - झ. जिंग्सू सनफांगजियांग केमिकल फाइबर कंपनी लिमि., चीन जन. गण.
 - ञ. जिलिन केमिकल फाइबर, चीन जन. गण.
 - ट. चेकहेलॉन कंपनी लिमि., चीन जन. गण.
 - ठ. लेनझिंग नानजिंग फाइबर्स लिमि., चीन जन. गण.
 - ड. नानजिंग केमिकल फाइबर लिमि., चीन जन. गण.
 - ढ. यिबिन ग्रेस कंपनी लिमि., चीन जन. गण.
 - ण. स्टर् जिउजियांग फाइबर कंपनी लिमि., चीन जन. गण.
 - त. स्टरी (जिंगक्सी) केमिकल फाइबर कंपनी लिमि., चीन जन. गण.
 - थ. स्टरी जिउजियांग (हूकु), चीन जन. गण.
 - द. स्टरिया चाइना, चीन जन. गण.
 - ध. शानडॉंग बोक्सिंग यामइ टेक्नालॉजी, चीन जन. गण.
 - न. शानडॉन चेमिंग, चीन जन. गण.

- प. शानडॉंग सिल्वर हॉक केमिकल फाइबर, चीन जन. गण.
- फ. शुंक्यून केमिकल फाइबर, चीन जन. गण.
- ब. तांगशांग सनयू ग्रुप केमिकल फाइबर कंपनी लिमि., चीन जन. गण.
- भ. झिंगझिंग बेलू केमिकल फाइबर ग्रुप लिमि., चीन जन. गण.
- म. झिंजियांग फूलिदा फाइबर कंपनी लिमि., चीन जन. गण.
- य. झिंजियांग टिनतई, चीन जन. गण.
- कक. स्टेरी फाइबर कंपनी लिमि., चीन जन. गण.
- खख. झिंजियांग फूलिदा फाइबर कंपनी लिमि., चीन जन. गण.
- गग. पी. टी. साउथ पेसिफिक विसकोस (लेंजिंग), इण्डोनेशिया
- घघ. पी. टी. इंडो भारत रयॉन, इण्डोनेशिया
- डड. पीटी श्री रेजेकिल्समन (सरटेक्स), इण्डोनेशिया
- चच. एशिया पेसिफिक रयॉन, इण्डोनेशिया

viii. निम्नलिखित कंपनियों ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/ निर्यातकों के रूप में निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :

- क. स्टेरी (फूजियन) फाइबर कं. लिमि., चीन जन. गण.
- ख. बिरला जिंगवई फाइबर्स कंपनी लिमि., चीन जन. गण.
- ग. पीटी एशिया पेसिफिक रयॉन, इण्डोनेशिया
- घ. पीटी साउथ पेसिफिक विसकोस, इण्डोनेशिया
- ड. पीटी इंडो भारत रयॉन, इण्डोनेशिया
- च. एशिया फाइबर ट्रेडिंग प्रा. लिमि., सिंगापुर (ट्रेडर)

ix. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपभोक्ताओं/ प्रयोक्ता संघों को अधिसूचना की एक प्रति अग्रपित की और उन्हें सलाह दी कि वे नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत करायें :

- क. पल्लवा टेक्सटाइल्स लिमि., तमिलनाडु
- ख. चेरन स्पिनटेक्स इण्डिया प्रा. लिमि., तमिलनाडु
- ग. पल्लिपलायम स्पिनर्स, तमिलनाडु
- घ. पी के पी एन स्पनिंग मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
- ड. केशर मल्टीयार्न मिल लिमि., पश्चिम बंगाल
- च. साउण्डरजा मिल्स लिमि., तमिलनाडु
- छ. गिन्नी फिलामेंट्स लिमि., उत्तर प्रदेश
- ज. श्री चेरन एसवाईएन. इंडिया लिमि., तमिलनाडु
- झ. रिलायन्स चेमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमि., महाराष्ट्र

ज.	राजापलयम मिल्स लिमि., तमिलनाडु
ट.	आर एस डब्ल्यू एम लिमि., उत्तर प्रदेश
ठ.	अढानी इंटरप्राइजेज लिमि., गुडगांव
ड.	श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमि., राजस्थान
ढ.	दीपक स्पिनर्स लिमि., गुडगांव
ण.	राजगुरु स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
त.	चोला स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
थ.	चेंथ स्पिनर्स एल एल पी, गुजरात
द.	महाराजा सथयम इंड. प्रा. लिमि., तमिलनाडु
ध.	सुल्लेज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमि., नई दिल्ली
न.	ए जी टी मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
प.	मोथि स्पिनर लिमि., तमिलनाडु
फ.	ए पी एम इंडस्ट्रीज लिमि., राजस्थान
ब.	एस एम पी टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
भ.	केशर मुल्टीयार्न मिल लिमि., पश्चिम बंगाल
म.	सारमंगल सिंथेटिक्स, तमिलनाडु
य.	पी वी टेक्सटाइल्स लिमि., महाराष्ट्र
कक.	श्री कार्थिकिया स्पिनिंग एंड वेविंग मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
खख.	चोला स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
गग.	नेहर स्पिनिंग, पंजाब
घघ.	के आर वी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
डड.	वेलाटल स्पिन्ह मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
चच.	श्री दिनकर फेब्रिक्स, आंध्र प्रदेश
छछ.	जिमटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि., महाराष्ट्र
जज.	साउण्डराजा मिल्स लिमि., तेलंगाना
झझ.	सुर्यतला स्पिनिंग मिल्स लिमि., तेलंगाना
ञञ.	गिलनर्ड्स अरबूथनोट एंड कंपनी लिमि., पश्चिम बंगाल
टट.	श्री कर्पागम्बल मिल्स लिमि., तमिलनाडु
ठठ.	अरुण कुमार स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
डड.	श्री भारनी स्पिनिंग प्रा. लिमि., तमिलनाडु
ढढ.	सिद्धार्थ एक्सपोर्ट प्रा. लिमि., उत्तर प्रदेश

- णण. श्री चूलेवरार स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
- तत. श्री भागीरथ टेक्सटाइल्स मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
- थथ. विक्टरी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
- दद. श्री हरिप्रसाद टेक्सटाइल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
- धध. सराफ यार्न प्रा. लिमि., महाराष्ट्र
- नन. श्री नल्लाथल स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
- पप. सुपरटेक्स मिल्स इंडिया प्रा. लिमि., तमिलनाडु
- फफ. जी वी एस स्पिनर्स प्रा. लिमि., तमिलनाडु
- बब. एन आर यू स्पिनिंग मिल्स लिमि., तमिलनाडु
- भभ. वल्ली स्पिनिंग मिल्स लिमि., तमिलनाडु
- मम. अरकोट टेक्सटाइल मिल लिमि., तमिलनाडु
- यय. वर्धमान टेक्सटाइल लिमि., पंजाब
- ककक. बनसवारा सिंथेटेक्स लिमि., महाराष्ट्र
- खखख. सिंगम स्पिनर्स लिमि., राजस्थान
- गगग. चेनाव टेक्सटाइल मिल्स, नई दिल्ली
- घघघ. स्पेनटेक्स इंडस्ट्रीज लिमि., नई दिल्ली
- x. निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है और आयातक/ प्रयोक्ता के प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :
- क. लम्बोधरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड
- ख. पल्लवा टेक्सटाइल्स प्रा. लिमि.
- ग. एक्सेन टेक्स प्रा. लिमि.
- घ. श्री चेरन सिंथेटिक्स इंडिया प्रा. लिमि.
- ङ. जिमटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.
- च. आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड
- xi. प्राधिकारी ने निम्नलिखित संघों को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के प्रतियां भी भेजीं और उनकी टिप्पणियां मांगी :
- क. राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन, राजस्थान
- ख. नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन, हरियाणा
- ग. द सिंथेटिक एंड रयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (एस आर टी पी सी), महाराष्ट्र
- घ. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन, तमिलनाडु
- xii. निम्नलिखित संघों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की प्रक्रिया के दौरान भाग लिया है और अनुरोध प्रस्तुत किया है :
- क. इण्डोनेशियन एम्बेसी

- ख. साउदर्न इंडिया मिल्स ऑनर्स एसोसिएशन (एस आई एम ए)
- ग. तमिलनाडु स्पिनिंग एसोसिएशन (टी एस एम एम)
- घ. इंडियन मेनमेड यार्न मेन्युफेक्चर्स एसोसिएशन (आई एम एम ए)
- ङ. इंडियन स्पिनर एसोसिएशन
- च. तमिलनाडु फेडरेशन ऑफ पॉवर लूम्स एसोसिएशन
- छ. थिरुवेलटेक्स प्रा. लिमि.
- ज. श्री भागीरथ टेक्स्टाइल्स लिमि.
- झ. वेलाटल स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.
- xiii. वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (12 महीने) है। हालांकि, क्षति के विश्लेषण में 2017-18, 2018-19, 2019-20 और जांच की अवधि शामिल है।
- xiv. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) को पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना तथा क्षति के विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xv. घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों में उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया था। केवल ऐसी सत्यापित सूचना में जहां कहीं भी लागू हो, आवश्यक संशोधन के साथ इन जांच परिणामों के उद्देश्य से विचार किया गया है।
- xvi. उत्पादन की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे 'एन आई पी' कहा गया है) तथा सामान्य रूप से स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने तथा बेचने की लागत यह तय करने के लिए निर्धारित की गई है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvii. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 9 जुलाई, 2021 को मौखिक सुनवाई आयोजित की। मौखिक सुनवाई कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किये, से अनुरोध किया गया था कि वे विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें और उसके बाद प्रतिउत्तर प्रस्तुत करें।
- xviii. जांच और मौखिक सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों का समाधान इन अंतिम जांच परिणामों में उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक उन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया।
- xix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें।
- xx. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच दिये जाने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उसे उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच को बहुत अधिक हद तक बाधित किया है, प्राधिकारी ने 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर ऐसे पक्षकारों को गैर असहयोगी के रूप में माना और अपने जांच परिणाम रिकार्ड किये हैं।
- xxi. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, इस जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 21 जुलाई, 2021 के प्रकटन विवरण और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये उन पर प्राप्त टिप्पणियों के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था, का समाधान इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किये गये अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किये गये अनुरोधों की

पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि, प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच इन अंतिम जांच परिणामों में उस सीमा तक की गई है जिस सीमा तक उसे संगत माना गया।

xxii. जांच की अवधि के लिए विनिर्णय दर प्राधिकारी द्वारा यू एस डॉलर = रुपए 74.38 के रूप में लिया गया है।

xxiii. इन अंतिम जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का द्योतक है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

9. मूल जांच में और प्रथम निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार वर्णित था :

"बॉम्बू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेप्ल फाइबर (वी एस एफ)"। विस्कोस स्टेप्ल फाइबर का वर्णन सीमा प्रशुल्क के अंतर्गत "कार्ड/ कम्ब न किये हुए विस्कोज रेयॉन स्टेप्ल फाइबर" के रूप में किया गया है और इसे कुछ बाजारों में "रेयान फाइबर" के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क सिर्फ 5504.10.00 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

विस्कोस स्टेप्ल फाइबर पहला मानव निर्मित फाइबर था और अन्य मानव निर्मित फाइबर के विपरीत एक सिंथेटिक फाइबर नहीं है। इसे वेस्ट स्कीमिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाया जाता है और लकड़ी के गुदे से निर्मित एक सेल्यूलोज फाइबर है जिसमें से सेल्यूलोज को सतत प्राकृतिक संसाधन अर्थात् लकड़ी से इसे विभिन्न रसायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निकाला जाता है। इसके सेल्यूलोसिस आधार के कारण, विस्कोस स्टेप्ल फाइबर के लक्षण वही हैं जो प्राकृतिक सेल्यूलोसिस फाइबर के हैं और न कि थर्मोप्लास्टिक, पेट्रोलियम आधारित सिंथेटिक्स फाइबर जैसे नायलॉन अथवा पोलिस्टर के लक्षण नहीं हैं। इसके अलावा अभियांत्रिकी विनिर्देश और एकरूपता का स्पष्ट लाभ इसे मिलता है। विस्कोस स्टेप्ल फाइबर उत्कृष्ट ड्रेप, सॉफ्ट फील के साथ रेशम की तरह सुंदर होता है और इसमें बहुत अच्छा रंग रहता है। इससे बने फेब्रिक्स नमी को सोकने वाला (कपास से भी अधिक), सांस लेने योग्य पहने में आरामदायक और स्पष्ट रंगों में आसानी से डाई किये जाने में सक्षम हैं। वे स्थिर बिजली तैयार नहीं करते हैं और पिल-रोधी हैं।

10. विचाराधीन उत्पाद में ग्रे विस्कोस स्टेप्ल फाइबर, नॉन-वोवन फाइबर, मॉडल फाइबर, क्लेम रिटार्डेंट विस्कोस, स्टेप्ल फाइबर, स्पन डार्ड स्टेप्ल फाइबर, टेनशल स्टेप्ल फाइबर और इको वेरो विस्कोस स्टेप्ल फाइबर सहित विस्कोस स्टेप्ल फाइबर के सभी प्रकार शामिल हैं और मूल तथा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में केवल बॉम्बू फाइबर को बाहर रखा गया। घरेलू उद्योग ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा शुरू करने के लिए याचिका दायर करते समय प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को प्रतिबंधित करें तथा मॉडल फाइबर, नॉन वोवन फाइबर, स्टेन रिटार्डेंट फाइबर, इको फाइबर, स्पन डार्ड फाइबर, टेनसेल फाइबर (अथवा लियोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर को छोड़कर केवल विस्कोस स्टेप्ल फाइबर पर वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के रूप में विचार किया जाए।

11. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के शुद्धि पत्र के साथ पठित जांच की शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद को नीचे दिए गये अनुसार परिभाषित किया :

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निम्नलिखित को छोड़कर केवल विस्कोस स्टेप्ल फाइबर (वी एस एफ) तक सीमित है :"

क. बॉम्बू फाइबर

ख. मॉडल फाइबर

ग. नॉन-वोवन फाइबर

घ. फ्लेम रेटार्डेंट फाइबर

ङ. इको फाइबर (इको वेरो और ईवी)

च. स्पून डायड फाइबर

छ. टेनसेल फाइबर (और लियोसेल) एंड आउटलास्ट विस्कोस फाइबर"

ग. 1 आवेदक द्वारा किया गया अनुरोध

12. घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. ग्रे विस्कोस स्टेप्ल फाइबर, नॉ-वोवन फाइबर, मॉडल फाइबर, क्लेम रिटार्डेंट विस्कोस, स्टेप्ल फाइबर, स्पन डार्ड विस्कोस स्टेप्ल फाइबर, टेनशल विस्कोस स्टेप्ल फाइबर और इको विरो विस्कोस स्टेप्ल फाइबर सहित सभी प्रकार विस्कोस स्टेप्ल फाइबर पर वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क लग रहा है और केवल बम्बू फाइबर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है।
- ख. यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को ग्रे विस्कोस स्टेप्ल फाइबर के रूप में माना जाये।
- ग. इन वर्षों में विस्कोस स्टेप्ल फाइबर के विभिन्न अन्य ग्रेड विकसित किये गये हैं। घरेलू उद्योग के पास विस्कोस स्टेप्ल फाइबर के सभी प्रायः सभी ग्रेडों का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी है।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रे विस्कोस स्टेप्ल फाइबर आयात किये गये उत्पाद का समान वस्तु। आवेदन के उत्पाद और कथित पाटित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है।
- ङ. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की कटौती करने संबंधी अनुरोध के विरुद्ध यह अनुरोध किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की कटौती पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र अथवा जांच के अधीन निर्णायक समीक्षा में शामिल देशों में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। प्राधिकारी ने न तो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का विस्तार किया है और न ही निर्णायक समीक्षा जांचों के चरण में नये देशों को जोड़ा है।
- च. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने रूटीन तरीके से निर्णायक समीक्षा जांचों के समय संबद्ध देशों के क्षेत्र में कटौती की है।
- छ. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की कटौती इस कारण से अनुमत्तय है कि कुछ विशेष उत्पाद प्रकारों/उत्पाद प्रकारों के सम्मुख पर शुल्क जारी रखने का अब कोई औचित्य नहीं हो सकता है अथवा घरेलू उद्योग मूल जांच के समय कुछ प्रकारों का उत्पादन कर सकता था लेकिन निर्णायक समीक्षा जांच के समय उसका उत्पादन रोक दिया गया।
- ज. हितबद्ध पक्षकार निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित कर पूर्वाग्रह से बिलकुल ग्रसित नहीं हैं। इसके विपरीत हितबद्ध पक्षकार इस प्रकार के उत्पाद प्रकारों पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने के लाभार्थी हैं क्योंकि वे उत्पाद का निर्यात उस पर पाटनरोधी शुल्क लगाये बिना करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- झ. न तो धारा 9क(5) और न ही नियम 23 प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा मामले में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है यदि उस पर जांच की प्रक्रिया के दौरान अथवा घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रतिबंध लगाया जाये।
- ञ. घरेलू उद्योग पाइप्स और पोलिस्ट्रीन के संबंध में जांचों में तथ्य अलग अलग हैं और इस कारण से संदर्भ उचित नहीं है। इन दोनों मामलों में, आवेदक ने आवेदन दायर करते समय उत्पाद प्रकार को बाहर किये जाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया और जांच के बाद उसकी मांग की और हितबद्ध पक्षकारों ने संगत सूचना उपलब्ध कराई थी।
- ट. घरेलू उद्योग को किसी पिछले उदाहरण की जानकारी नहीं है जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के समय विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की कटौती से इंकार किया।
- ठ. घरेलू उद्योग का संबद्ध देशों से वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्क के विस्तार के बाद इन बाहर किये गये प्रकारों की आपूर्ति करने का कोई गलत उद्देश्य नहीं था। घरेलू उद्योग थाइलैण्ड में अपनी संबंधित कंपनी से पहले ही यह कर सकता था क्योंकि यह बाहर किये गये सभी प्रकारों का उत्पादन करता है। इसके साथ ही घरेलू उद्योग बम्बू फाइबर और आउटलास्ट वी एस एफ को छोड़कर सभी प्रकारों का उत्पादन करता है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में प्रतिबंध के साथ, अन्य विदेशी उत्पादक भारत को इन उत्पादों का निर्यात बिना पाटनरोधी शुल्क लगाकर सकते हैं। इस कटौती का लाभ निर्यातकों तथा उपभोक्ताओं को मिलेगा।

ग. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित करने के पीछे उचित औचित्य उपलब्ध नहीं कराये हैं।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा बाहर किये जाने के लिए अपनाये गये तकनीकी नामावली उद्योग मानकों के अनुसार नहीं हैं।
- ग. पूर्व की समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने स्वयं यह माना था कि विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न ग्रेडों/ प्रकारों में अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
- घ. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की विवेचना करने का यह आशय नहीं होगा कि संबद्ध देशों में ग्रासिम की संबंधित कंपनियों के पास भारत को विस्कोस स्टेप्ल फाइबर के बाहर किये गये श्रेणियों का निर्यात करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं होगी।
- ङ. घरेलू उद्योग ने एकपक्षीय तरीके से अपने कार्यक्रम के अनुकूल अपने आवेदन में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को बदल दिया। घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में विचाराधीन उत्पाद के ऐसे एकपक्षीय परिवर्तन ने सुनिश्चित किया गया कि शुल्क को जारी रखना धारा 9क (5) तथा नियम 23 (1ख) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था।
- च. कानून में यह अनुमत्तय नहीं है और इसके साथ ही प्राधिकारी का निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को बदलने के लिए सतत् दृष्टिकोण के विरुद्ध ही है।
- छ. उन मामलों में जब विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को बदले जाने की अनुमति दी जाती है, उसे जांच आयोजित करने के बाद तथा सभी संबंधित पक्षकारों की सूचना/ तर्कों का विश्लेषण करने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा एक प्रकार के गैर उत्पादन जैसे बाध्यकारी परिस्थितियों को देखते हुए परिवर्तन की आवश्यकता का पता लगाने के बाद किया जाता है।
- ज. इन उत्पादों को बाहर रखा गया है क्योंकि उनकी कीमत बहुत अधिक थी और उन्हें शामिल करने से पाटन और क्षति मार्जिन पर प्रभाव पड़ता।
- झ. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कटौती करने का निर्णय घरेलू उद्योग द्वारा इस दृष्टिकोण के तर्क अथवा वैधानिकता के संबंध में अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकारी को कोई अवसर दिये बिना अपने आप घरेलू उद्योग द्वारा लिया गया है।

ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. मूल तथा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का उल्लेख नीचे दिये गये अनुसार किया गया था :

"बॉम्बू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेप्ल फाइबर (वी एस एफ)"। विस्कोस स्टेप्ल फाइबर का वर्णन सीमा प्रशुल्क के अंतर्गत "कार्ड/ कोम्ब न किये हुए विस्कोज रेयाँन स्टेप्ल फाइबर" के रूप में किया गया है और इसे कुछ बाजारों में "रेयान फाइबर" के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क सिर्फ 5504. 10. 00 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ..."

केवल बॉम्बू फाइबर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर था। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन में, आवेदक ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि वे मॉडल फाइबर, नॉन-वोवन फाइबर, फ्लेम रिटर्डेंट फाइबर, इको फाइबर, स्पन डाइड फाइबर, टेनसेल फाइबर (अथवा लियोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर को बाहर रखें। बाहर रखने संबंधी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत के समय स्वीकार कर लिया गया था और तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित/ संकुचित किया गया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि या तो इस अधिनियम अथवा इस नियमावली के अंतर्गत निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को कम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, विशेषकर जब घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित करने के लिए स्वयं अनुरोध किया है क्योंकि उन्हें बाहर किये गये ग्रेडों/ प्रकारों के संबंध में अब संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

15. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के समय विगत में अनेक निर्णायक समीक्षा जांचों में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह इस प्रकार सिद्ध किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की कटौती ने उनके हितों को हानि पहुंचाई है। घरेलू उद्योग ने स्वयं जांच के चरण में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित करने का अनुरोध किया था। यदि विचाराधीन उत्पाद के इन प्रकारों/ ग्रेडों को बाहर किये जाने के लिए अनुरोध को माने बिना प्राधिकारी जांच की कार्यवाही आगे बढ़ाते तब इसके फलस्वरूप उन सभी प्रकारों/ ग्रेडों पर पाटनरोधी शुल्क

लगाया जाता जिनके लिए आवेदक/ घरेलू उद्योग कोई संरक्षण नहीं चाहते थे। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की कटौती पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने का विरोध करते हुए हितबद्ध पक्षकारों को हानि नहीं पहुंचा सकती है। इस कारण से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में जांच आरंभ के चरण में ही कटौती की गई थी।

16. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत को निर्यात किया गया संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयात किये गये वस्तुओं से इन वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देश, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विवरण और प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तदनुसार, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।
17. तदनुसार, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र "विस्कोस स्टेप्ल फाइबर (वी एस एफ) है जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :

- क. बॉम्बू फाइबर
- ख. मॉडल फाइबर
- ग. नॉन-वोवेन फाइबर
- घ. फ्लेम रेटरडेंट फाइबर
- ङ. इको फाइबर (इको वेरो और ईवी)
- च. स्पून डायड फाइबर
- छ. टेनसेल फाइबर (और लियोसेल) एंड आउटलास्ट विस्कोस फाइबर"

घ. घरेलू उद्योग और उसका आधार

18. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

"(ख)" "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

घ. 1 आवेदक द्वारा किये गये अनुरोध

19. आवेदक द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. आवेदन मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. की ओर से भारत के मानव निर्मित फाइबर उद्योग संघ (ए एम एफ आई आई) द्वारा दायर किया गया है। संघ ने सत्यापन की प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राधिकारी को सभी संगत दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं।
- ख. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. ने शुल्कों के विस्तार के लिए अनुरोध किये जाने के साथ प्राधिकारी को सभी संगत आंकड़े उपलब्ध कराये हैं।
- ग. यह एक सिद्ध किया हुआ तथ्य है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. ने भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और यह कुल भारतीय उत्पादन के 100 प्रतिशत को दर्शाता है। प्राधिकारी ने मै. ग्रासिम को निरंतर रूप से मूल मामले और प्रथम निर्णायक समीक्षा मामले में घरेलू उद्योग के रूप में माना है।
- घ. घरेलू उद्योग भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है। तथापि, इसका संबद्ध देशों में संबंधित उत्पादक है जिसने वर्तमान जांच में भाग लिया है। यह कानून इसके संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक से संबंधित होने के बावजूद घरेलू उद्योग की परिधि में एक उत्पादक मानने के लिए प्राधिकारी को विवेकाधिकार देता है।

- ड. संबद्ध देशों में संबंधित उत्पादकों से घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्राओं में कोई आयात नहीं हुआ है। ये आयात अनुसंधान के उद्देश्य से ही वास्तव में नमून हैं और उसकी मात्रा नगण्य है।
- च. मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. इस नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है।
- छ. यह अनुरोध कि आवेदक ए एम एफ आई आई पात्र नहीं है, सही नहीं है। संघ पिछले कुछ समय से घरेलू उत्पादकों का एक आवेदक संघ के रूप में भाग लेता रहा है। यह पहली बार नहीं है कि संघ ने प्राधिकारी के समक्ष जांच में भाग लिया है।
- ज. आवेदक संघ के सदस्य विस्कोस स्टेप्ल फाइबर, विस्कोस फिलामेंट यार्न और रेयान टायर यार्न/कोर्ड फेब्रिक के उत्पादन में लगा हुआ है। क्योंकि विस्कोस स्टेप्ल फाइबर का उत्पादन केवल ग्रासिम उद्योग द्वारा किया जाता है, अतः यह आवेदन संघ के 100 प्रतिशत सदस्यों की ओर से दायर किया जा रहा है।
- झ. यह कथन की ए एम एफ आई आई जिसने वर्तमान निर्णायक समीक्षा दायर की है वही पक्षकार है जिसने सी सी आई के समक्ष शिकायत दायर की, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। सी सी आई द्वारा 16/3/20 को पारित ओदश के विरुद्ध ए एम एफ आई आई और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. के विरुद्ध है।

घ. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. चूंकि ग्रासिम संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है, संघ के अन्य सदस्य उसके उत्पादक नहीं हो सकते हैं जो सेघ को नियम 2 (ग) के अंतर्गत एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपात्र बनाता है। आवेदक द्वारा दायर किये गये आवेदन को अस्वीकार और खारिज किया जाना चाहिए।
- ख. ए एम एफ आई आई जिसने वर्तमान निर्णायक समीक्षा दायर की है वही विरोधी पक्षकार है जिसने सी सी आई के समक्ष शिकायत दायर की।
- ग. कुल भारतीय उत्पादन के प्रतिशत के संबंध में सूचना एन सी वी में नहीं दी गई थी। यदि यह "घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व कर रहा हो" तब घरेलू उद्योग के दर्जे का आकलन करना आवश्यक है।
- घ. उत्पाद क्षेत्र में कटौती की गई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने चीन, गण. और इण्डोनेशिया में अपनी संबंधित कंपनियों से बाहर किये गये वी एस एफ की पर्याप्त मात्रा में आयात किया। कुछ ग्रेडों/प्रकारों को बाहर रखा गया है क्योंकि इसके कारण घरेलू उद्योग की आधार संबंधी आवश्यकताओं को हानि हुई होती।
- ड. चीन जन. गण., इण्डोनेशिया, मलेशिया और थाइलैण्ड से पोलिस्टर स्टेप्ल फाइबर जांच का संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को संबद्ध देश में निर्यातक से संबंधित होने के कारण घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा गया था।

घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. वर्तमान आवेदन मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. की ओर से भारत के ए एम एफ आई आई द्वारा दायर किया गया है। संघ ने अपनी सदस्यों कंपनियों की ओर से विगत में पाटनरोधी शुल्क जांच के लिए आवेदन दायर किया है। मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. ("ग्रासिम") भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और इसने शुल्कों के विस्तार का अनुरोध करते हुए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार संगत सूचना उपलब्ध कराई है। ग्रासिम की संबद्ध देशों में संबंधित कंपनियां हैं और आवेदक ने उसके बारे में ब्यौरा उपलब्ध कराया है।
22. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक नियम 2 (ग) के अंतर्गत एक 'हितबद्ध पक्षकार' के रूप में पात्र नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल तथा पहली निर्णायक समीक्षा जांच में, यह आवेदन ए एम एफ आई आई द्वारा किया गया था। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भी, संघ ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. की ओर से आवेदन दायर किया है और जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी को संगत दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि या तो घरेलू उद्योग के रूप में

- संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक पर विचार करते हुए अथवा एकमात्र उत्पादक की ओर से संघ द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
23. इस तर्क के संबंध में की ए एम एफ आई आई ने सी सी आई के समक्ष शिकायत दर्ज की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उप तर्क तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।
24. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है कि नियम 2(ख) के अनुसार, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. घरेलू उद्योग के रूप में विचार किये जाने के लिए पात्र नहीं है क्योंकि उनकी संबद्ध देशों में संबंधित कंपनियां हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस नियमावली का नियम 2(ख) संबद्ध देश में निर्यातक के साथ घरेलू उद्योग के संबंध के आधार पर घरेलू उद्योग की परिधि और क्षेत्र से घरेलू उद्योग को बाहर करने के मुद्दे पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करता है और आवेदक द्वारा इस प्रकार की संबंधित कंपनियों से किये गये आयातों के प्रकार और सीमा के आधार पर एक विचारित दृष्टिकोण लिया जाता है। प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या विश्वास करने अथवा संदेह करने का कोई आधार है कि संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे कि भारत में संबंधित घरेलू उत्पादक को गैर संबंधित उत्पादकों से अलग तरीके व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जाये।
25. वर्तमान समीक्षा जांच में, चीन जन. गण. में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. के संबंधित प्रतिष्ठान में भारत को जांच की अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है जबकि इण्डोनेशिया में संबंधित प्रतिष्ठान ने वाणिज्यिक मात्राओं का निर्यात नहीं किया है। इसने जांच की अवधि के दौरान अपनी संबंधित कंपनी को मात्र *** मी. ट. निर्यात किया है जो बहुत कम मात्रा है। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि थाइलैण्ड में संबंधित कंपनी ने भी ग्रासिम को *** मी. ट. का निर्यात किया है। थाइलैण्ड में संबंधित कंपनी से कुल निर्यात *** मी. ट. है लेकिन यह गैर संबद्ध देश होने के कारण थाइलैण्ड के कारण वर्तमान जांच के लिए संगत नहीं है।
26. आगे यह नोट किया जाता है कि मूल तथा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांचों के समय इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई थी। मूल जांच में मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. की संबंधित कंपनी पी. टी. इंडो भारत रयान, इण्डोनेशिया ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया था। प्राधिकारी ने उचित जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. संबद्ध देशों में एक निर्यातक से अपने संबंध होने के बावजूद घरेलू उद्योग था। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विश्वास करने अथवा संदेह करने का कोई आधार नहीं है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. का इण्डोनेशिया और चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के साथ संबंध ने उन्हें असंबंधित उत्पादकों से अलग तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर किया है।
27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषा को ध्यान में रखकर, प्राधिकारी द्वारा मूल तथा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में विगत निर्धारणों तथा वर्तमान मामले के रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग के रूप में विचार करते हैं।
28. उपर्युक्त पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह आवेदन आधार की आवश्यकता हो पूरा करता है और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. पाटनरोधी नियमावली के तात्पर्य से 'घरेलू उद्योग' है।

ड विविध अनुरोध

ड. 1 आवेदक द्वारा किये गये अनुरोध

29. जांच की प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं।

- क. इस अनुरोध पर कि आवेदन में साक्ष्य का अभाव है, यह अनुरोध किया जाता है कि निर्धारित समीक्षा आवेदन के लिए आवश्यक सभी संगत आंकड़े और साक्ष्य आवेदन के चरण में ही उपलब्ध कराये गये हैं और उचित जांच के बाद प्राधिकारी ने इस मामले की शुरुआत की है। यह उत्तर देने वाला पक्षकार नहीं है जो इस बारे में निर्णय लेगा कि क्या साक्ष्य पर्याप्त था अथवा नहीं।
- ख. भारत को निर्यात का पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोज औसत कीमत ***/ मी. ट. यू एस डॉलर है जबकि निर्यात के उसी स्तर के साथ अन्य देशों को निर्यात ***/ मी. ट. यू एस डॉलर से ***/ मी. ट. यू एस डॉलर के दायरे में है। चीन के मामले में भारत को औसत निर्यात कीमत ***/ मी. ट. यू एस डॉलर है जबकि व्यापार के उसी स्तर के साथ अन्य देशों को निर्यात ***/ मी. ट. यू एस डॉलर का औसत है।

- ग. निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे डी जी सिस्टम डाटा मंगाये और अधिक बीजक भेजने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे का सत्यापन करें। निर्दिष्ट प्राधिकारी को संभावित अधिक बीजक से इंकार करने के लिए सभी संगत सूचना मंगानी चाहिए।
- घ. जनहित केवल उपभोक्ता के हित तक अपने आप को सीमित नहीं करता है और यह एक अधिक व्यापक शब्दावली है जिसमें घरेलू उद्योग के हित और व्यापक स्तर पर जनता के हित भी शामिल हैं।
- ङ. इन शुल्कों को लगाया जाना घरेलू निर्माता के उन्हें अर्थक्षम और प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम बनाने के लिए हित में होगा। उसी प्रकार से यह भी उपभोक्ता के हित में है कि प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग उचित कीमत पर आयातों के प्रतिस्पर्धी में उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हों। यदि घरेलू उद्योग को नुकसान होने दिया जाता है तब अंततः इसे समाप्त किया जा सकता है और उपभोक्ता निर्यातकों की दया पर रह जायेंगे। उपभोक्ता को माल सूची का अपेक्षाकृत अधिक स्तर बनाये रखना होगा यदि उन्हें आयात की गई सामग्री पर निर्भर करना पड़ता हो।
- च. विदेशी उत्पादकों के अलावा बाजार पर वे व्यापारी हावी रहेंगे जिनका अल्पकालिक दृष्टिकोण है और वे अपने एकमात्र उद्देश्य होने के कारण मध्यवर्ती व्यापार में लाभप्रदता के साथ एक बाजार से दूसरे बाजार की ओर जायेंगे। एम एस एम ई को घरेलू निर्माण के अभाव में व्यापारियों और विदेशी उत्पादकों द्वारा शोषण किये जाने का जोखिम है।
- छ. कोई ठोस सूचना उपभोक्ताओं द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के किसी संभावित प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- ज. वी एस वाई की पाटनरोधी जांच में प्रयोक्ताओं ने दावा किया कि अंतिम फेब्रिक पर शुल्क का प्रभाव या तो घरेलू अथवा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर कम और बेनजीता है। इसके अलावा, यह दावा किया गया था कि इण्डोनेशिया और चीन से तुर्की के द्वारा वी एस वाई पर शुल्कों को लगाये जाने के साथ, यार्न उद्योग भारत की ओर परिवर्तित हो सकते हैं क्योंकि भारत उनके लिए एक संभावित बाजार होगा।
- झ. प्रयोक्ता उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि कच्चे माल (लकड़ी का गुदा) की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप हैं। हालांकि, वास्तविक स्थिति यह है कि आयात की कीमतों में कच्चे माल (लकड़ी का गुदा) की कीमतों में गिरावट से अधिक कमी हुई है।
- ञ. पाटनरोधी शुल्क का उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। शुल्क के प्रभाव का पता प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्ता उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों पर विचार करते हुए किया जा सकता है। घरेलू उद्योग की यह समझ है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग अपने अंतिम उत्पाद कीमत पर कच्चे माल की कीमत में वृद्धि को जोड़ता है।
- ट. भाग लेने वाले कुछ उपभोक्ताओं का कार्य निष्पादन 2017-18 में सबसे अधिक था, जब संबद्ध देशों से आयात कीमतें सबसे अधिक थी और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं उठानी पड़ी। जबकि भाग लेने वाले कुछ अन्य उपभोक्ताओं का कार्य निष्पादन 2016-17 में सबसे अधिक था, जब संबद्ध देशों से आयात की कीमतें दूसरी सबसे अधिक थी और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं उठानी पड़ी।
- ठ. घरेलू उद्योग ने अपने मौजूदा वी एस एफ क्षमता पर बहुत अधिक राशि का निवेश किया है और आगे मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत गुजरात में अपनी एकीकृत वी एस एफ संयंत्र क्षमता में *** करोड़ रु. का निवेश कर रहा है।
- ड. वर्तमान उद्योग पूंजी गहन उद्योग है। वे उद्योग जिन्हें कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, कम लाभ पर बने रहने में सक्षम हो सकते हैं लेकिन एक पूंजी गहन उद्योग में किये गये निवेश की लागत को वसूलने के लिए पर्याप्त लाभ अपेक्षित होता।
- ढ. घरेलू उद्योग ने सीधे अपने संयंत्रों में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रोजगार लगभग 15,000 व्यक्ति होंगे।
- ण. सी सी आई के आदेश के संबंध में इस तर्क के बारे में, यह अनुरोध किया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा इस मामले पर रोक लगा दी गई है और यह विचाराधीन

- है। इसके अलावा, सी सी आई की कार्यवाही और परिणाम किसी भी तरीके से पाटनरोधी शुल्क से संबंधित नहीं हैं और यह डी जी टी आर के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।
- त. इस अनुरोध पर कि लेखा परीक्षक ने भी सी सी आई के जुर्माने को स्वीकार किया है और यह कि जुर्माना राशि का प्रकटन भारतीय जी ए ए पी का अनुपालन करने के लिए किया गया है, यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने इस जुर्माना राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है जो अपने आप में दर्शाता है कि जुर्माना राशि का भुगतान करने की संभावना बहुत कम है।
- थ. वी एस वाई की पाटनरोधी जांच में प्रयोक्ता उद्योग ने माना है कि सी सी आई का ओदश वी एस वाई पाटनरोधी जांच में संगत नहीं है। अब उनके पूर्व के रुख के विपरीत वे तर्क दे रहे हैं की सी सी आई के आदेश का वर्तमान जांच से प्रत्यक्ष संबंध है। आवेदक इस बात को समझने में सक्षम नहीं है कि क्यों वी एस वाई उद्योग दो अलग अलग जांचों में एक ही मामले पर दो विपरीत रुख ले रहा है।
- द. घरेलू उद्योग द्वारा समर्थन किये जा रहे कीमत भेदभाव नीति के अनुरोध पर यह अनुरोध किया जाता है कि उन उपभोक्ताओं जिन्होंने अंतिम उत्पाद का उत्पादन और निर्यात किये ने ऐसे निर्याताओं पर सभी निर्यात लाभ उठाये हैं और घरेलू उद्योग को लाभ नहीं मिला है।
- ध. वैश्विक बाजार में उपभोक्ता उपयोग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से और भारत सरकार द्वारा लागू की गई नीति को और आगे बढ़ाने में, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद से निर्मित उत्पादों का निर्यात करने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लाभ दिये हैं। यदि घरेलू उद्योग सभी घरेलू बिक्री के लिए इन कीमतों पर सभी उत्पादों की बिक्री करता तब घरेलू उद्योग बहुत अधिक वित्तीय हानि हुई होती।
- न. इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग संरक्षणवादी उपाय के रूप में पाटनरोधी शुल्क का उपयोग कर रहा है, यह अनुरोध किया जाता है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग को पिछले 10 वर्षों में घरेलू उद्योग के सहयोग से लाभ हुआ है और उसका विकास हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग ने क्षमता निर्माण, उत्पाद, बाजार और डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला में अनुप्रयोग के विकास में निवेश किया है।
- प. इस अनुरोध पर कि शुल्क के परिणामस्वरूप एकाधिकारवादी स्थिति उत्पन्न होगी, यह अनुरोध किया जाता है कि विरोधी हितबद्ध पक्षकार यह कारण बताने में असफल हुए हैं कि क्यों शुल्क को जारी रखने के फलस्वरूप एकाधिकारवादी बाजार उत्पन्न होगा। पाटनरोधी शुल्क पिछले 10 वर्षों से लागू रहा है लेकिन एकाधिकारवादी स्थिति पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- फ. इस अनुरोध पर कि एस एम ई और एम एस एम ई के पास सुलह करने की शक्ति नहीं है यह अनुरोध किया जाता है ग्रासिम की एक निर्धारित कीमत निर्धारण नीति है और वह संगठन के आकार पर ध्यान दिये बिना गैर भेद-भाव पूर्ण आधार पर विभिन्न ग्राहकों को बिक्री करता है। यह कीमत ग्राहकों से केवल ऐसी कीमत निर्धारण नीति के आधार पर वसूली जाती है। कंपनी की बिक्री सूचियां प्राधिकारी के पास पहले से ही रिकार्ड पर है जो सूची की कीमत जिस पर वस्तु का बीजक तैयार किया गया था, को दर्शाता है।
- ब. इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग की क्षमता पर्याप्त नहीं है, यह अनुरोध किया जाता है कि यह कथन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। घरेलू उद्योग की क्षमता भारतीय मांग से अधिक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग आगे न केवल भारतीय मांग बल्कि वैश्विक मांग को भी पूरा करने के लिए क्षमता का विस्तार कर रहा है।
- भ. डी जी सी आई एंड एस आयात आंकड़ों के प्रकटन के अनुरोध पर, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान कार्यपद्धति के अंतर्गत भी पक्षकार आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत को अपने अनुसार तय करते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को पीडीएफ फार्म में भी डी जी सी आई एंड एस के लेन देन वार आंकड़ों को सांझा करने की आवश्यकता को पूर्ण रूप से वापस लेना चाहिए। डी जी सी आई एंड एस लेन देन वार आंकड़े साक्ष्य के रूप में और न कि सूचना के रूप में उद्देश्य को पूरा करते हैं। कोई भी जांच करने वाले प्राधिकारी व्यापक तौर पर पक्षकारों को इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं।

- म. इस अनुरोध पर कि केवल आपवादिक मामलों में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश 10 वर्षों से आगे की जानी चाहिए, यह अनुरोध किया जाता है कि एक विशिष्ट अवधि से आगे शुल्कों के विस्तार के लिए या तो इस अधिनियम में अथवा नियमावली में "आपवादिक परिस्थितियों" की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। शुल्कों के विस्तार के लिए आवश्यक एकमात्र शर्त यह है कि किया क्या इस प्रकार के शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। डी जी टी आर ने कई मामलों में 10 वर्षों से अधिक के लिए पाटनरोधी शुल्क विस्तार किया है।
- य. कुछ जांच जिसमें शुल्क 10 वर्षों से आगे तक के लिए नहीं लगाया गया है कि पर निर्भरता के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि हितवद्ध पक्षकारों ने कुछ जांचों को विवेकपूर्ण तरीके से चुना है जिनमें तथ्य और परिस्थितियां अलग अलग थीं। प्राधिकारी ने अनेक जांचों में 10 वर्षों से आगे तक शुल्क का विस्तार किया है जिनमें मामले के तथ्य वर्तमान जांच के तथ्यों के समान थी।
- कक. इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग शुल्कों का लाभ प्राप्त कर रहा है, घरेलू उद्योग की कीमत आयात की पहुंच कीमत से पूर्ण रूप से तुलनीय है। इसके अलावा, न्यूनतम शुल्क पर विचार करते हुए भी कीमत में कटौती नकारात्मक है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों में किसी शुल्क को नहीं जोड़ा है और इस कारण से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला।
- खख. यह विवरण की एस एम ई और एम एस एम ई को बहुत अधिक मात्रा में हानि हो रही है पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं किया हुआ और तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। ऐसा कोई आंकड़ा उसको सिद्ध करने के लिए नहीं दिया गया है। वास्तव में वस्त्र उद्योग के बारे में सरकार का विजन देश में घरेलू उद्योग की संगतता और महत्व को दर्शाता है।
- गग. इस अनुरोध पर कि ये शुल्क पी टी ए पर नहीं लगाये गये थे, यह अनुरोध किया जाता है कि यह तथ्य की सरकार ने पी टी ए पर शुल्क हटा लिया है और नॉयलान फिलामेंट यार्न पर शुल्क नहीं लगाया है जबकि एक ओर वी एस एफ पर शुल्क जारी रखना और दूसरी ओर इन डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के सुधार वाले कार्यनिष्पादन स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उपभोक्ता उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था।
- घघ. परिधानों के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव के अनुरोध के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि ग्रासिम द्वारा किया गया अध्ययन यह स्थापित करता है कि फेब्रिक्स के निर्यातों में गिरावट अन्य कारकों के द्वारा उत्पन्न की गई लागत पर सुविधा और न कि वी एस एफ पर शुल्क लगाये जाने के बाद हुई है। यह रिपोर्ट केंद्रीय आर्थिक प्रकोष्ठ (आदित्य बिरला ग्रुप) द्वारा तैयार की गई है और विभिन्न मंत्रालय/ मंत्रियों/ नीति आयोग/ पी एम ओ में सरकारी अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था।
- ङङ. वी एस एफ पर लगाये गये शुल्क के कारण वी एस वाई के आयात में वृद्धि के अनुरोध पर, यह अनुरोध किया जाता है कि स्पिन यार्न का आयात भारतीय मांग का केवल 16.60 प्रतिशत है। यदि वी एस वाई मामले की क्षति अवधि पर विचार किया जाये तो यह देखा जायेगा कि वी एस वाई के संचयी आयात मांग का 7.72 प्रतिशत था। इस कारण से यह दावा कि वी एस वाई के आयात में वी एस एफ पर शुल्क लगाये जाने के कारण वृद्धि हुई है, सही नहीं है।
- चच. पिछले 8-10 वर्षों के दौरान बढ़ाये गये तकवे/ सृजित रोजगार यह दर्शाते हैं कि जिस प्रकार से वी एस एफ में शुल्क संरक्षण ने भारत में एम एम सी एफ (मानव निर्मित रसायनिक फाइबर) को बढ़ाने में मदद की। इसके अलावा, वी एस एफ की कीमतें स्पिनरों की सहायता करने तथा यार्न के आयातों को नियंत्रित करने के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धी रहे हैं।
- छछ. शुल्क को समाप्त करने का अनुरोध करते हुए संघों के इस अनुरोध के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार कार्यपद्धति के द्वारा कीमत में हुए भेदभाव जो भारत में उद्योग के लिए क्षति कारक है, का निवारण करना है। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को हानि हो रही है क्योंकि यह पर्याप्त कीमतें वसूलने के लिए सक्षम नहीं हैं। दस्तावेज में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वस्त्र इनपुट्स पर व्यापार शुल्कों ने वस्त्र क्षेत्र पर

प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाला है। संघ इस उद्योग द्वारा सामना किये जा रहे वास्तविक मुद्दों को छिपाने का प्रयास कर रहा है और व्यापार शुल्कों पर आरोप लगा रहा है।

जज. चीन जन. गण., इण्डोनेशिया और वियतनाम से आयातों के संबंध में वी एस वाई के अंतिम जांच परिणाम में, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि अंतिम उत्पाद पर वी एस वाई पर शुल्क का प्रभाव 1 प्रतिशत से कम है। चूंकि अंतिम उत्पाद पर वी एस वाई पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 1 प्रतिशत से कम है, यह प्रभाव वी एस एफ के मामले में 1 प्रतिशत से बहुत कम होगा।

ड. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. आवेदक ने समीक्षा की शुरुआत करने के लिए ए डी ए के अनुच्छेद 5.2 द्वारा यथाअपेक्षित पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल हुआ है। जांच की शुरुआत करने के पूर्व प्राधिकारी पाटनरोधी संबंधी करार के अनुच्छेद 11.2 और 11.3 के अंतर्गत केवल आवेदन के प्राप्त होने पर जांच की शुरुआत करने की बजाय आवेदन का उचित विश्लेषण किया है।
- ख. जांच की शुरुआत करने के लिए आवेदन पाटनरोधी करार के नियम 23(1ख) और अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत 'विधिवत प्रमाणित' की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।
- ग. शुल्क बिना क्षेत्राधिकार के हैं, क्योंकि शुल्क को जारी रखने का निर्णय 2015 और 2016 में क्रमशः 12 दिनों और 14 दिनों के अंतराल के बाद किया गया था। फोरेच इण्डिया लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय जिसने प्रथम निर्णायक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क के जारी रखने में विच्छेद के कारण कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कं. लिमि. बनाम संघ सरकार में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, के अनुसार शुल्कों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क (5) के पहले और दूसरे परंतुक के अनुसार वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में जारी नहीं रखा जा सकता है।
- घ. दिनांक 16 मार्च, 2020 के सी सी आई के आदेश से यह सिद्ध किया गया है कि ग्रासिम भारत में अपनी एकाधिकारवादी स्थिति का आंशिक लाभ खाता रहा है। ग्रासिम ने अनुचित और भेदभाव पूर्ण कीमतों पर स्पिनरों को कच्चे माल की बिक्री कर उनके विरुद्ध कीमत में विसंगति सृजित की।
- ड. सी सी आई का आदेश अभी भी लागू है और उस पर प्राधिकारी द्वारा अवश्य विचार किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग के अनुचित व्यवहार पर नहीं बल्कि दण्ड पर रोक लगी हुई है। ग्रासिम के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों ने भी वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में लगाये गये जुर्माने को स्वीकार किया है।
- च. प्राधिकारी को हाल में हुए किये गये मामलों जैसे टायर क्यूरिंग प्रेस और मेलामाइन में जैसा किया गया है उसी रूप से जांच की अवधि के रूप में 18 महीने की अवधि को मांग सकते थे।
- छ. घरेलू उद्योग के हित को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, प्राधिकारी को प्रत्योक्ता उद्योग का ध्यान रखने तथा "आत्मनिर्भर भारत" के नाम पर प्रयोक्ता/ उपभोक्ता उद्योग के शोषण को रोकने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।
- ज. घरेलू उद्योग एक संरक्षणवादी उपाय के रूप में शुल्क का उपयोग कर रहा है जिसकी उचित प्रतिस्पर्धा को कृत्रिम रूप से कम करने और बाजार में इसकी एकाधिकारवादी स्थिति का प्रभाव है।
- झ. एस एम ई और एम एस एस ई के पास सुलह करने की शक्ति नहीं है और वह विद्युत कर्घा फैब्रिक निर्यातों को निर्यात बाजार में अप्रतिस्पर्धी बनाता है।
- ञ. संबद्ध वस्तुओं की मांग में निरंतर रूप से वृद्धि हो रही है और घरेलू उद्योग के पास मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

- ट. शुल्क का अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और परिषद तथा समितियां जैसा सी आई टी आई, एस एम ए आई, आई एस ए और पिडेक्सिल पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने के लिए अपील करता रहा है।
- ठ. घरेलू उद्योग ने विगत में गौण स्रोत से आयात आंकड़े प्रस्तुत किये थे लेकिन इसे प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
- ड. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अनुसार, 10 वर्षों से आगे तक शुल्क को जारी रखना आपवादिक मामलों में होना चाहिए और उसके समर्थन में साक्ष्य होना चाहिए।
- ढ. डी जी टी आर ने कई मामलों में जैसे चीन से सेल बैटरी, तुर्की और रूस से सोडा ऐश, चीन जन. गण. यूरोपीय यूनियन और यू एस ए से "कोटेड पेपर", चीन से पारासिटामोल, चीन से डिजीटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस और चीन से बेल्डिंग फेब्रिक के संबंध में तीसरे निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्कों का विस्तार किये जाने की सिफारिश नहीं की है।
- ण. स्वदेशी प्रयोक्ता उद्योगों, एस एम ई, एम एस एम ई को मौजूदा शुल्क के कारण पहले से ही बहुत अधिक हानि उठानी पड़ रही है। भारतीय टेक्स्टाइल और क्लोदिंग क्षेत्र का 2025 तक 350 बिलियन यू एस डॉलर बाजार आकार का लक्ष्य प्राप्त करना तब तक संभव नहीं है जब तक यह शुल्क जारी रहता है।
- त. संघ सरकार ने पी टी ए जो पोलियस्टर स्टेपल फाइबर के लिए प्रमुख कच्चा माल है, पर पाटनरोधी शुल्क हटाकर एम एम एस क्षेत्र की मदद की है। हालांकि, वी एस एफ पाटनरोधी शुल्क के साथ संरक्षण प्राप्त है और यह समग्र विस्कोस स्टेपल फाइबर टेक्स्टाइल मूल्य श्रृंखला को प्रभावित करता है।
- थ. वी एस एफ आधारित रेडीमेड गारमेंट का निर्यात कम हुआ है और विस्कोस फेब्रिक का निर्यात 2016-17 और 2019-20 के बीच 25 प्रतिशत तक गिरा है। भारत कच्चे माल की अधिक लागत के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बंगला देश, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे देशों से अपना बाजार खो रहा है।
- द. निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की संभावना एक अपवाद है न कि सामान्य नियम। विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियां आगे दूसरी निर्णायक समीक्षा के लिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की पुष्टि करने के लिए अवश्य होने चाहिए।
- ध. वी एस वाई के संबंध में याचिका में उपलब्ध कराई गई सूचना आवेदक के दावे का समर्थन नहीं करती है क्योंकि वी एस एफ पर शुल्क विस्कोस स्पन यार्न के आयातों में वृद्धि का वास्तविक कारण है।
- न. वी एस एफ पर शुल्क वस्त्र उद्योग को बढ़ती हुई मात्रा में विस्कोस स्पन यार्न का आयात करने के लिए मजबूर कर रहा है और भारत के विद्युत कर्षा क्षेत्र ने 1000 करोड़ रुपए की उत्पादन क्षमता का उपयोग करने और वित्तीय वर्ष 2020 में 8000 नौकरी देने का अवसर खो दिया।
- प. परिशिष्ट 1 में बिक्री की लागत के लिए गोपनीयता के दावे के संबंध में, पी टी एशिया पेसिफिक रेयान ने नोट किया है कि इसने 2019 में वी एस एफ का उत्पादन शुरू किया और 2019 तथा जांच की अवधि के लिए परिवर्ती से संबंधित सूचना संगत नहीं है क्योंकि उनका 6 महीने की अवधि के रूप में अतिव्यापन होता है।
- फ. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में स्टेरी (फूजिका) फाइबर कंपनी लिमि. के द्वारा उठाई गई हानि के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि बिक्री के संबंध में हुई हानि बेनतीजा है क्योंकि इसके वास्तविक उत्पादन लागत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया गया है।
- ब. घरेलू उद्योग का यह दावा कि वी एस वाई आयात कीमत में जांच की अवधि की चौथी तिमाही में तेजी से गिरावट आई है, में कोई तर्क नहीं है। वी एस एफ पर शुल्क के परिणामस्वरूप बुनाई और मीटिंग क्षेत्रों को वी एस एफ की तुलना में सस्ती दर पर यार्न उपलब्ध हुआ है और इसके परिणामस्वरूप भारत में वी एस वाई के आयात हुए हैं।

- भ. घरेलू उद्योग शून्य सीमा शुल्क के कारण इवर्टिड शुल्क संरचना के कारण अनुचित और पक्षपातपूर्ण लाभ उठाता है। शून्य शुल्क आशियान एफ टी ए के अंतर्गत डिजॉल्विंग वूड पल्प पर भी लागू है। मूल सीमा शुल्क (बी सी डी) जो लकड़ी के गुदे के लिए लागू है, संबद्ध वस्तुओं पर बी सी डी जो 5 प्रतिशत है की तुलना में केवल 2.5 प्रतिशत है।
- म. घरेलू उद्योग को 10 वर्षों के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है जिसके दौरान इसकी स्थिति में कई गुणा सुधार हुआ है और प्रयोक्ता उद्योग असफल हो गये हैं क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रतिस्पर्धी बन गया है।
- य. घरेलू उद्योग कीमत भेदभाव नीति को अपना रहा है जो भारतीय स्पिनरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रतिस्पर्धी बना रहा है और परिधान उद्योग को हानि हो रही है।
- कक. यार्न के उत्पादक जिनके पास बी एस एफ का शुल्क मुक्त आयात करने का विकल्प है को यार्न के निर्यात प्रमाण के आधार पर छूट दी जाती है, जिसके फलस्वरूप भारतीय विस्कोस यार्न उसकी तुलना में बहुत अधिक हद तक कम कीमतों पर उपलब्ध हो रहे हैं जो घरेलू मूल्य श्रृंखला को भुगतान करना होता है।
- खख. भारतीय स्पिनर्स संघ के सदस्यों ने घरेलू उद्योग के कीमत निर्धारण नीति के कारण इनपुट कच्चे माल की अपेक्षाकृत उच्च कीमत निर्धारण के बारे में अनेकों बार शिकायत की है। ग्रासिम के घरेलू उद्योग की कीमत और माना गया निर्यात फाइबर की कीमत में अंतर है।
- गग. इस अनुरोध के संबंध में कि हितबद्ध पक्षकारों ने शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, अनेक प्रयोक्ता उद्योगों और उपभोक्ताओं ने पी एम ओ (प्रधानमंत्री का कार्यालय) सहित विभिन्न मंचों से संपर्क किया है। भारतीय स्पिनर उद्योग घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्राहकों को खो रहा है।
- घघ. घरेलू उद्योग जो कि प्रयोक्ताओं को लाभ दर्शाते हुए लाभ अनुपात की प्रस्तुति भ्रामक है क्योंकि वे विचाराधीन उत्पाद के समेकित आंकड़े हैं और न कि स्वतंत्र। प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोधों के बजाय इन अनुरोधों पर विश्वास कर सकते हैं।
- ङङ. शुल्क को समाप्त करने से बी एस एफ प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध होगा और एम एम एफ आधारित वस्त्र और अपेरल में प्रयोक्ताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनायेगा और रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे।
- चच. केवल भारत ने बी एस एफ पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। सरकार ने मूल्यवर्धित तैयार सामानों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए मूल वस्त्र कच्चा माल पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया है। सरकार ने मूल्य श्रृंखला के व्यापक हित में बी एस वाई पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भी इंकार किया है।
- छछ. यह गलत घोषणा नहीं की गई है कि बिरला जिंगवर्ड फाइबर्स कंपनी लिमि. एक संयुक्त उद्यम है जब वेबसाइट में यह उल्लेख है कि चीन में कंपनी ने 2008 में शेयरों के 100 प्रतिशत खरीद के माध्यम से आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा पूर्ण रूप से अर्जित कर लिया गया था।
- जज. वित्त मंत्रालय ने अनेक उत्पादों जिसमें वस्त्र उद्योग शामिल है, ने पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. घरेलू उद्योग और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जिन्हें संगत पाया गया, उन पर प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किया गया है :-
32. जहां तक अन्य पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि जांच शुरू करने के लिए आवेदन, नियम 23 (ख) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के तहत "विधिवत प्रमाणित" की अपेक्षा को पूरा नहीं करता, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दावों की जांच की है और इस बात से संतुष्ट होने पर जांच शुरू की है कि यह दर्शाते हुए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए गए थे कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना थी।

33. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि वर्तमान जांच बिना क्षेत्राधिकार के है क्योंकि शुल्क को जारी रखने का निर्णय पूर्व निर्णायक समीक्षा जांच में एक अन्तराल के बाद किया गया था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने के लिए दिनांक 8 अगस्त, 2016 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 43/2016 और दिनांक 31 अक्तूबर, 2021 तक संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने के लिए दिनांक 30 जून, 2021 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 39/2021 को भारत में किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा अवैध घोषित नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी को वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच करने का अधिकार और घरेलू उद्योग के पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की जांच करने का पूरा अधिकार है।
34. हितबद्ध पक्षकारों ने सीसीआई के निर्णय का उल्लेख किया है। यह नोट किया जाता है कि सीसीआई के निर्णय को अपील न्यायालय के समक्ष घरेलू उद्योग द्वारा चुनौती दी गई है और मामला न्यायाधीन है तथा इस पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं आया है। इसके अलावा, यदि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ है तो उस पर उचित कार्रवाई करना संबंधित प्राधिकारी पर निर्भर करता है। उस मामले में किसी भी निर्णय से शुल्क को जारी रखने की जरूरत की उद्देश्यपरक जांच पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को हटाने की में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के आधार पर है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार का निर्धारण करने के लिए सीसीआई द्वारा जांची गई अवधि वित्त वर्ष 2016-17 तक थी। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा जांची जा रही क्षति अवधि वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 1 अक्तूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 तक थी।
35. जहां तक मांग और आपूर्ति अन्तराल से संबंधित अनुरोध का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता देश में मांग से अधिक है और घरेलू उद्योग अपनी क्षमता में आगे *** मी. टन तक का विस्तार कर रहा है। अतः भारत में मांग आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है।
36. जहां तक 10 वर्षों से आगे शुल्क का विस्तार करने से संबंधित अनुरोध किए जाने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसी निर्णायक समीक्षा, जो की जा सकती है, उनकी संख्या और ऐसी अवधि, जिसके लिए पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया जा सकता है, उस पर तब तक कोई प्रतिबंध नहीं है, जब तक पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने के लिए कानूनी अपेक्षाएं पूरी कर ली जाती हैं।
37. जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का संबंध है कि शुल्कों का विस्तार होने से घरेलू उद्योग को एकाधिकार की स्थिति प्राप्त होगी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्कों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। संबद्ध देशों से आयात, 10 वर्षों से अधिक समय अवधि के लिए शुल्क लगाए जाने के बावजूद जारी रहे। प्रयोक्ता संबद्ध देशों से आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी, घरेलू उद्योग को उचित कीमतों पर संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयातों के साथ मुकाबला करना होगा।
38. जहां तक महंगी कच्ची सामग्रियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कटाई करने वालों (स्पिनरों) की प्रतिस्पर्धा न होने के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यात उत्पाद के निर्माण के प्रयोजन से किए गए आयातों को भारत सरकार की शुल्क छूट योजना के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से छूट प्राप्त है।
39. जहां तक प्रयोक्ताओं के अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग को अनावश्यक संरक्षण दिया जा रहा है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क एक संरक्षण नहीं है बल्कि बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक साधन मात्र है। संबद्ध देशों से उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दाखिल किया गया उत्तर स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उन्होंने भारतीय बाजार में पाटन का सहारा लिया है।
40. कतिपय उत्पादों के मामले में वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क न लगाए जाने पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध पर, एक जांच में शुल्क न लगाए जाने का यह अर्थ नहीं है कि किसी वस्तु उत्पाद पर शुल्क नहीं लगाए जा सकते। प्राधिकारी ने सभी तथ्यों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार किया है। यदि कोई शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है तो यह सभी हितबद्ध पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखने के बाद किया जाएगा। पाटनरोधी अथवा सब्सिडी रोधी शुल्कों की सिफारिश पाटन अथवा सब्सिडीकरण की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के खिलाफ की जाती है, जिनसे कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

च. गोपनीयता**च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

41. गोपनीयता के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. एशिया पैसिफिक रेयोन ने घरेलू बाजार और निर्यात बाजार के लिए प्रति यूनिट बिक्रियों की लागत की प्रवृत्ति पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया है और कोई भी सूचना प्रदान नहीं की गई है।
- ख. पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी) ने पूरे परिशिष्ट 3क को गोपनीय होने का दावा किया है। अतः आवेदक, यहां तक कि दावा किए गए समायोजन पर कोई सार्थक अनुरोध करने में असमर्थ है।
- ग. पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी) ने घरेलू बाजार अथवा अन्य देशों में बेचे गए उत्पाद और भारत को निर्यातों के बीच कुछ अंतर प्रदान किया है। उसने उत्तर को पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया है। घरेलू उद्योग यह समझने में असफल रहा है कि कैसे इनके गोपनीय होने का दावा किया गया है और यदि गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो कैसे घरेलू उद्योग अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।
- घ. आवेदक ने दिनांक 7 सितम्बर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार गोपनीयता का दावा किया है।
- ड. क्षति जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा भरोसा की गई सूचना आवेदक द्वारा प्रदान की गई है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. आवेदक ने अतिरिक्त गोपनीयता का दावा किया है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और व्यापार सूचना 10/2018, 13/2018 और 14/2018 का उल्लंघन किया है।
- ख. आवेदक ने प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों जैसे पंजीकरण प्रमाण-पत्र, उप नियमों और करार ज्ञापन की प्रति, सदस्यों की सूची इत्यादि का अगोपनीय पाठ प्रदान नहीं किया है।
- ग. आवेदकों द्वारा पर्याप्त कारणों के बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।
- घ. आवेदक ने हॉकिन्स रिपोर्ट का दावा किया है, जो कि गोपनीयता के रूप में संभावना का आधार है।
- ड. घरेलू उद्योग ने स्टेज-वार निर्माण प्रक्रिया, सामान्य मूल्य ("एनवी") की गणना का अगोपनीय सारांश, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन, घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट, एनसीवी गणना पद्धति, जिसे गैर क्षतिकारी कीमत ("एनआईपी") की गणना के लिए शामिल किया गया है, प्रदान नहीं की है।
- च. प्राधिकारी को प्रभावी विश्लेषण करने के लिए एक्सल फॉर्मेट में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आयात की मात्रा और मूल्य के आंकड़े प्रदान करने चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

43. प्राधिकारी ने नियम 6 (7) के तहत सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

44. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत यह प्रावधान है :

"गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

45. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की, जहां तक ये संगत पाए गए, प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच की गई थी और तदनुसार उन पर कार्रवाई की गई। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने के बाद आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी कारोबार संबंधी सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।
46. डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची और उन सभी के लिए उसमें अनुरोध अपलोड किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ ई-मेल करें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के चलते सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से सुलभ नहीं थी।
47. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा सौदा-वार आयातों की एक्सल फाइल के गोपनीय होने का दावा किया गया है, यह नोट किया जाता है कि आयात संबंधी आंकड़ों को साझा करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना सं. 07/2018 में विनिर्दिष्ट की गई है। इसमें प्रावधान है कि (i) घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए जाने पर अलग किए गए आयात संबंधी डाटा हार्ड कॉपी में साझा किए जा सकते हैं; और (ii) हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआई ऐंड एस से सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़ों से कच्चे लेन-देन प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी से प्राधिकार ले सकते हैं। अलग किए गए आयात संबंधी आंकड़ों की हार्ड कॉपी निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा/ वचनबद्धता के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों को सुलभ हो सकती है। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने डीजीसीआई ऐंड एस से आयात संबंधी आंकड़े प्राप्त करने का अनुरोध किया था और व्यापार सूचना सं. 07/2018 के अनुसार वचनबद्धता प्रदान की थी, उन्हें डीजीसीआई ऐंड एस से एक्सल फाइल में आयात संबंधी आंकड़े प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत किया गया था। इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संगत व्यापार सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया है और निदेशालय द्वारा आयोजित सभी जांचों में समान रूप से वही प्रक्रिया अपनाई गई है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 सामान्य मूल्य

48. अधिनियम की धारा 9 क (1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा
 - (ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश

में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

49. घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. चीन के उत्पादकों का सामान्य मूल्य तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उत्पादक यह नहीं दर्शाएं कि उनके लेखे नियमावली के नियम 7 और नियम 8, चीन एक्सेसन प्रोटोकॉल के प्रावधानों और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतें तर्कसंगत रूप से दर्शाई गई हैं।
- ख. थाइलैंड को चीन के लिए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के रूप में विचार किया जा सकता है। विगत में प्राधिकारी ने थाइलैंड को चीन के लिए एक उपयुक्त प्रतिनिधिक देश पाया है।
- ग. थाइलैंड के घरेलू बाजार में बिक्री कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि लाभकारी सौदे कुल घरेलू बिक्रियों का 1 प्रतिशत से भी कम हैं और बिक्री कीमत कारोबार का सामान्य तरीका नहीं है।
- घ. घरेलू उद्योग ने अपनी संगत संस्था थाई रेयोन पब्लिक कंपनी लिमिटेड के उत्पादन की लागत और बिक्री की कीमत के संबंध में संगत सूचना प्रदान की है।
- ङ. उपरोक्त के आधार पर निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है।
- च. यहां तक कि जब शुल्क लगाए जाते हैं तो सकारात्मक पाटन शुल्क समाप्त होने पर पाटन की संभावना को दर्शाता है।
- छ. किसी भी प्रतिवादी निर्यातक ने न तो पाटन मार्जिन की गणना के लिए पद्धति प्रदान की है और न ही अगोपनीय पाठ के उत्तर में पाटन मार्जिन की मात्रा निर्धारित की है।
- ज. निर्यातकों ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एक कार्यप्रणाली का सुझाव दिए बिना और पाटन मार्जिन की मात्रा निर्धारित किए बिना सूचना प्रदान की है।
- झ. चीन के भागीदार उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली दाखिल नहीं की है और इसीलिए यह स्पष्ट है कि उसने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।
- ञ. चीन के प्रतिवादी उत्पादक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के बाद भी ऐसी किसी अन्य कार्यप्रणाली का प्रस्ताव नहीं किया जिसे सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए अपनाया जा सके।
- ट. इंडोनेशिया के मामले में सामान्य मूल्य पर इंडोनेशिया में उत्पादन की लागत के आधार पर विचार किया जा सकता है।
- ठ. इंडोनेशिया में अधिक आपूर्ति की स्थिति होने के कारण, घरेलू उद्योग की संगत संस्था पर्याप्त लाभकारी कीमतों पर बिक्री करने में असमर्थ है।
- ड. पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन और पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस ने घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। जब एक उत्पादक उत्पादन की लागत से अधिक कीमत पर उत्पाद की बिक्री करने में असमर्थ है तो घरेलू बिक्रियों पर आधारित सामान्य मूल्य उपयुक्त नहीं है क्योंकि अन्य उत्पादकों की स्थिति हकीकत में अलग नहीं हो सकती।
- ढ. प्रतिवादी उत्पादकों ने अपनी उत्पादन की लागत को कम बताया है।
- ण. सतेरी (फुजियन) फाइबर कं. लि. और एशिया फाइबर ट्रेडिंग प्रा. लि. ने भारत के लिए अपनी निर्यात कीमत की गणना करने में ऋण लागत और पैकिंग लागत के लिए शून्य समायोजन की सूचना दी है। इसके अलावा, बैंक प्रभारों के संबंध में किसी समायोजन की सूचना नहीं दी है।
- त. पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी) के मामले में, उसके द्वारा दाखिल परिशिष्ट-1 यह दर्शाता है कि जांच की अवधि में कोई भी घरेलू बिक्रियां और अन्य देशों को निर्यात नहीं किया गया है। आवेदक यह समझ पाने में असमर्थ है कि कैसे घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया जा सकता है।
- थ. भारत को पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी) द्वारा किया गया निर्यात क्षति अवधि के दौरान नुकसान में है, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उत्पादक पाटन की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

- द. पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन बाजार में एक नया उत्पादक है और उसने अनुसंधान और विकास पर काफी व्यय किया होगा। परिशिष्ट-1 के अनुसार, उत्पादक ने अनुसंधान और विकास व्ययों के लिए समायोजन का दावा नहीं किया है।
- ध. पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन की एक संगत संस्था एशिया पैसिफिक रिसोर्सेज इंटरनेशनल होल्लिंग लिमिटेड है, जिससे कि यह कच्ची सामग्री लगदी प्राप्त करता है। तथापि, प्रश्नावली उत्तर में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जिससे कि यह दर्शाया जा सके कि कच्ची सामग्री बाजार की कीमत पर प्राप्त की गई है।
- न. उत्तर में दावा किए गए अनुपयुक्त और अपर्याप्त समायोजना के कारण पाटन मार्जिन को कम करके बताया जा सकता है।
- प. भारत और अन्य देशों के लिए निर्यातों की कीमत प्रवृत्ति में काफी अन्तर है। जब उत्पाद पर पहले ही पाटनरोधी शुल्क लगाया गया हो तो ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि क्यों उत्पादक अन्य देशों की तुलना में भारत को अधिक कीमत पर निर्यात करेगा। यह केवल यही दर्शाता है कि उत्पादकों ने इनवाँयस के बाद छूट दी है।
- फ. निर्यात कीमत के समायोजन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्रतिवादी पक्षकार को, आवेदक के अगोपनीय पाठ में दिए जाने के बावजूद, निवल निर्यात कीमत की गणना करने के लिए अपनाई गई कार्य-प्रणाली की जानकारी नहीं है।
- ब. निर्यात कीमत को सामान्य मूल्य बताने पर आवेदक ने इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण करने के लिए तीसरे देश की कीमतों को नहीं अपनाया/ प्रस्ताव किया है।

छ.3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

50. जांच की अवधि के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. यदि आवेदक ने आवश्यक समायोजनों के साथ उत्पाद के आयात के सीआईएफ कीमत के आंकड़ों पर प्रयोग किया होता, तो इसके परिणामस्वरूप इंडोनेशिया के लिए कोई पाटन मार्जिन नहीं होता।
- ख. निर्यात कीमत के आधार पर गणना का स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है।
- ग. आवेदक ने आंकड़ों का चयन मनमाने ढंग से किया है और यह अनुचित है।
- घ. किसी तीसरे देश की निर्यात कीमत का उपयोग अनुच्छेद 2.2 एडीए के खिलाफ है, जो यह दर्शाता है कि 'निर्मित सामान्य मूल्य पद्धति' के लिए तीसरे देशों की निर्यात कीमत का उपयोग किया गया है।
- ङ. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर (ईक्यूआर) में पाटन मार्जिन प्रणाली प्रदान करने की कोई अपेक्षा नहीं है।
- च. निर्यातकों ने अपनी घरेलू बिक्रियों, उत्पादन की लागत और भारत को निर्यातों के संबंध में सभी अपेक्षित सूचना प्रदान की है।
- छ. निर्यात कीमत के समायोजनों के संबंध में किए गए दावों के बारे में, पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन और एशिया फाइबर ट्रेडिंग प्रा. लि. ने सभी समायोजनों और पैकिंग लागत समायोजन नहीं है।
- ज. एशिया फाइबर ट्रेडिंग लि. के लिए कोई भी ऋण लागत समायोजन और पैकिंग लागत समायोजन नहीं किया गया है।
- झ. पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन ने अपने सभी संगत पक्ष सौदे निष्पक्ष रूप से किए हैं।
- ञ. एशिया फाइबर ट्रेडिंग लि. की निर्यात कीमतों पर भरोसा किया जाना चाहिए क्योंकि सभी निर्यात इसके द्वारा ही किए जाते हैं।
- ट. भारत और अन्य देशों को निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद की प्रति यूनिट औसत कीमत के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- ठ. एक उपयुक्त प्रतिनिधिक देश के रूप में थाइलैंड पर विचार करने के बाद देश और उत्पाद के विकास के स्तर की प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए।
- ड. यह दावा कि चीन के उत्पाद गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन करते हैं, बिना किसी साक्ष्य के है।

छ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

51. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म और तरीके से सूचना प्रदान करने का परामर्श दिया गया। संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं :-

- क. सतेरी (फुजियन) फाइबर कं. लि. चीन जन. गण.
- ख. बिरला जिंगवेई फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
- ग. पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन, इंडोनेशिया
- घ. पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी), इंडोनेशिया
- ड. पीटी इंडो भारत रेयोन, इंडोनेशिया
- च. एशिया फाइबर ट्रेडिंग प्रा. लि., सिंगापुर (ट्रेडर्स)

रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि बिड़ला जिंगवेई फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. और पी.टी. इंडो भारत रेयोन, इंडोनेशिया ने जांच की अवधि में भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। अतः प्राधिकारी ने दोनों उत्पादकों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है।

छ.4.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

52. प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में तिमाही पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान कच्ची सामग्री की कीमतों और विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव है। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणनाओं में अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक की तिमाही पर विचार नहीं किया है क्योंकि इस तिमाही के दौरान भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन था।

चीन जन. गण.

53. डब्ल्यूटीओ में चाइनीज एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं: “जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

“क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है :

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14 (क), 14 (ख), 14 (ग) और 14 (घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने

में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (III) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

54. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो चुके हैं, एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) के तहत बाध्यता के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में विनिर्दिष्ट मापदंड अपेक्षित है, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का दावा करने पर अनुपूरक प्रश्नावली में दान किए जाने हेतु सूचना/ डेटा के माध्यम से पूरा किया जाना है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्धारित फार्म में और निर्धारित तरीके से एमईटी/ अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के तहत की जानी अपेक्षित है।
55. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के डेटा/ सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का दावा किया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया जहै, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता है :

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

56. आवेदक ने जांच शुरुआत की अवस्था में थाइलैंड में उत्पादन की लागत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का प्रस्ताव किया था। आवेदक द्वारा यह दावा किया गया है कि प्राधिकारी ने विगत कई जांचों में थाइलैंड को चीन जन. गण. के लिए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार किया है। घरेलू उद्योग ने उत्पादन की लागत और अपनी संगत संस्था थाई रेयोन पब्लिक कंपनी लि., थाइलैंड की बिक्री कीमत के संबंध में संगत सूचना प्रदान की है। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि *** प्रतिशत घरेलू बिक्रियां हानि अर्जित कर रही हैं और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण तर्कसंगत प्रतिफल को जोड़ने के बाद उत्पादन की लागत के आधार पर किया जाना चाहिए। यहां तक कि घरेलू उद्योग ने अपनी संगत संख्या के उत्पादन की लागत के संबंध में सूचना प्रदान की है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचार किए गए एक देश के लिए सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार की जानी अपेक्षित है। वर्तमान मामले में, चूंकि किसी निर्यातक ने अनुपूरक प्रश्नावली दाखिल नहीं की है, अतः नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के तहत विकल्पों की तलाश की जानी आवश्यक है। पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुक्रम दिया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर अथवा ऐसे किसी

तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए अथवा जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर किया जाना चाहिए जिसमें विधिवत समायोजन करके यदि एक तर्कसंगत लाभ को मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यक हो, समान उत्पादन के लिए भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत शामिल है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध 7 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न क्रमगत विकल्पों को ध्यान में रखते हुए किया जाना अपेक्षित है। थाइलैंड में सामान्य मूल्य उपरोक्त कारणों से थाइलैंड में लागत अथवा कीमत के आधार पर निर्मित नहीं किया जा सकता। थाइलैंड से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत भी इस तथ्य को देखते हुए इस प्रयोजन के लिए संभव नहीं है कि डब्ल्यूटीए डेटा में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और एनपीयूसी (फाइबर को छोड़कर) का कोई विभाजन उपलब्ध नहीं है। इसे देखते हुए, चूंकि थाइलैंड से भारत को निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद की कीमत के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है, अतः प्राधिकारी थाइलैंड से भारत को निर्यात की गई कीमत को अपनाते हैं, जिस पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया जा सके। यह नोट किया जाता है कि जबकि चीन जन. गण. के पास 2500 मी. टन अर्थात् जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का 10 प्रतिशत है, इसी प्रकार के आयात थाइलैंड से हैं, जो 3698 मी. टन हैं, जिसमें भारत में कुल आयातों का 15 प्रतिशत शामिल है। चूंकि थाइलैंड एक गैर-संबद्ध देश है, जिस पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है और आयात की मात्रा काफी महत्वपूर्ण है। थाइलैंड से सीआईएफ कीमत प्रतिनिधिक प्रकृति की है। अतः चीन जन.गण. से सामान्य मूल्य का निर्धारण, थाइलैंड से भारत में आयात कीमत के आधार पर किया गया है।

58. सामान्य मूल्य की गणना करने के प्रयोजन से थाइलैंड से भारत को आयात कीमत को कारखाना बाह्य कीमत निकालने के लिए समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा और बंदरगाह प्रभार, बैंक प्रभार आदि के संबंध में अन्य समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

इंडोनेशिया

पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन (एपीआर), इंडोनेशिया

59. पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में शामिल है और उसने सीधे घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। जांच की अवधि के दौरान, उत्पादन में असंबद्ध और संबद्ध पक्षकारों को घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच आयोजित की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण किया जा सके। उत्पादक द्वारा प्रस्तुत संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत की विधिवत पुष्टि की गई थी और उसे सामान्य व्यापार जांच आयोजित करने के लिए अपनाया गया है। प्राधिकारी ने संबद्ध पक्षकारों से कच्ची सामग्री (लकड़ी की लुगदी) की खरीद के व्यौरों की भी जांच की है और स्वयं को संगत पक्षकारों के बीच निष्पक्ष कीमत के संबंध में संतुष्ट किया है। प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या लाभकारी सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं अथवा नहीं। यदि लाभकारी सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदे सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किए जाने हैं और यदि लाभकारी सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं तो केवल लाभकारी घरेलू बिक्रियां ही सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में शामिल की जानी हैं। वर्तमान जांच में लाभकारी सौदे जांच की अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए 80 प्रतिशत से कम थे और इसीलिए केवल लाभकारी सौदों पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है। एपीआर ने स्वदेशी परिवहन, समुद्री मालभाड़ा और बीमा के लिए समायोजनों का दावा किया है और इसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है।

60. तदनुसार, कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पीटी. साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी), इंडोनेशिया

61. पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी) इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं की सीधे बिक्री की है। जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक ने असंगत और संगत पक्षकारों को घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ लाभकारी घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण करने के लिए सामान्य व्यापार जांच आयोजित की है। उत्पादक द्वारा प्रस्तुत संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत की विधिवत पुष्टि की गई थी और इसे सामान्य व्यापार जांच आयोजित करने के लिए अपनाया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि लाभकारी सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाना है और यदि लाभकारी सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभकारी बिक्रियों पर ही विचार किया जाना है। वर्तमान मामले में

लाभकारी बिक्रियां जांच की अवधि की प्रथम तिमाही के लिए 80 प्रतिशत से कम थी और इसीलिए केवल लाभकारी सौदों पर ही सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है। एसपीवी ने ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया है और उसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

62. तदनुसार, कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

इंडोनेशिया में सभी अन्य असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक

63. इंडोनेशिया के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रतिवादी उत्पादकों के सामान्य मूल्य के आधार पर लिया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

छ.4.2 निर्यात कीमत

चीन जन.गण.

सतेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि., चीन जन. गण.

64. सतेरी (फुजियान) कं. लि., जो चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है, ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। जांच की अवधि के दौरान सतेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि. ने सीधे भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। उत्पादक ने अपेक्षित फॉर्मेट में सभी संगत सूचना प्रदान की है। सतेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि. ने समुद्री मालभाड़ा, स्वदेशी मालभाड़ा, बंदरगाह और संगत व्यय, बीमा और बैंक प्रभार के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और इसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। इनवायस के पश्चात की छूट जारी करने के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी ने सतेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि. से संगत सूचना की मांग की है और यह पाया है कि कंपनी द्वारा भारतीय ग्राहकों को ऐसी कोई इनवायस के पश्चात की छूट का पालन नहीं किया गया है। तदनुसार, सतेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि., चीन जन. गण. के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण दावा किए गए समायोजनों की अनुमति के बाद किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

चीन में सभी अन्य असहयोगी उत्पादक

65. सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

इंडोनेशिया

पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन, इंडोनेशिया

66. पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन, जो इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है, ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। जांच की अवधि के दौरान, पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन के अपने एक संगत कंपनी एशिया फाइबर ट्रेडिंग प्रा. लि., सिंगापुर के ज़रिए भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। एशिया फाइबर ट्रेडिंग प्रा. लि. ने भी वर्तमान जांच में भाग लिया है और अपेक्षित फॉर्मेट में सभी संगत सूचना प्रदान की है। पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन और एशिया फाइबर ट्रेडिंग प्रा. लि. ने इंडोनेशिया में बंदरगाह हैंडलिंग प्रभारों, समुद्री मालभाड़ा, बीमा, हैंडलिंग व्ययों के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और उसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। प्राधिकारी ने एसजीए व्यय और एशिया फाइबर ट्रेडिंग प्रा. लि. के लाभ के लिए कटौती भी की है ताकि कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निकाली जा सके। इनवायस के पश्चात की छूट जारी करने के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध पर प्राधिकारी ने पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन और एशिया फाइबर ट्रेडिंग प्रा. लि. से संगत सूचना की मांग की है और यह पाया कि भारतीय ग्राहकों को उनके द्वारा ऐसी कोई इनवायस के पश्चात की छूट का प्रस्ताव नहीं किया गया है। तदनुसार पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन, इंडोनेशिया के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण, दावा किए गए समायोजन की अनुमति प्रदान करने के बाद किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पीटी, साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी), इंडोनेशिया

67. पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी), जो कि इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है, ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। जांच की अवधि के दौरान, पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी) ने भारत को सीधे संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। उत्पादक ने संगत सूचना प्रदान कर दी है। पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी) ने

समुद्री मालभाड़ा, स्वदेशी मालभाड़ा और ऋण लागतों के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और इसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इनवायस के पश्चात की छूट जारी करने के संबंध में घरेलू उद्योग पर, प्राधिकारी ने पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी) से संगत सूचना की मांग की है और यह पाया कि भारतीय ग्राहकों को कंपनी द्वारा ऐसी किसी इनवायस के पश्चात की छूट का प्रस्ताव नहीं किया गया है। तदनुसार पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी), इंडोनेशिया के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण, दावा किए गए समायोजनों की अनुमति देने के बाद किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

इंडोनेशिया में सभी अन्य असहयोगी उत्पादक

68. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण प्रतिवादी उत्पादकों की निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है और इसका नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

छ.4.3 पाटन मार्जिन

69. उपरोक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. और इंडोनेशिया, दोनों के लिए पाटन मार्जिन, नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

तिमाही-वार पाटन मार्जिन :

सतेरी (फुजियन) फाइबर कं. लि.					
तिमाही	मात्रा- कि. ग्रा.	निर्यात कीमत (यूएस डा.)	निर्यात कीमत (यूएस डा. प्रति मी. टन)	एनवी (यूएस डा. प्रति मी. टन)	पाटन मार्जिन यूएस डा.
अक्तू. - दिस. 2019	***	***	***	***	***
जन. - मार्च 2020	***	***	***	***	***
जुलाई - सित. 2020	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***
पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन					
तिमाही	मात्रा- कि. ग्रा.	निर्यात कीमत (यूएस डा.)	निर्यात कीमत (यूएस डा. प्रति मी. टन)	एनवी (यूएस डा. प्रति मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डा.)
जन - मार्च 2020	***	***	***	***	***
जुलाई - सित. 2020	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***

पीटी.साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी)					
तिमाही	मात्रा-कि. ग्रा.	निर्यात कीमत (यूएसडा.)	निर्यात कीमत (यूएस डा. प्रति मी. टन)	एनवी (यूएस डा. प्रति मी.टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डा.)
अक्तू. - दिस. 2019	***	***	***	***	***
जन. - मार्च 2020	***	***	***	***	***
जुलाई - सित. 2020	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
		यूएस डा./ मी. टन	यूएस डा./ मी. टन	यूएस डा./ मी. टन	%	%
1	चीन जन. गण.					
क	सतेरी (फुजियन) फाइबर कं. लिमिटेड	***	***	***	***	10-20%
ख	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30%
2	इंडोनेशिया					
क	पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन	***	***	***	***	15-25%
ख	पीटी. साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी)	***	***	***	***	30-40%
ग	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	60-70%

70. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन बहुत ही महत्वपूर्ण और न्यूनतम से अधिक है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

71. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं :

- संबद्ध वस्तुओं की कच्ची सामग्री की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव है, जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में भी पर्याप्त उतार-चढ़ाव आया है। आवेदक प्राधिकारी से आंकड़ों का तिमाही विश्लेषण करने पर विचार करने का अनुरोध करता है।
- भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग 2019-20 तक बढ़ी है लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- 10 वर्षों के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा काफी अधिक है।

- iv. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई है लेकिन वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है।
- v. उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में 2018-19 में वृद्धि हुई है लेकिन 2019-20 में गिरावट आई है और जांच की अवधि में समान स्तर पर रही हैं।
- vi. घरेलू उद्योग ने विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत कीमतों के संबंध में उत्पाद की बिक्री की है।
- vii. कीमत कटौती 2019-20 की चौथी तिमाही में सकारात्मक है और अन्य तिमाहियों में नकारात्मक है।
- viii. आवेदक भारत में विस्कोस स्पन यार्न के बढ़ते आयातों को देखते हुए अपनी कीमतों में कटौती करने पर विवश था। विस्कोस स्पन यार्न के बढ़ते आयातों से विस्कोस स्पन यार्न के ऐसे उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री पर प्रभाव पड़ा, जो काफी छोटी कंपनियां हैं, जिनकी आयात प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कम योग्यता है। घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में कटौती करनी पड़ी थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विस्कोस स्पन यार्न उत्पादक अपना उत्पादन और बिक्रियां जारी रखें।
- ix. घरेलू उद्योग की कीमत और यार्न की आयात कीमत में जांच की अवधि की अन्तिम तिमाही में तेजी से गिरावट आई है।
- x. जांच की अवधि में बिक्री कीमतों में गिरावट, बिक्रियों की लागत में गिरावट से काफी अधिक थी, जो कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण थी।
- xi. घरेलू उद्योग आयात कीमतों के साथ अपनी कीमतों को समायोजित करने पर विवश हुआ है। इस प्रकार आयातों के कारण कीमत पर दबाव पड़ा है।
- xii. घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है और अब घरेलू उद्योग के पास देश में समग्र मांग की पूर्ति करने की क्षमता है।
- xiii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में वर्ष 2019-20 तक वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में तीव्र गिरावट आई है।
- xiv. उत्पादन और बिक्रियों में गिरावट मांग में गिरावट आने के कारण नहीं हो सकती क्योंकि घरेलू उद्योग के पास निष्क्रिय क्षमता थी और यदि भारत में पाटित आयातों की कोई मांग नहीं होती तो अधिक उत्पादन और बिक्री हो सकती थी।
- xv. इसके रिकॉर्ड में सूचित मानी गई निर्यात बिक्रियां वास्तव में मानी गई निर्यात बिक्रियां नहीं हैं और वे बिक्रियां, जहां फाइबर की यार्न रूप में खपत हुई है, जिसका निर्यात किया गया है और यार्न के उत्पादक ने निर्यात लाभ लिया है। अतः इन्हें घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों के रूप में माना जाए।
- xvi. संबद्ध देश से पाटित आयातों के बाजार अंश में वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग को गिरावट आई है।
- xvii. सस्ती कीमतों पर यार्न के आयात में तीव्र वृद्धि होने के कारण, और संबद्ध वस्तुओं के आयातों कारण घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में बिक्री करने में असमर्थ है और इसीलिए निर्यात किए हैं।
- xviii. घरेलू उद्योग यार्न उत्पादकों को कम कीमत पर उत्पाद की बिक्री कर रहा है ताकि वे वैश्विक भागीदारों की तुलना में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकें।
- xix. घरेलू उद्योग आधार वर्ष में और अगले वर्ष तर्कसंगत लाभ अर्जित कर रहा था। चूंकि पहुंच कीमतों में वर्ष 2019-20 में गिरावट आई, लाभों में गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में आगे गिरावट आई है।
- xx. घरेलू उद्योग के प्रति यूनिट लाभ में विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में *** प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है और आधार वर्ष की तुलना में *** प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।
- xxi. वर्ष 2018-19 में औसत इन्वेंट्री में गिरावट आई है लेकिन वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई है तथा जांच की अवधि में आगे वृद्धि हुई है।

- xxii. घरेलू उद्योग का विकास 2019-20 तक उत्पादन और बिक्रियों जैसे मात्रात्मक मापदंडों में सकारात्मक है लेकिन जांच की अवधि में नकारात्मक है। कीमत मापदंड जैसे लाभ, व्यास और कर पूर्व लाभ, नकदी लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2018-19 में सकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं और 2019-20 तथा जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं।
- xxiii. थाइलैंड से आयातों में वृद्धि के अनुरोध पर, यह अवगत कराया जाता है कि थाइलैंड से आयात संबद्ध देशों से आयातों में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना में काफी अधिक कीमत के हैं। अतः थाइलैंड से आयात क्षति का कारण नहीं हो सकता।
- xxiv. निर्यात बाजार में लाभ घरेलू बाजार से अधिक थे लेकिन घरेलू उद्योग ने जब कम लाभ अर्जित किया तो भी वह निर्यात करने के लिए विवश था।
- xxv. आर्थिक संकेतकों में नकारात्मक रिपोर्ट के संबंध में, जो कि वार्षिक रिपोर्ट के प्रतिकूल है, यह अनुरोध किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट में सूचित लाभप्रदता और बिक्री मूल्य विस्कोस घटक के संबंध में है, जिसमें अन्य उत्पाद जैसे निकाले गए विस्कोस स्टेपल फाइबर, विस्कोस फिलामेंट यार्न और लुगदी शामिल है।
- xxvi. विश्लेषण में अवधि के असंगत उपयोग के संबंध में अनुरोध पर यह अवगत कराया जाता है कि सभी क्षति संबंधी आकड़े निर्धारित फार्म में और निर्धारित तरीके से प्रदान किए गए हैं। नियम में यह प्रावधान नहीं है कि क्षति विश्लेषण करने के लिए किस अवधि पर विचार किया जाए।
- xxvii. इस अनुरोध पर कि इंडोनेशिया से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे हैं, यह अवगत कराया जाता है कि कीमत कटौती वर्ष 2019-20 में *** प्रतिशत अधिक थी और मात्रा भी काफी अधिक थी। सकारात्मक कीमत कटौती वाले आयातों की मात्रा जांच की अवधि में काफी अधिक है।
- xxviii. कैप्टिव बिक्रियों में वृद्धि के अनुरोध पर, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की नगण्य कैप्टिव बिक्रियां हैं और जांच की अवधि में वृद्धि अत्यन्त कम है, जो घरेलू बिक्रियों और निर्यात बिक्रियों में कटौती का कारण नहीं सकता है।
- xxix. इस अनुरोध पर कि संबद्ध वस्तुओं की कीमत कच्ची सामग्री की कीमत के आधार पर है, यह अवगत कराना है कि संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में गिरावट लकड़ी की लुगदी की कीमतों में गिरावट से अधिक है।
- xxx. इस अनुरोध पर कि जांच की अवधि में क्षति वैश्विक लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण से है, यह कहना है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई और उत्पादन व बिक्रियों में बाद में वृद्धि हुई है। मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट दर्शाई गई है।
- xxxi. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में 2019-20 से गिरावट आनी शुरू हुई है और आगे जांच की अवधि में भी गिरावट आई है। यह गिरावट वर्ष 2019-20 में काफी तीव्र थी। जांच की अवधि के तिमाही-वार विश्लेषण से यह पुष्टि होती है कि लाभप्रदता वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में काफी कम थी, जो कि कोविड-19 की अवधि के अन्तर्गत नहीं आती।
- xxxii. इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग में पूरी तरह से पिछली एकीकरण (बैकवार्ड इंटीग्रेशन) है, यह कहना है कि घरेलू उद्योग के हरिहर संयंत्र के पास अपनी लुगदी है और इस संयंत्र का उत्पादन संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन में केवल *** प्रतिशत है, अतः यह तर्क कि घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता पिछला एकीकरण शामिल है, जिसमें समग्र इनपुट का 80 प्रतिशत तथ्यात्मक रूप से गलत है।
- xxxiii. घरेलू उद्योग ने केवल यह कहा है कि उसके दो संयंत्र विलायक और खराच, जहां से निर्यात किए जाते हैं, विश्व में सबसे कम लागत के उत्पादन संयंत्र हैं और उसने यह नहीं कहा कि ग्रेसिम विश्व में सबसे कम लागत के उत्पादन भागीदारों में शामिल हैं।
- xxxiv. इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग ने क्षति के बावजूद अपनी क्षमता में विस्तार किया है, यह कहना है कि घरेलू उद्योग ने कभी भी यह दावा नहीं किया है कि उसने हमेशा क्षति का सामना किया है। यह तर्क दर्शाता है कि उद्योग को, जब मांग में वृद्धि हो रही हो तो अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए।

- xxxv. क्षमता में वृद्धि होने के कारण इन्वेन्ट्री बढ़ने के संबंध में यह कहना है कि उत्पाद की बिक्री करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप इन्वेन्ट्री बढ़ रही है, जो कि क्षमता से संबद्ध नहीं है लेकिन उत्पादन और बिक्रियों से संबद्ध है।
- xxxvi. इस अनुरोध पर कि जुलाई से सितम्बर, 2020 में नुकसान विभिन्न कारणों की वजह से है, यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने जुलाई से सितम्बर, 2020 में नुकसान नहीं उठाया यद्यपि वर्ष 2019-20 की तुलना में कार्य-निष्पादन में गिरावट आई।
- xxxvii. अप्रैल से जून 2020 की तिमाही में हुआ नुकसान कोविड-19 के चलते मांग में कमी आने के कारण से है और प्राधिकारी उपयुक्त रूप से निर्णय ले सकते हैं कि कैसे क्षति जांच करते समय कोविड-19 के प्रभाव का सामना करें।
- xxxviii. इस अनुरोध पर कि कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, यह कहना है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयात कीमत के साथ परिवर्तित हुई है न कि उत्पादन की लागत के साथ। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को निष्पादन में लाभ, निवेश पर प्रतिफल और नकदी प्रवाह के संबंध में तीव्र गिरावट आई है।
- xxxix. इस अनुरोध पर कि सभी मामलों में मानकीकरण किया जाना चाहिए, नियमों का सामान्य पठन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन क्षमताओं के उपयोग में केवल अक्षमताओं को, एनआईपी की गणना करते समय हटाया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग को सरकारी आदेशों के कारण संयंत्र को बंद करने के संबंध में दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यह घरेलू उद्योग की ओर से अक्षमता नहीं है।
- xl. इस अनुरोध पर कि जांच की अवधि में निष्पादन में गिरावट मूल्यहास में वृद्धि के कारण से है, यह कहना है कि पीबीआईटी भी पीबीटी के रूप में इसी प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाता है, जिसमें क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- xli. इस अनुरोध पर कि निकाले गए उत्पाद लाभ दर्शाएंगे, यह कहना कि निकाले गए उत्पादों में कार्य-निष्पादन नकारात्मक है और घरेलू उद्योग इसमें नुकसान का सामना कर रहा है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

72. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

- i. आवेदन में घरेलू उद्योग के आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में एक नकारात्मक रिपोर्ट दर्शाई गई है, जो कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के काफी विपरीत है।
- ii. घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण निर्यात बिक्री निष्पादन में गिरावट आना और अन्य आर्थिक कारकों का होना था।
- iii. आवेदक ने क्षति विश्लेषण में अवधियों के अनिर्ंतर उपयोग को अपनाया है, जिससे घरेलू उद्योग को हुए नुकसानों का विश्लेषण करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के लिए यह कठिन है।
- iv. इंडोनेशिया के लिए, यहां तक कि पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना भी कीमत कटौती -5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत थी। इंडोनेशिया से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हुई।
- v. कीमत कटौती नकारात्मक है।
- vi. अन्य देशों से आयात की मात्रा में संबद्ध देशों की तुलना में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया एक क्षति कारक के रूप में उनका विश्लेषण करें।
- vii. कैप्टिव बिक्रियों में पर्याप्त सृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बिक्रियों और निर्यात बिक्रियों में गिरावट है।
- viii. संबद्ध वस्तुओं की कीमत कच्ची सामग्री की कीमत के आधार पर है। कच्ची सामग्री की कीमत में वैश्विक रूप से गिरावट आई है।
- ix. आयातों की वृद्धि के लिए कारण यह है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमत असमानता के कारण अन्तिम उपभोक्ताओं को आयात करने पर विवश कर रहा है।
- x. घरेलू उद्योग को उच्च स्तर की लाभप्रदता प्राप्त हो चुकी है। लाभप्रदता में गिरावट होना एक मामूली सी गिरावट है।

- xi. जांच की अवधि के दौरान कारोबार में मंदी आने का कारण वैश्विक रूप से संबद्ध वस्तुओं के लिए कम मांग होना है।
- xii. घरेलू उद्योग विश्व में सबसे एकीकृत और प्रतिस्पर्धी उत्पादकों में शामिल है और इसकी क्षमता में पिछला एकीकरण (बैकवार्ड इंटीग्रेशन) शामिल है, जिसमें समग्र इनपुट लागत का 80 प्रतिशत शामिल है। प्रमुख कच्ची सामग्रियां उनके कैप्टिव स्रोत से हैं।
- xiii. घरेलू उद्योग ने अपने एक निवेशक की कांग्रेस काल में यह कहा था कि उनकी उत्पादन की लागत विश्व में सबसे कम है और वह लागत लाभ के कारण चीन के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है।
- xiv. घरेलू उद्योग दशकों से सबसे अधिक लाभ कमा रहा था और अपनी एकाधिकार की उपस्थिति का दुरुपयोग करने के लिए अनुचित प्रक्रिया का उपयोग कर रहा था।
- xv. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों ने 2019-20 तक वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई है और जांच की अवधि में गिरावट की प्रवृत्ति का कारण केवल कोविड-19 का प्रभाव था।
- xvi. घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का निरंतर उपयोग कर रहा है और अपने संयंत्र को करीब 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग के साथ चला रहा है, लेकिन क्षति का दावा करता रहा है।
- xvii. भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में कुछ आयातों में गिरावट आ रही है।
- xviii. घरेलू उद्योग एक भेदभावपूर्ण कीमत नीति अपना रहा है, जिसमें कि वह घरेलू कीमतों और संबद्ध देशों से आयातित कीमतों के बीच एक अन्तर पैदा कर रहा है।
- xix. घरेलू उद्योग स्वयं ही 22 से 30 प्रतिशत कम कीमत पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री कर रहा है। अतः वे किसी क्षति का दावा नहीं कर सकते क्योंकि वे स्वयं ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पाटन कर रहे हैं।
- xx. यहां तक कि कम मांग के दौरान, संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्रियां स्थिर रही हैं।
- xxi. घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वीएसएफ के कारोबार ने वित्त वर्ष 2020 में अच्छा प्रचालनात्मक निष्पादन किया है।
- xxii. घरेलू उद्योग का उत्पादन मांग में वैश्विक मंदी के बाद भी स्थिर है।
- xxiii. घरेलू बिक्रियां समग्र जांच की अवधि के दौरान और विगत 3 वर्षों के दौरान, वैश्विक मांग में गिरावट के बावजूद स्थिर है।
- xxiv. घरेलू उद्योग का बाजार अंश स्थिर है क्योंकि इन वर्षों के दौरान वे कीमत भेदभाव की नीति का अनुसरण कर रहे थे और विभिन्न क्रेताओं के लिए विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे थे।
- xxv. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते।
- xxvi. घरेलू उद्योग की इन्वेन्ट्री निरंतर क्षमता बढ़ने और संबद्ध वस्तुओं की मांग में कमी आने के कारण बढ़ रही है।
- xxvii. इन्वेन्ट्री में वृद्धि अपने आप में क्षति का एक संकेतक है और खराब आर्थिक निष्पादन है।
- xxviii. घरेलू उद्योग की कर्मचारी संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है जबकि इन कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन तेजी से बढ़ रहे हैं। कमी होना प्रबंध रणनीति हो सकती है और क्षति को नहीं दर्शाती।
- xxix. घरेलू उद्योग का विकास सकारात्मक है और वर्ष 2019-20 तक पर्याप्त है तथा जांच की अवधि में कोई गिरावट कोविड-19 स्थिति के कारण है।
- xxx. घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में विभिन्न जगहों पर यह स्वीकार किया है कि संबद्ध वस्तुओं में उसकी वृद्धि आश्चर्यजनक और असमान है।
- xxxi. जून-सितंबर, 2020 की अवधि के दौरान हुई हानि पर क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह अभूतपूर्व है और कथित पाटन से संबद्ध नहीं है।
- xxxii. घरेलू उद्योग क्षति और पाटित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित करने में विफल रहा है।

- xxxiii. घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को स्वीकार किया है।
- xxxiv. जैसा कि प्राधिकारी द्वारा हाल ही में समाप्त पाटनरोधी जांच में विश्लेषण किया है, विस्कोस स्पन यार्न के बढ़ते आयात भी यह दर्शाते हैं कि घरेलू विस्कोस स्पन यार्न उत्पादकों के लिए कच्ची सामग्री विस्कोस स्टेपल फाइबर की कम आपूर्ति है।
- xxxv. फार्मेट IV क में आयातों के संबंध में आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना और कीमत कटौती स्पष्ट नहीं है कि क्या यह सभी प्रकार के वीएसएफ अथवा विशेषकर विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है।
- xxxvi. वर्तमान जांच की अवधि के आधार पर वर्तमान क्षति का आकलन क्षति की संभावना का गैर-प्रतिनिधिक होगा, क्योंकि यह कोविड-19 के कारण था।
- xxxvii. कुल क्षमता, कुल उत्पादन, कुल बिक्रियों जैसे महत्वपूर्ण मात्रात्मक मापदंडों में सभी में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- xxxviii. घरेलू उद्योग वर्टिकली इंटीग्रेटेड है और संबद्ध वस्तुओं की मर्चेट बिक्रियों में गिरावट इसके कारोबारी निर्णयों के फलस्वरूप हो सकती है ताकि इसकी कैप्टिव खपत में वृद्धि हो और डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर केन्द्रित हो।
- xxxix. घरेलू उत्पादन में गिरावट ग्रेसिम के उत्पादन पोर्टफोलियो के पुनःवितरण और संबद्ध देशों में इसकी संगत संस्थाओं के कारण भी हो सकती है।
- xl. घरेलू उद्योग का दावा कि वह आवेदन में प्रदान किए गए आकड़ों के प्रतिकूल आयात होने के कारण अपनी कीमतों में कमी करने पर मजबूर था।
- xli. अनुबंध-III यह नहीं कहता कि मानकीकरण तभी किया जाना चाहिए जब जांच की अवधि में प्रदान की गई कमतर क्षमता घरेलू उद्योग की “अक्षमता” के कारण हो।
- xlii. जांच की अवधि में हुई क्षति मूल्यहास लागत और व्यास लागत में अचानक वृद्धि के कारण है, जो संबद्ध देशों से आयातों से आयातों के कारण नहीं हो सकती।
- xliii. वीएसएफ के आयातों पर लगाए गए उच्च पाटनरोधी शुल्क के कारण, बुनकरों ने वीएसवाई के आयातों में वृद्धि की है। वीएसवाई के आयातों में अब वृद्धि हुई और वीएसएफ से अधिक हैं।
- xliv. आवेदक यह दर्शाने के लिए समर्थ नहीं हो पाया है कि घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति हुई है, जिसके सकारात्मक साक्ष्य हैं, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के तहत यथा अपेक्षित है।
- xlv. कथित पाटित आयातों का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं है। आयातों की मात्रा में पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है, जिसमें जांच की अवधि में काफी गिरावट है।
- xlvi. घरेलू उद्योग पर कथित पाटित आयातों का कोई नकारात्मक कीमत प्रभाव नहीं है। संबद्ध देशों के लिए समग्र कीमत कटौती नकारात्मक है। कोई भी कीमत हास अथवा गिरावट नहीं है।
- xlvii. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बिक्रियों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता और निवेशों पर प्रतिफल के संबंध में काफी वृद्धि देखी है।
- xlviii. नकदी प्रवाह, इन्वेन्ट्री, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता के संबंध में कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं है क्योंकि ऐसे सभी मापदंडों में या तो क्षति जांच की अवधि में निरंतर सुधार देखा गया है या कोविड-19 महामारी से काफी बाधा अपने के बावजूद सकारात्मक है।
- xlix. ग्रेसिम निकाले गए उत्पाद टाइप में काफी अधिक निष्पादन कर रहा है।
- I. जांच की अवधि के आधार पर आकलन प्रतिनिधिक रहेगा क्योंकि इसमें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते प्रभावित 6 माह शामिल हैं।
- ii. अग्रिम अधिकरण के तहत आयातों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये मूल्यवर्धित उत्पादों के रूप में पुनः निर्यातों के लिए हैं।

- lii. आयातों का बाजार अंश वर्षों के दौरान काफी कम हो गया है और घरेलू उद्योग का अंश बढ़ गया है।
- liii. घरेलू उद्योग के निर्यात में वृद्धि हुई है क्योंकि वे अपने विशेष उत्पादों पर बेहतर मार्जिन चाहते हैं न कि वीएसएफ की घरेलू तौर पर बिक्री करने की असमर्थता के कारण।
- liv. निवेशों को जुटाने की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ सका है क्योंकि ग्रेसिम क्रिसिल और इंडिया रेटिंग के अनुसार एक टॉप रेटेड कंपनी है।
- lv. एशियन एफटीए के तहत शून्य बुनियादी सीमा शुल्क के लिए एक विकल्प के रूप में शुल्क नहीं लगाए जा सकते।
- lvi. घरेलू उद्योग की मानी गई निर्यात कीमत नीति, जिसमें कि वे छूट देने का दावा करते हैं, उद्योग के विकास के लिए योगदान नहीं है।
- lvii. ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, एक एएए रेटेड कंपनी, जिसका निवल मूल्य 40,000 करोड़ रु. से अधिक है, ने अपनी कार्यशील पूंजी सीमा का उपयोग नहीं किया है और यह कहना गलत है कि पूंजी जुटाने के लिए उनकी क्षमता पर प्रभाव पड़ा है।
- lviii. घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता काफी बैकवर्ड इंटिग्रेटेड है, जिसमें करीब 80 प्रतिशत इनपुट लागत शामिल है। 60 प्रतिशत लुगदी कैप्टिव है और 40 प्रतिशत एशियाई देशों से शून्य आयात शुल्क पर प्राप्त की गई है।
- lix. घरेलू उद्योग के पास एक पारदर्शी कीमत नीति नहीं है क्योंकि छूट की सूचना फोन पर दी गई है, करीब 15 प्रतिशत कीमतें रोक कर रखी गई हैं, क्योंकि छूट की प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक की जानी है, इससे ग्राह्य आपूर्तिकर्ताओं या उत्पादों के लिए जुमाने की क्लॉज के साथ वार्षिक ठेकों से बंधे हैं।
- lx. यदि ग्रेसिम ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हैं तो ग्राहक को कम आपूर्ति को स्वीकार करना पड़ता है, ।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 73. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह व्यवस्था है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शा सकते हों, “..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव पर विचार किया जाना ...” कीमतों के पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में इस बात की जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है और या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और माजिन आदि शामिल होते हैं तथा उन पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
- 74. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की प्रक्रिया के दौरान किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में जांच और समाधान किया गया है।
- 75. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावना पहलुओं की जांच कार्यवाही से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति यदि कोई हो, की जांच की है।
- 76. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का वस्तुतः समाधान करता है।
- 77. कोविड-19 महामारी के कारण लाकडाउन के प्रभाव को निष्क्रिय करने और क्षति विश्लेषण को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए अप्रैल-जून 2020 तिमाही के लिए क्षति आंकड़ों को बाहर रखा गया है और जांच की अवधि के शेष नौ महीनों के आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया गया है ।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की आबद्ध विक्रियां मामूली हैं और घरेलू विक्री और निर्यात विक्रियों में गिरावट का कारण नहीं हो सकती हैं।
79. कुछ हितबद्ध पक्षकारों की इस दलील के बारे में कि संबद्ध वस्तु की कीमतों में लकड़ी की लुग्दी की कीमतों में गिरावट के कारण जांच की अवधि में कमी आई है, यह नोट किया जाता है कि आयात कीमतों में गिरावट लकड़ी की लुग्दी की कीमतों में गिरावट से अधिक है।

छ.3.1 मांग का आकलन

80. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में भारत में उत्पाद की मांग और स्पष्ट खपत निर्धारित की है, इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	
						9 माह	वार्षिकीकृत
1	संबद्ध देश	एमटी	15,429	25,290	24,799	16,638	22,185
2	अन्य देश	एमटी	1,065	1,066	7,687	3,552	4,736
3	घरेलू विक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	135	132	132
4	कुल मांग	एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	139	133	133

81. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में 2019-20 तक निरंतर वृद्धि हुई परंतु कोविड-19 महामारी के कारण जांच अवधि में गिरावट आई है।

छ.3.2 पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव

i. आयात मात्रा और संबद्ध देशों का हिस्सा

82. संबद्ध देशों से पाटित आयातों तथा अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार जांच की गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	
						9 माह	वार्षिकीकृत
1	संबद्ध देश	एमटी	15,429	25,290	24,799	16,638	22,185
क	चीन जन.गण.	एमटी	1,223	2,337	4,340	2,112	2,816
ख	इंडोनेशिया	एमटी	14,206	22,953	20,459	14,526	19,368
2	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों के आयात						
क	भारतीय उत्पादन	%-प्रवृत्ति	100	134	122	110	110
ख	खपत	%- प्रवृत्ति	100	127	116	108	108
ग	कुल आयात	%	93.54%	95.96%	76.34%	82.41%	82.41%

83. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों के विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

छ.3.3 पाटित आयातों के कीमत प्रभाव

84. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमत ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती।
85. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत के साथ इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

कीमत कटौती का निर्धारण संबद्ध देश से आयात की पहुंच कीमत के साथ भारत में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना द्वारा किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	
						9 महा	वार्षिकीकृत
1	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***	***
2	संबद्ध देश समग्र रूप से						
क	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,30,229	1,40,253	1,23,389	1,11,135	1,11,135
ख	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%	(0-10)%
3	चीन जन.गण.						
क	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,37,973	1,45,553	1,20,477	1,12,476	1,12,476
ख	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	(0-10)%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%
4	इंडोनेशिया						
क	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,29,562	1,39,713	1,24,007	1,10,940	1,10,940
ख	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%	(0-10)%

86. आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। अतः कीमत कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तिमाही विश्लेषण के दौरान अनुरोध किए जाने पर प्राधिकारी ने कीमत कटौती का तिमाही विश्लेषण भी किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	तिमाही 3 2019-20	तिमाही 4 2019-20	तिमाही 2 2020-21
1	निवल विक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***
2	संबद्ध देश समग्र रूप से				
क	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,18,952	1,08,081	1,03,553
ख	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	(0-10)%	0-10%	(0-10)%
3	चीन जन.गण.				
क	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,16,122	1,06,566	1,09,505
ख	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	(0-10)%	0-10%	(0-10)%
4	इंडोनेशिया				
क	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,19,562	1,08,357	1,03,287
ख	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	(0-10)%	0-10%	(0-10)%

87. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान कीमतों में भारी गिरावट आई है। कीमत कटौती जांच अवधि की दूसरी तिमाही में सकारात्मक थी और अन्य तिमाहियों में नकारात्मक थी।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

88. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी कमी करना है जो ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती, प्राधिकारी क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में बदलाव को नोट करते हैं।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
1	आयातों की पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,30,229	1,40,253	1,23,389	1,11,135
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	95	85
2	विक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	98	89
3	विक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	87	78

89. यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत से काफी अधिक हैं। अतः आयातों के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग पर इससे कोई कीमत संबंधी ह्रास और दमन हो रहा है।

ग. कम कीमत पर बिक्री

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	तीसरी तिमाही 2019-20	चौथी तिमाही 2019-20	दूसरी तिमाही 2020-21	औसत
1	क्षतिरहित कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
2	संबद्ध देश समग्र रूप से					
क	पहुंच कीमत	रु./एमटी	118,952	108,081	103,553	111,135
ख	कम कीमत पर बिक्री	रु./एमटी	***	***	***	***
ग	कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***	***
घ	कम कीमत पर बिक्री	रेंज	नगण्य	0-10%	नगण्य	नगण्य
3	चीन जन.गण.					
क	पहुंच कीमत	रु./एमटी	116,122	106,566	109,505	112,476
ख	कम कीमत पर बिक्री	रु./एमटी	***	***	***	***
ग	कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***	***
घ	कम कीमत पर बिक्री	रेंज	नगण्य	0-10%	नगण्य	नगण्य
4	इंडोनेशिया					
क	पहुंच कीमत	रु./एमटी	119,562	108,357	103,287	110,940
ख	कम कीमत पर बिक्री	रु./एमटी	***	***	***	***
ग	कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***	***
घ	कम कीमत पर बिक्री	रेंज	नगण्य	0-10%	नगण्य	नगण्य

90. चीन और इंडोनेशिया से कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

91. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में यह भी व्यवस्था है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी जिनमें बिक्रियों, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारके, पाटन की मात्रा और मार्जिन, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है:

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

92. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

क्र.सं	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	
						9 माह	वार्षिकीकृत
1	क्षमता	एमटी	5,05,725	5,45,605	5,84,820	4,44,745	5,92,993
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	116	117	117
2	उत्पादन – संयंत्र	एमटी	4,99,250	5,41,151	5,67,008	4,05,178	5,40,237
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	114	108	108
3	उत्पादन – पीयूसी	एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	132	131	131
4	क्षमता उपयोग	%	99%	99%	97%	91%	91%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	98	92	92
5	घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	152	146	146
6	मानद निर्यात बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	57	64	64
7	सकल घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	135	132	132

93. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान निरंतर अपनी क्षमता का विस्तार किया है।
- ख. घरेलू उद्योग 2019-20 तक लगभग अपनी पूरी क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा था। कोविड-19 व्यवधान के कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में कमी आई थी।
- ग. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में 2019-20 तक वृद्धि हुई, परंतु कोविड-19 व्यवधान के कारण जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई।

ख. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

94. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की निम्नानुसार जांच की गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश	%- प्रवृत्ति	100	127	116	108
2	अन्य देश	%- प्रवृत्ति	100	78	521	334
3	घरेलू उद्योग	%- प्रवृत्ति	100	99	98	99

95. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का बाजार अंश लगातार पूरी क्षति जांच की अवधि के दौरान *** प्रतिशत से अधिक रहा है। घरेलू उद्योग के बाजार अंश में कोविड-19 अवरोध के बावजूद जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ग. मालसूची

96. क्षति अवधिक में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	162	222

97. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में 2018-19 में गिरावट आई परंतु 2019-20 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में और अधिक वृद्धि हुई।

घ. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय

98. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	
						9 माह	वार्षिकीकृत
1	बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	98	89	89
2	बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	87	78	78
3	लाभ/ हानि	₹/एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	36	27	27
4	लाभ/ हानि	₹ लाख	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	48	36	36
5	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	61	50	50
6	पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	55	41	41
7	नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	48	37	37

99. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग वर्ष 2017-18 और 2018-19 में अत्यधिक लाभ कमा रहा था। यहां तक कि घरेलू उद्योग के लाभ में जांच की अवधि में गिरावट हुई है, लेकिन लाभ अभी भी तर्कसंगत हैं।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

100. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच की गई थी।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	
						9 माह	वार्षिकीकृत
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	94	92	92
2	वेतन एवं मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	122	119	119
3	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/ दिन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	114	108	108
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	121	118	118

101. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में क्षति अवधि में गिरावट आई है और प्रदत्त मजदूरी में जांच की अवधि के अतिरिक्त क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी और प्रतिदिन उत्पादकता में 2019-20 तक वृद्धि हुई है परंतु उत्पादन में गिरावट के कारण जांच की अवधि में गिरावट आई है।

च. वृद्धि

102. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि संबंधी मापदंडों की जांच नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	उत्पादन	22.11%	7.97%	-0.47%
2	घरेलू बिक्री	27.10%	6.51%	-2.72%
3	लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	-4.28%	-62.65%	-23.28%
4	मालसूची	-29.62%	130.26%	37.24%
5	बाजार हिस्सा	-1.32%	-1.00%	1.11%
6	लाभ/(हानि)	21.65%	-60.22%	-25.37%
7	नकद लाभ	21.61%	-50.23%	-17.62%
8	पीबीआईटी	20.57%	-54.28%	-25.96%
9	आरओआई %	1.41%	-52.93%	-21.71%

103. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में 2019-20 तक सकारात्मक वृद्धि हुई है परंतु तत्पश्चात जांच की अवधि में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। कीमत मापदंडों में 2018-19 में सकारात्मक वृद्धि हुई है और 2019-20 तथा जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि हुई है।

छ. पाटन की मात्रा

104. यह देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक भी है।

ज. नई पूंजी जुटाने की क्षमता

105. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा अर्जित मौजूदा लाभों पर विचार करते हुए उनकी पूंजी जुटाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि उसने आगे क्षमता का विस्तार करने की योजना बनाई है, जिसके लिए वह अपने एकीकृत संयंत्र पर करीब *** करोड़ रु. का निवेश करेगा और इसलिए नयी पूंजी जुटाने के लिए उसकी क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

क्षति संबंधी निष्कर्ष

106. पर्याप्त क्षति के संबंध में विभिन्न मापदंडों पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में गिरावट आई है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही है और कम कीमत पर बिक्री भी नकारात्मक है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्रियों में गिरावट देखी है। तथापि, उत्पादन और बिक्रियों में गिरावट कोविड-19 महामारी के चलते मांग में गिरावट आने के कारण प्रभावित हुआ हो सकता है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ अभी भी तर्कसंगत है। जांच की अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्रियों, बिक्री कीमत और एनआईपी से काफी अधिक हैं। अतः आयातों को, घरेलू उद्योग पर किसी कीमत संबंधी प्रभाव के कारण नहीं कहा जा सकता।

ज. कारणात्मक संबंध

107. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर ऐसे किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो या क्षति होने की संभावना हो ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और कारणात्मक संबंध की पहले ही मूल जांच में जांच कर ली गई है, इसलिए प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है या क्षति होने का खतरा है। इस बात की जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अधीन सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है या क्षति होने की संभावना है।

क. तीसरे देश से आयात की मात्रा और कीमत

108. संबद्ध देशों के अलावा, थाइलैंड से आयात न्यूनतम सीमा से अधिक हैं। यह देखा जा सकता है कि थाइलैंड से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और गैर-क्षतिकारी कीमत से अधिक है।

ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

109. संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की अवधि में गिरावट आई है। जैसा कि ऊपर पहले ही जांच की गई है, मांग में गिरावट कोविड-19 के कारण से थी। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की पद्धति में कोई बदलाव नहीं आया है, अतः खपत की पद्धति में बदलावों से घरेलू उद्योग को क्षति होने में योगदान नहीं हो सकता।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

110. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ड. निर्यात कार्य-निष्पादन

112. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के निर्यातों में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। किसी भी तरह से प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालनों के लिए आकड़ों पर विचार किया है।

च. अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

113. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन के संबंध में आकड़ों पर विचार किया है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

114. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए तथा जांच की अवधि के लिए पेशेवर लागत लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को लेकर किया गया है। एनआईपी पर विचार क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच

कीमत की तुलना करने के लिए की गई है। क्षति-रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कच्चे माल की सर्वोत्तम उपयोगिता पर विचार किया गया है। वही बर्ताव यूटिलिटी के साथ भी किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्च उत्पादन की लागत में नहीं जोड़ा गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी पर एक उचित लाभ (22 प्रतिशत की दर से कर-पूर्व) (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति योग औसत कार्यशील पूंजी) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध-III में यथा-निर्धारित और अनुसरण की जा रही क्षति-रहित कीमत को तय करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी।

115. ऊपर यथा-निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित उत्पादकों/निर्यातकों का क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्राधिकारी ने तिमाही-वार आधार पर क्षति मार्जिन परिकलित किया है। प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन गणनाओं में अप्रैल 2020 से जून 2020 की तिमाही पर विचार नहीं किया है क्योंकि इस तिमाही के दौरान भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन था।

तिमाही-वार क्षति मार्जिन:

सातेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि.					
तिमाही	मात्रा- केजी	सीआईएफ कीमत (यूएसडा.)	पहुंच मूल्य यूएस डा. प्रति एमटी	एनआईपी यूएस डा. प्रति एमटी	क्षति मार्जिन यूएस डा. प्रति एमटी
अक्तू.- दिस. 2019	***	***	***	***	***
जन.- मार्च 2020	***	***	***	***	***
जुलाई- सित. 2020	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***
पीटी एशिया पैसिफिक रेयान					
तिमाही	मात्रा- केजी	सीआईएफ कीमत (यूएसडा.)	पहुंच मूल्य यूएस डा. प्रति एमटी	एनआईपी यूएस डा. प्रति एमटी	क्षति मार्जिन यूएस डा. प्रति एमटी
जन- मार्च 2020	***	***	***	***	***
जुलाई- सित. 2020	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***

पीटी.साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी)					
तिमाही	मात्रा- केजी	सीआईएफ कीमत (यूएसडा.)	पहुंच मूल्य यूएस डा. प्रति एमटी	एनआईपी यूएस डा. प्रति एमटी	क्षति मार्जिन यूएस डा. प्रति एमटी
अक्तू.- दिस.	***	***	***	***	***

2019					
जन.- मार्च 2020	***	***	***	***	***
जुलाई- सित. 2020	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	विवरण	क्षतिरहित कीमत	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	रेंज
		यूएसडा./ एमटी	यूएसडा./ एमटी	यूएसडा./ एमटी	%	%
1	चीन जन.गण.					
क	सातेरी (फुजियान) फाइबर कं. लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
ख	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	5-15%
2	इंडोनेशिया					
क	पीटी एशिया पैसिफिक रेयान	***	***	***	***	नकारात्मक
ख	पीटी. साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी)	***	***	***	***	नकारात्मक
ग	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-20%

ज. क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

116. जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. जांच अवधि में दोनों संबद्ध देशों से पाटन जारी रहा है, इसके अलावा, पाटित आयात सहित रहित कीमत से कम कीमत पर घरेलू बाजार में प्रवेश करना जारी है।
- ख. सकारात्मक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन स्वतः सिद्ध करते हैं कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति जारी रहेगी।
- ग. चीन जन.गण. से 92 प्रतिशत निर्यात और इंडोनेशिया से शेष विश्व को 94 प्रतिशत निर्यात पाटित कीमतों पर हैं। संचयी रूप से संबद्ध मात्रा भारतीय मांग का 170 प्रतिशत है।
- घ. चीन जन.गण. से 68 प्रतिशत निर्यात और इंडोनेशिया से 88 प्रतिशत निर्यात भारतीय कीमतों से कम कीमतों पर शेष विश्व को किया गया है। संचयी रूप से इनकी संबद्ध मात्रा भारतीय मांग की 143 प्रतिशत है।
- ड. सभी प्रकार के विस्कोस स्टेपल फाइबर की वर्तमान अतिरेक क्षमता चीन में क्षमता का 39 प्रतिशत और इंडोनेशिया के मामले में 64 प्रतिशत है।
- च. संबद्ध देशों में उत्पादक अप्रयुक्त क्षमताओं के साथ प्रचालन कर रहे हैं, चूंकि भारत वीएसएफ के लिए उच्च मांग का गंतव्य है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से उत्पादकों को भारतीय बाजार में अपनी वस्तुएं भेजने के लिए

- प्रोत्साहन मिलेगा। चीन के मामले में वर्तमान अप्रयुक्त क्षमताएं 36 प्रतिशत और इंडोनेशिया के मामले में 64 प्रतिशत है।
- छ. इंडोनेशिया में क्षमता 2021-23 में और अधिक बढ़ जाएगी क्योंकि एपीआर 263 हजार टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ दो और लाइनों सहित विस्तार के चरण-II को लागू करेगा। मै. सतेरी फाइबर कं. लिमिटेड, चीन में अपनी क्षमता में 1 मिलियन टन का और विस्तार करेगा।
- ज. इंडोनेशिया में उत्पादकों के लिए निर्यात दायित्व पूरे करना अपेक्षित है। विनियमों के अनुसार उत्पादक अपने उत्पादन का अधिकतम 50 प्रतिशत घरेलू बाजार में बेच सकते हैं।
- झ. निर्यात के प्रतिशत रूप में उत्पादन चीन जन.गण. के मामले में 10 प्रतिशत और इंडोनेशिया के मामले में 50 प्रतिशत है।
- ञ. निर्णायक समीक्षा जांच में वास्तविक आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरे देश के निर्यातों को भारत में भेजने की संभावना और मौजूदा अधिशेष क्षमताओं की जांच करना अपेक्षित है।
- ट. जांच अवधि के बाद की अवधि कोविड-19 द्वारा भी प्रभावित हुई है।
- ठ. घरेलू उद्योग में ऐसी क्षमता के आंकड़े दिए गए हैं जो समग्र रूप से देशों के लिए हैं और इसका निहितार्थ है कि सभी कंपनियों की क्षमताएं देश की कुल क्षमताओं में शामिल हैं।
- ड. भारत को निर्यातों में घरेलू बाजार में बिक्री की तुलना में उच्चतर दर पर वृद्धि हुई है। इसके अलावा, यद्यपि घरेलू कीमत और निर्यात कीमत दोनों में गिरावट आई है, तथापि भारत को निर्यात कीमत में गिरावट उच्चतर दर पर हुई है, यह दर्शाता है कि शुल्क लागू होने के बावजूद भारत उत्पादक के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है।
- ढ. एशिया फाइबर ट्रेडिंग पीटीई लि. के मामले में भारत में निर्यात बिक्री में 2019 से जांच अवधि में 100 से 581 बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जबकि, अन्य देशों की निर्यात बिक्रियां 100 से बढ़कर 135 हुई हैं। तथापि, भारत को बिक्री मूल्य 2019 से जांच की अवधि में 100 से घटकर 80 रह गया है।
- ण. सातेरी (फुजियान) कं. लि. द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के रूझान दर्शाते हैं कि उसे भारत को निर्यातों में जांच अवधि में घाटा उठाना पड़ा है और भारत को निर्यातों में क्षति अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है, यह दर्शाता है कि शुल्क लागू होने के बावजूद भारत उत्पादक के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार था।
- त. पी.टी.साउथ पैसिफिक विस्कोस के मामले में, रूझान दर्शाते हैं कि भारत को निर्यात बिक्रियों में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है, परंतु घरेलू बाजार में गिरावट आई है और भारत को निर्यात घाटे में रहे हैं, यह इस तथ्य के बावजूद है कि भारत को कीमत के रूझान तेजी से वृद्धि दर्शाते हैं और बिक्री लागत में गिरावट आई है। प्रति इकाई लागत में वृद्धि के बावजूद उत्पादक ने जांच अवधि में अपनी कीमतों में और कमी की है।
- थ. पी.टी.साउथ पैसिफिक विस्कोस के मामले में, घरेलू बाजार और निर्यात बाजार में बिक्री लागत के रूझान 2020 तक समान रहे हैं परंतु जांच अवधि में उनमें जबरदस्त बदलाव आया है।

झ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

117. जांच की प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. रिकॉर्ड में यह दर्शाने वाली कोई सूचना नहीं है कि शुल्क हटाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें पाटन से क्षति स्पष्ट रूप से प्रत्याशित और आसन्न है।
- ख. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश में अत्यधिक क्षमताओं से संबंधित कुछ असत्यापित और निराधार संख्याओं पर भरोसा किया है।
- ग. संबद्ध देशों में मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं की केवल मौजूदगी पर्याप्त नहीं है और घरेलू उद्योग के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि उक्त निपटान योग्य क्षमता को भारत में भेजा जाएगा।
- घ. विचाराधीन उत्पाद की मालसूची के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।
- ड. घरेलू उद्योग ने ऐसे कारकों पर भरोसा किया है जो पाटन और क्षति की संभावना के दावे के लिए कानून के अनुसार निराधार है।
- च. तिमाही रिपोर्ट और प्रस्तुतिकरण के अनुसार ग्रासिम ने जांच अवधि के बाद में बेहतरनी कार्य-निष्पादन किया है।

- छ. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री को यदि कम कीमत वाले आयातों के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है तो वह वास्तविक क्षति के सकारात्मक निर्धारण या क्षति मार्जिन के सकारात्मक निर्धारण के लिए आधार नहीं बन सकते हैं।
- ज. सातेरी (फुजियान) फाइबर कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यात इतने कम हैं कि उनसे घरेलू उद्योग को कोई चुनौती नहीं है।
- झ. भारत को ऐसे किसी निर्यात के विपठन की कोई संभावना नहीं है, जिसे बिक्री संबंधी आंकड़ों से सत्यापित किया जा सकता हो।
- ञ. घरेलू उद्योग द्वारा अधिशेष क्षमता के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति गलत है।
- ट. आवेदक ने संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के निर्यातोन्मुख होने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
- ठ. आवेदक ने इसका औचित्य नहीं बताया है कि भारतीय बाजार को शुल्क हटाए जाने के बाद निर्यातों के गंतव्य के रूप में क्यों चुना जाएगा।
- ड. हाकिन्स राइट ऐंड रेड बुक, जो आवेदक ने प्रदान की है, अविश्वसनीय है। घरेलू उद्योग को अधिशेष क्षमता दर्शाने के लिए संबद्ध देशों में अपने संबंधित उत्पादक के आंकड़ों को शामिल करना चाहिए था।
- ढ. पाटन की पुनरावृत्ति के साक्ष्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- ण. आवेदक के इस दावे के लिए आवेदक से अतिरिक्त स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि तीसरे देशों को पाटित निर्यातों की कुल मात्रा भारतीय मांग का 170 प्रतिशत है।
- त. बांडेड क्षेत्र संबंधी विनियमों के बारे में यह बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने बांडेड क्षेत्र के मुख्य विनियम का संदर्भ नहीं लिया है जो वित्त मंत्रालय का विनियम संख्या 131/2018 है।
- थ. 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व, जो 2018 से पहले से ही उपलब्ध रहे हैं, उनकी गणना केवल उत्पादन के आधार पर नहीं की गई है बल्कि घरेलू बाजार और अन्य आर्थिक क्षेत्रों को व्यापार मूल्य द्वारा निर्यात मूल्यवर्धन की संख्या के आधार पर की गई है। निर्यातक अगले वर्ष के प्रतिस्थापन के अनुसार 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व के लिए आपवादिक अभिवृद्धि का भी प्रस्ताव कर सकते हैं।
- द. संबद्ध देशों में क्षमता विस्तार के लिए शुल्क पहले से लागू होने के बावजूद किए गए नए निवेश भारत के लिए नहीं हैं उन्हें घरेलू बाजार को लक्ष्य करके और तुर्की, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के बाजारों को लक्ष्य करके नियोजित किया गया है।
- ध. चीन में क्षमता विस्तार संबंधी घरेलू उद्योग के अनुरोध के बारे में यह बताया गया है कि पातेरी(फुजियान) फाइबर कंपनी लिमिटेड की विस्तार की कोई योजना नहीं है बल्कि वे चीन जन.गण. में केवल मौजूदा वीएसएफ क्षमता का अधिग्रहण कर रहे हैं।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

118. वर्तमान जांच चीन जन.गण. और इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
119. ऐसा संभावना विश्लेषण करने की कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है तथापि नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों की जांच करना शामिल है, जो क्षति के खतरे के लिए संगत हों और निर्णायक समीक्षा में भी संभावना विश्लेषण के लिए उन्हीं कारकों का प्रयोग किया जा सकता है:
- क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अत्यधिक दर काफी बड़े हुए आयातों की संभावना दर्शाती है।
- ख) पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य या क्षमता में आसन्न, भारी वृद्धि निर्यातक के लिए किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने हेतु अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों को पाटित आयातों में भारी वृद्धि की संभावना दर्शाती है।
- ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जो घरेलू कीमतों में भारी हास या कमी करेंगे और आगे और निर्यातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है; और
- घ) वस्तु की मालसूचियों की जांच की जा रही है।

120. इसके अलावा, प्राधिकारी ने ऐसे अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जिससे पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना हो सकती हो।
121. सभी प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने संभावना के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा प्रदान की गई हाकिम्स राइट रिपोर्ट की प्रामाणिकता के बारे में चिंताएं प्रकट की हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के केवल तीन ही उत्पादक हैं नामतः (i) पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन (ii) पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस और (iii) पीटी इंडो भारत रेयोन। इन तीनों ही कंपनियों ने भाग लिया है और संबद्ध जांच में संगत सूचना प्रदान की है। यहां तक कि चीन जन.गण. के मामले में भी सतेरी (फुजियन) फाइबर कं. लि. ने जांच में भाग लिया है और संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में शामिल उसके संगत पक्षकारों की क्षमताओं और उत्पादन के बारे में भी ब्यौरे प्रदान किए हैं नामतः सतेरी (चीन) फाइबर कं. लि., सतेरी (जियांग्सू) फाइबर कं. लि., सतेरी (जि यूजियांग) फाइबर कं. लि. और सतेरी (जियांग सी) कैमिकल फाइबर कं. लि.। अतः प्राधिकारी ने संभावना के विश्लेषण के लिए घरेलू उपयोग की संगत कंपनियों को छोड़कर संबद्ध देशों से प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर विचार करना उपयुक्त समझा है।

झ.3.1 पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी में बढ़ती हुई मात्रा में निरंतर आयात

122. संबद्ध जांच में आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
संबद्ध देश	एमटी	15,429	25,290	24,799	19,651
चीन जन.गण.	एमटी	1,223	2,337	4,340	2,516
इंडोनेशिया	एमटी	14,206	22,953	20,459	17,134
मांग में संबद्ध देशों का बाजार अंश	% प्रवृत्ति	100	127	116	108
मांग में घरेलू उद्योग का बाजार अंश	% प्रवृत्ति	100	99	98	99

123. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में एकाधिकार की स्थिति का लाभ ले रहा है और संबद्ध देशों से आयातों का बाजार अंश काफी कम है।

झ.3.2 अधिशेष क्षमताएं

124. संबद्ध देशों से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में अधिशेष क्षमताओं संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	क्षमता (एमटी)	उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (एमटी)	अधिशेष क्षमता	अधिशेष क्षमता (रैंज)
सातेरी (फुजियन) फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	शून्य
पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन	***	***	***	***	0-10
पीटी. साउथ पैसिफिक विस्कोस	***	***	***	***	40-50

125. प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं:

क. पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन के पास कम सरप्लस क्षमता उपलब्ध है। तथापि, एपीआर एक नया उत्पादक है, जिसने 2019 में उत्पादन शुरू किया था और इसीलिए उससे तत्काल 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग हासिल करने की

आशा नहीं की जा सकती, एपीआर द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर के अनुसार, वे अपनी क्षमता में वृद्धि करने की योजना बना रहे हैं लेकिन यह क्षमता विस्तार केवल 2024 की चौथी तिमाही में ही हो सकेगा।

- ख. पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस के पास सरप्लस क्षमता उपलब्ध है। तथापि, कंपनी ने यह अनुरोध किया है कि वह *** प्रतिशत क्षमता उपयोग पर नियमित रूप से प्रचालन करता रहा है। उसका क्षमता उपयोग जांच की अवधि के दौरान कोविड-19 बाधाओं के चलते कम था।
- ग. सतेरी (फुजियन) फाइबर कं. लि. के पास कोई सरप्लस क्षमता उपलब्ध नहीं है। सतेरी (फुजियन) फाइबर लि. की अन्य संगत कंपनियां हैं, जो चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई हैं लेकिन जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया है। ऐसी संगत कंपनियों के पास उपलब्ध सरप्लस क्षमताएं नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं:

विवरण	क्षमता (एमटी)	उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (एमटी)	अधिशेष क्षमता	अधिशेष क्षमता (रैंज)
सातेरी (चीन) फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	30-40
सातेरी (जियांग्सु) फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	शून्य
सातेरी (जियांग्सु) फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	0-10
सातेरी (जियांग्सी) केमिकल फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	शून्य

126. यह देखा जा सकता है कि सतेरी(चीन) फाइबर कं. लि. के पास जांच की अवधि के दौरान सरप्लस क्षमताएं उपलब्ध हैं। तथापि, प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों के साथ-साथ विस्तृत आंकड़ों में यह अनुरोध किया गया था कि सतेरी(चीन) फाइबर कं. लि. के पास जांच की अवधि के बाद की अवधि में *** प्रतिशत का क्षमता उपयोग था। जांच की अवधि के दौरान इसकी क्षमता कम थी, क्योंकि दिसंबर 2019 के दौरान प्रथम श्रृंखला शुरू हुई थी और दूसरी उत्पादन श्रृंखला अप्रैल, 2020 में शुरू हुई थी। इसका उत्पादन जांच की अवधि के उपरांत स्थिर रहा है और कोई भी सरप्लस क्षमता नहीं है। अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सतेरी (फुजियन) फाइबर कं. लि., सतेरी (चीन) फाइबर कं. लि., सतेरी (जियांग्सू) फाइबर कं. लि., सतेरी (जियूजियांग) फाइबर कं. लि., सतेरी (जियांग) कैमिकल फाइबर कं. लि. के पास कोई सरप्लस क्षमता नहीं है।

झ.3.3 तीसरे देश को पाटन

127. संबद्ध देशों से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में तीसरे देश से पाटन संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	तीसरे देशों को कुल निर्यात (एमटी)	पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात (एमटी)	पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात का %	पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात का (रैंज)
सातेरी (फुजियन) फाइबर कं. लि.	***	***	***	90-100
पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन	***	***	***	80-90
पीटी.साउथ पैसिफिक विस्कोसा (एसपीवी)	***	***	***	90-100

128. यह देखा जा सकता है कि चीन जन.गण से भागीदार उत्पादक/निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को निर्यातों का 90-10 प्रतिशत पाटित कीमतों पर है। इंडोनेशिया के मामले में एपीआर द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 80-10 प्रतिशत पाटित कीमतों पर है और एसपीवी द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 90-100 प्रतिशत पाटित कीमतों पर है।

झ.3.6 तीसरे देश के क्षतिकारी निर्यात

129. संबद्ध देशों से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में तीसरे देश के क्षतिकारी निर्यात संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	तीसरे देशों को कुल निर्यात (एमटी)	एनआईपी से कम कीमत पर तीसरे देशों को निर्यात (एमटी)	एनआईपी से कम कीमत पर तीसरे देशों को निर्यात का प्रतिशत	एनआईपी से कम कीमत पर तीसरे देशों को निर्यात का प्रतिशत (रेंज)
सातेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि.	***	***	***	50-60
पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन	***	***	***	80-90
पीटी.साउथ पैसिफिक विस्कोस	***	***	***	80-90

130. यह देखा जा सकता है कि चीन जन.गण. से भागीदार उत्पादक/निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को निर्यातों का 50-60 प्रतिशत एनआईपी से कम कीमत पर किया गया है। इंडोनेशिया के मामले में एपीआर और एसपीवी द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 80-90 प्रतिशत एनआईपी से कम कीमतों पर किया गया है।

झ.3.7 कीमत आकर्षकता

131. प्रतिवादी उत्पादकों के मामले में कीमत आकर्षकता संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	तीसरे देशों को कुल निर्यात (एमटी)	भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर तीसरे देशों को निर्यात	भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर तीसरे देशों को निर्यात का प्रतिशत	भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर तीसरे देशों को निर्यात का प्रतिशत (रेंज)
सातेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि.	***	***	***	55-65%
पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन	***	***	***	65-75%
पीटी.साउथ पैसिफिक विस्कोस	***	***	***	85-95%

132. यह देखा जा सकता है कि चीन जन.गण. से भागीदार उत्पादक/निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को 55-65 प्रतिशत निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर हुए हैं। इंडोनेशिया के मामले में एपीआर द्वारा तीसरे देशों को 65-75 प्रतिशत निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर हुए हैं और एसपीवी द्वारा तीसरे देशों को 85-95 प्रतिशत निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर हुए हैं।

झ.3.8 एनआईपी और एनएसआर से कम कीमत पर आयात

133. प्राधिकारी ने आयात मात्राओं की जांच की है जो घरेलू उद्योग की एनआईपी और एनएसआर से कम है और नीचे दर्शाई गई है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की एनआईपी और एनएसआर से कम पर भारी मात्रा में आयात हुए हैं।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	चीन जन.गण.	इंडोनेशिया
1	कुल आयात (अप्रैल-जून 2020 तिमाही के आयातों को छोड़कर)	एमटी	2,112	14,526

2	एनआईपी से कम पर आयात	एमटी	1,308	3,539
3	एनएसआर से कम पर आयात	एमटी	1,331	4,967
4	क्षतिकारी आयातों का %	%	62%	24%
5	एनएसआर से कम पर आयातों का %	%	63%	34%

पाटन और क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

134. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटन जारी रहने की संभावना है। तथापि, क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना ही पर्याप्त नहीं है जिससे कि 11 वर्षों से आगे शुल्कों को जारी रखने की जरूरत होती। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों में प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के पास अपर्याप्त सरप्लस क्षमताएं हैं। संबद्ध देशों से आयातों में, जांच की अवधि के दौरान कमी आई है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती नहीं हो रही है। जांच की अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत, बिक्री कीमत और एनआईपी से काफी अधिक हैं। अतः आयातों के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसके कारण घरेलू उद्योग पर कोई कीमत संबंधी प्रभाव पड़ रहा है।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

135. प्राधिकारी ने मामले के आवश्यक तथ्यों को प्रकट करते हुए और सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए प्रकटन विवरण जारी किया। प्रकटन पश्चात अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए हैं। प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में दिखाये गये अधिकांश मुद्दों को पूर्व में पहले ही उठाया जा चुका है और उनका उपयुक्त रूप से समाधान भी किया जा चुका है। अतिरिक्त अनुरोधों की जांच नीचे दिये गये अनुसार उस सीमा तक की गई है जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया है :

ठ. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

136. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. वस्तु के उत्पादन और निर्यात की जांच की जा सकती है। घरेलू उद्योग बाहर किये गये उत्पाद प्रकारों का निर्यात करता रहा है और बाहर किये जाने का कारण बाहर किये गये प्रकारों का आयात करने का घरेलू उद्योग का उद्देश्य नहीं था।
- ख. घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकार बाहर किये गये सभी प्रकारों का उत्पादन नहीं करते हैं। यह अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को कमजोर बनता है कि बाहर किया जाना सुनिश्चित करेगा कि घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकार भारत को बाहर किये गये उत्पाद का निर्यात करने में सक्षम होंगे।
- ग. बाहर किये जाने का लाभ घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकारों सहित सभी विदेशी उत्पादकों को मिलेगा।
- घ. घरेलू उद्योग को प्रपत्र ख, घ, अनुमति/ खारिज किया गया खर्च, विचार की गई निवल निर्धारित संपत्ति और लगाई गई पूंजी का विवरण और एन आई पी की तिमाही गणना सहित एन आई पी का पूर्ण कार्यचालन नहीं बताया गया है।
- ड. लॉकडाउन का प्रभाव समाप्त होने के बाद घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में भी गिरावट देखी गई है। आयातों में वृद्धि पूर्ण रूप से और सापेक्ष रूप से हुई है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लागत में गिरावट से अधिक हुई है और लाभ एवं निवेश पर प्रतिफल में गिरावट आई है।
- च. प्राधिकारी ने कोई अन्य कारक नहीं पाया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।
- छ. जांच की अवधि की बाद की अवधि को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यदि इस अवधि को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया होता तब जांच की अवधि की बाद की अवधि संगत हुई होती। जांच की अवधि के बाद की अवधि भी कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई है।
- ज. विभिन्न निर्णायक समीक्षा जांचों जैसे फ्लेट बेस स्टील व्हील्स, स्टेनलेस स्टील का कोल्ड रोलड फ्लेट प्रॉडक्ट, मिथाइल ऐसीटोएसीटेट थैलिक एनहाइड्राइड आदि में प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों की जांच किये बिना शुल्कों के विस्तार की सिफारिश की।
- झ. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना पर विचार करते हुए शुल्क की उसी मात्रा के विस्तार पर विचार करें।

- ज. घरेलू उद्योग एकमात्र उत्पादक है और यदि शुल्क को जारी नहीं रखा जाता है तब इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- ट. यदि घरेलू उद्योग को बंद किया जाता है तब प्रयोक्ता आयातों पर पूर्ण रूप से निर्भर होंगे और कोई भी उपभोक्ता उद्योग यह नहीं चाहेगा कि वह केवल आयातों पर निर्भर रहे। डाउनस्ट्रीम में उत्पादकों ने भी शुल्कों के विस्तार का समर्थन किया है।
- ठ. उपभोक्ता भारतीय आशियान एफ टी ए के अंतर्गत इण्डोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पहले से ही शून्य शुल्क का लाभ उठा रहे हैं। यदि शुल्कों को इण्डोनेशिया से शुल्क मुक्त आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं लगाया जायेगा तब घरेलू उद्योग को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा।
- ड. घरेलू उद्योग ने निवेश, उद्योग का विकास, रोजगार सृजन, आम जनता का स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रतिभूति के साथ अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से योगदान किया है।

ठ. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

137. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. प्राधिकारी ने प्रकटन में यह सिद्ध किया है कि वी एस एफ का इण्डोनेशिया से आयात का घरेलू बिक्री कीमत पर कीमत संबंधी प्रभाव नहीं पड़ा था और इस कारण से इण्डोनेशिया के उत्पादकों द्वारा कीमत में कोई कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण संभावित रूप से नहीं हो सकती है।
- ख. प्राधिकारी की यह जांच की तीसरे देशों को इण्डोनेशिया के वी एफ एफ निर्यात का 80 प्रतिशत – 100 प्रतिशत पाटित कीमत पर हुआ है, को प्रमाणित नहीं किया गया है। इण्डोनेशिया के सभी निर्यातक लाभ उन्मुखीकरण और उचित कीमत के साथ कार्य कर रहे हैं।
- ग. हॉर्किंस राइट और रेडबुक के आंकड़ों में दी गई क्षमता का अनुमान और इण्डोनेशिया से भारतीय बाजार में तीसरे देश के निर्यात के विपथन के बीच कोई संगतता नहीं है।
- घ. इस दशक के दौरान, प्रयोक्ता उद्योग ने नई कंपनियों की तेजी से वृद्धि देखी। प्रयोक्ताओं ने अपने व्यापार को व्यापार प्रचालनों में अभिनवता के माध्यम से अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए परिवर्तित किया है। वे केंद्र सरकार द्वारा वी एस वाई पर पाटनरोधी लगाने से इंकार करने के बाद भी अपने क्षेत्रों में बने रहेंगे लेकिन घरेलू उद्योग ने ऐसे कोई खुले विचारों को नहीं दर्शाया है।
- ड. घरेलू उद्योग के प्रबंधन ने विरोधाभासी दावे किये हैं। इसने अपने निवेशकों को यह उल्लेख किया है कि इसे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए नियमित वी एस एफ क्षमता के अभाव का सामना करना पड़ रहा है जबकि वर्तमान आवेदन में यह दावा करता है कि इसके पास समग्र भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।
- च. प्राधिकारी यह समझने में असफल रहे हैं कि यह विचाराधीन उत्पाद से बाहर करने का मसला नहीं है जो एक चिंता की बात है बल्कि चिंता की बात संबद्ध देशों और थाइलैण्ड के गणराज्य दोनों में घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकारों की आपसी सांठ-गांठ है। घरेलू उद्योग ने बाहर किये जाने की योजना बनाई है जिससे कि इसके संबंधित पक्षकार भारत को बिना पाटनरोधी शुल्क के निर्यात कर सकें।
- छ. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया था कि वे डी जी सी आई एंड एस जैसे सरकारी एजेंसियों के आंकड़ों के साथ घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकारों से निर्यातों का विश्लेषण करें। हालांकि, प्राधिकारी ने इस अनुरोध पर ध्यान नहीं देने और घरेलू उद्योग के अपुष्ट दावे के बारे में निष्कर्ष निकालते हुए आगे की कार्यवाही करने का विकल्प चुना।
- ज. यद्यपि नियम 2(ख) प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करता है तथापि प्राधिकारी को तथ्यों के आधार पर इसकी जांच करनी चाहिए क्योंकि अनेक लघु उद्योगों की जीविका खतरे में है जो पहले से ही आवेदक के प्रभुत्व के कारण खराब स्थिति में है।
- झ. अतिरिक्त क्षमताओं, तीसरे देश के निर्यातों, निर्यात उन्मुखीकरण आदि जैसे व्यापार सूचना सं. 2/2017 दिनांक 12.12.2017 के संबंध में अपेक्षित सूचना जांच प्रारंभ किये जाने के समय उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
- ञ. प्राधिकारी को सबसे पहले संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमता की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की संबंधित कंपनियों की अधिक संख्या से संबंधित आंकड़ों को अलग करना चाहिए।
- ट. शुल्क लगाये जाने के कारण स्पिनर गैर प्रतिस्पर्धी हो गये हैं।

- ठ. जबकि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता मांग से अधिक है, इन्होंने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर उचित विचार नहीं किया है।
- ड. घरेलू उद्योग ने वार्षिक रिपोर्टों में विभिन्न स्थानों पर अपने अनुरोध में यह स्वीकार किया है कि संबद्ध वस्तुओं में इसकी वृद्धि बहुत अधिक और अद्वितीय है।
- ढ. प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद से बाहर किये गये उत्पादों के क्षेत्र को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाएं उद्योग मानक परिभाषाएं नहीं हैं।
- ण. मॉडल फाइबर की घरेलू उद्योग की परिभाषा ब्यूरो इंटरनेशनल पोर ला स्टेण्डरडाइलेशन डेस फाइबर्स आर्टिफिलेस (बी आई एस एफ ए) द्वारा दिये गये मॉडल फाइबर की परिभाषा में दिया गया गणितीय सूत्र के अनुरूप नहीं है। घरेलू उद्योग ने 3.70 जीपीडी की न्यूनतम कंडीशनड टेनासिटी क्षमता का उल्लेख किया जबकि वास्तव में यह फाइबर की रेखीय घनत्व के आधार पर अलग अलग है। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई कंडीशनड दृढ़ता के मानदंड तकनीकी रूप से सही नहीं हैं और यह बी आई एस एफ ए मानदंडों के अनुरूप नहीं है।
- त. घरेलू उद्योग का गैर न बुने हुए फाइबर की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि यदि प्राप्त किया जाने वाले अंतर फाइबर के लिए अंतिम उपयोग की अनुप्रयोज्यता अथवा उत्पादन प्रक्रिया पर आधारित है। इसके अलावा 1.50 डेनियर प्रतिबंधात्मक हैं क्योंकि अनेक आवेदनों के लिए अलग अलग रेखीय घनत्व अपेक्षित है।
- थ. घरेलू उद्योग फेल्ट रिटारडेंट फाइबर की परिभाषा संकीर्ण और केवल एक प्रकार के न बुने हुए फाइबर तक सीमित है जिसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है। बिस्कोस फेल्ट रिटारडेंट फाइबर हैं जिनका स्पिनिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है और 1.5 डेनियर से 8.0 डेनियर के रेखीय घनत्व तक अलग अलग विनिर्देश हैं।
- द. इको फाइबर की घरेलू उद्योग की परिभाषा निम्न जी एच जी उत्सर्जन के साथ खतरे में पड़े वनों और सतत रूप से प्रबंधित एफ एस सी प्रमाणित गैर-प्राचीन से प्राप्त की गई लकड़ी, वन से फाइबर तक ई यू बी ए टी अनुपालन और पता लगाने की पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग करने पर आधारित है। इस प्रकार की परिभाषा का गलत अर्थ हो सकता है और आपूर्ति की गई लकड़ी खतरेग्रस्त जंगलों से होनी चाहिए।
- ध. इको फाइबर की परिभाषा "सतत रूप से प्रबंधित बॉण्ड अथवा पौधा रोपण से लकड़ी का उपयोग करते हुए बनाए गए अधिक सतत विस्कोस और अपेक्षाकृत कमतर जी एच जी प्रभाव के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय वन प्रमाणन (एफ एस सी/ पी ई एफ सी) द्वारा प्रमाणित विस्कोस है। लकड़ी का स्रोत उस स्थिति में प्राचीन और खतराग्रस्त जंगलों से नहीं हो सकता है जब जंगल से फाइबर उत्पादन तक पता लगाने की पूर्ण क्षमता हो और उसका उत्पादन उत्पादन सुविधा में किया जाता हो जो ई यू बी ए टी के अनुकूल है।"
- न. घरेलू उद्योग की स्पन डाइड फाइबर की परिभाषा केवल 1.50 डायनर की रेखीय घनत्व का उल्लेख करता है। रेखीय घनत्व पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
- प. लिसेल फाइबर को पूर्व जांच और निर्णायक समीक्षा में शामिल नहीं किया गया था। लिसेल फाइबर के लिए निर्माण प्रक्रिया और संयंत्र उपर्युक्त अन्य उत्पाद अपवर्जनों जिसके लिए उत्पादन की प्रक्रिया और संयंत्र समान हैं के विपरीत बी एस एफ से पूर्ण रूप से अलग अलग है। यह उल्लेख करना भ्रामक है कि लिसेल फाइबर विचाराधीन उत्पाद से एक नये उपवर्जन के रूप में है।
- फ. ए पी आर का एक विस्तारित शाखा ए एफ टी है और एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए लाभ और एस जी ए खर्च के लिए कोई कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं है। ए पी आर के लिए पाटन मार्जिन में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।
- ब. ए पी आर विचाराधीन उत्पाद का एक नया उत्पादक है। इसने मूल जांच अथवा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया। प्राधिकारी ने पहली बार वर्तमान निर्णायक समीक्षा में ए पी आर के व्यवहार का आकलन किया है और यह निर्धारित किया है कि भारत को ए पी आर द्वारा किया गया निर्यात क्षति रहित कीमत पर हुआ है। इस कारण से यदि पाटनरोधी शुल्क को इण्डोनेशिया से किये गये विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों पर जारी रखा जाता है तब भी कोई पाटनरोधी शुल्क ए पी आर द्वारा किये गये निर्यातों पर जारी नहीं रखा जाना चाहिए।
- भ. एस एफ जे के पास अथवा एफ एस जे की संबंधित कंपनियों के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है। सतेरी (चीन) फाइबर कं. लिमि. का क्षमता उपयोग जांच की अवधि में कम था लेकिन वह जांच की अवधि के बाद की अवधि में स्थिर हो गया। ऐसा इसलिए है कि इसने जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन अभी शुरू ही किया था और इस कारण से प्राप्त किया गया उत्पादन जांच की अवधि में डिजाइन किये गये वार्षिक क्षमता की तुलना में की थी लेकिन जांच की अवधि की बाद की अवधि में यह आदर्शतम थी।

- म. संभावना के आकलन के लिए, प्राधिकारी को तीसरे देशों को निर्यातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रिकार्ड पर यह दर्शाने के लिए कोई सूचना नहीं है कि तीसरे देशों को किये जाने वाले निर्यात भारत की ओर परिवर्तित किये जायेंगे।
- य. यदि प्राधिकारी तीसरे देश के निर्यातों का विश्लेषण करने की कार्यवाही करने का विकल्प चुनते हैं तब इन्हें जांच की अवधि की बाद की अवधि में ए पी आर द्वारा तीसरे देशों को निर्यातों की जांच करनी चाहिए। ए पी आर के निर्यात बिक्री स्थिर हो गई थी और यह तीसरे देशों को इसके निर्यातों का अधिक सटीक निर्यात कीमत दायरे को दर्शाता है।
- कक. प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे कोई सिफारिश करने से पूर्व वर्तमान जांच में न्याय क्षेत्र से संबंधित मुद्दे के बारे में निर्णय लें क्योंकि न्याय क्षेत्र का होना प्राधिकारी द्वारा अधिकार का उपयोग करने के लिए एक आवश्यक शर्त है।
- खख. घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकारों द्वारा किये गये निर्यातों की मात्रा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे नमूने मात्रा हैं क्योंकि हमारी समझ के अनुसार वह वाणिज्यिक मात्राओं में था।
- गग. प्राधिकारी ने एक्सल प्रपत्र में आयात संबंधी आंकड़े साझा नहीं किये हैं।
- घघ. प्राधिकारी का विचाराधीन उत्पाद के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव उचित व्यवहार के सिद्धांतों के विरुद्ध है क्योंकि संबद्ध देशों में घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकारों ने भारत को अपवर्जित उत्पादों का निर्यात किया है और इन उच्च कीमत के ग्रेडों का अपवर्जन प्रत्यक्ष रूप से और कृत्रिम रूप से पाटन और क्षति को प्रभावित किया है।
- डड. ग्रासिम ने वास्तव में अपने संबंधित पक्षकारों से आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद के ग्रेडों का अपवर्जन कर असंबंधित उत्पादकों से अलग तरीके से व्यवहार किया है।
- चच. प्राधिकारी ने आवेदक उद्योग के संबंधित पक्षकारों की अतिरिक्त क्षमताओं और निर्यात कीमतों का विश्लेषण नहीं किया है। अलग अलग निर्यातकों के बीच अंतर स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त दृष्टिकोण भी सही नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के संबंधित निर्यातकों से संबंधित आंकड़े यह सिद्ध कर पाते कि अन्य निर्यातकों की कीमतें घरेलू उद्योग के संबंधित निर्यातक की कीमतों के अनुरूप हैं। यह भी दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का अपने संबंधित पक्षकारों के साथ संबंध ने किस प्रकार से जांच को प्रभावित किया है।
- छछ. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, इण्डोनेशिया के निर्यातकों से क्षति मार्जिन विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से मूल्यवर्धित उत्पादों को बाहर रखने जाने के बावजूद नकारात्मक है।
- जज. चूंकि सी सी आई के फैसले पर कोई रोक नहीं है, अतः यह दर्शाता है कि सक्षम प्राधिकारी का अविवादित जांच परिणाम है कि ग्रासिम ने वास्तव में भारतीय बाजार को अपने तरीके से तय किया था और वह प्रतिस्पर्धारोधी कार्यपद्धतियों में शामिल रहा था। यदि प्राधिकारी सी सी आई के जांच परिणामों जिसमें यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि ग्रासिम में बाजार को अपने तरीके से तय किया है और उसे गलत तरीके से पेश किया है, के जांच परिणामों की उपेक्षा करते हैं तब यह न्याय पर पर्दा डालना होगा। यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश करने और एकमात्र घरेलू उत्पादक को अपनी कार्यपद्धतियों को बनाये रखने की अनुमति देते हैं जो गलत और प्रतिस्पर्धारोधी के रूप में सिद्ध हुआ है तब यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कोई सकारात्मक सिफारिश न केवल गैर कानूनी बल्कि प्रयोक्ता उद्योग के हितों के विरुद्ध भी होगी।

ठ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

138. यह देखा गया है कि प्रकटीकरण विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर अनुरोध उनके पहले किए गए अनुरोधों की केवल पुनरावृत्ति है। प्राधिकारी ने पहले ही प्रकटीकरण विवरण को जारी करने के समय अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, जो पहले किए गए अनुरोधों की केवल पुनरावृत्ति है, को दुबारा नहीं दोहराया जा रहा है। प्रकटीकरण विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जिनकी प्राधिकारी द्वारा पहले जांच नहीं की गई है, पर इसमें यहां विचार किया गया है।
139. स्वयं जांच शुरुआत के समय पीयूसी के क्षेत्र से कुछ विशिष्ट प्रकार के उत्पादों को शामिल न किए जाने से संबंधित अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद-11 बताता है कि पाटनरोधी शुल्क केवल तभी तक और उसी सीमा तक प्रवृत्त रहेंगे जो ऐसे पाटन का प्रतिकार करने के लिए जरूरी हो, जो क्षति का कारण बन रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि जांच शुरुआत के समय पर ही पीयूसी के क्षेत्र को प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राधिकारी को प्राप्त है यदि घरेलू उद्योग स्पष्ट रूप से यह अनुरोध करता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किए जाने की

अब कोई जरूरत नहीं है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 11.1, जिसके तहत किसी समीक्षा जांच के लिए लागू अपेक्षा निर्धारित की गई है, इस प्रकार पढ़ा जाता है:

कोई पाटनरोधी शुल्क तब तक और उस सीमा तक लागू रहेगा, जितनी ऐसे पाटन पर प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक है, जिससे कि क्षति हो रही है।

इसी प्रकार, पाटनरोधी नियमावली, 1995 का नियम 23(1) ऐसी समीक्षा जांच के लिए एक सुरक्षा का प्रावधान है, जिसके तहत प्राधिकारी पर एक बाध्यता प्रदान की गई है कि अधिनियम की धारा 9क के तहत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क केवल उतनी समय अवधि और उस सीमा तक ही लागू रहेगा, जितनी कि ऐसे पाटन पर प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक है, जिससे कि क्षति हो रही है।

सीमा शब्द का सामान्य अर्थ "स्थिति, मात्रा, अथवा सीमा" से है और आवश्यक शब्द का अर्थ "करने, हासिल करने, अथवा प्रस्तुत करने; अनिवार्यता" से है।

इस प्रकार नियम 23(1) के तहत प्राधिकारी पर नियम 23(1ख) के तहत कोई निर्णायक समीक्षा जांच करते समय सीमा रखने के लिए प्रावधान है कि किसी शुल्क का विस्तार करना/शुल्क को लगाना एक अपवाद की परिस्थिति है और यह विस्तार केवल क्षति का कारण बनने वाले पाटन पर प्रतिक्रिया की कार्रवाई करने के लिए आवश्यक सीमा तक ही किया जा सकता है।

उपरोक्त नियमों के अनुसार और आवेदक द्वारा मॉडल फाइबर, नान-वूवन फाइबर, फ्लेम रिटार्डेंट फाइबर, इको फाइबर, स्पन डाइड फाइबर, टेसेल फाइबर (अथवा लायोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर को बाहर करने के लिए, किए गए अनुरोध के अनुसार, प्राधिकारी ने अनुरोध को, विशेषकर तब स्वीकार किया है, जब आवेदक स्वयं ही उपरोक्त उत्पाद टाइप पर शुल्क का विस्तार करने का इच्छुक नहीं है, जो कि पहले विचाराधीन उत्पाद के दायरे में था। अतः अनुच्छेद 11.1 को लागू करके, जिसके तहत समीक्षा जांचों के लिए एक मार्गनिर्देशी सिद्धांत तय किया गया है और नियम 23(1), जो कि भारतीय समीक्षा जांचों के लिए शब्दशः अनुच्छेद 11.1 है, को लागू करके, प्राधिकारी ने अपनी व्यर्थ की कार्रवाई से बचने के लिए स्वयं ही, जांच शुरुआत की अवस्था में, नियम 23(1) के तहत यथा परिकल्पित "आवश्यक समझे जाने तक" के सिद्धांत को लागू करके उत्पाद के दायरे को सीमित किया है। यदि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोध के बावजूद, उपरोक्त उत्पादों पर समीक्षा जांच शुरू की होती, तो यह संसाधन और समय की बर्बादी होती।

140. उत्पादों को शामिल न करने के घरेलू उद्योग के अभिप्राय के संबंध में किए गए अनुरोध के बारे में, ताकि इसके संबंधित पक्षकार एडीडी के बिना भारत को निर्यात कर सकें, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी हितवद्ध पक्षकार ने इस तथ्य को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकार बहिष्कृत किए गए सभी प्रकार के उत्पादों के उत्पादन में संलग्न भी नहीं है जबकि घरेलू उद्योग स्वयं सभी बहिष्कृत उत्पादों के उत्पादन में संलग्न है। अतः, यह इस तर्क को निर्धारित करता है कि भारत में इन बहिष्कृत उत्पादों की मांग को संबद्ध देशों में घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकारों द्वारा पूरा किया जाएगा न कि स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा।

141. बहिष्कृत उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकारों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में किए गए अनुरोधों के बारे में, प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :-

क. चीन जन.गण. में घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकार ने पीओआई सहित क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को बहिष्कृत उत्पादों का निर्यात नहीं किया है।

ख. इंडोनेशिया में घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकार ने 2017-18 और 2018-19 के दौरान भारत को बहिष्कृत उत्पादों का निर्यात नहीं किया है। इसने पीओआई के दौरान भारत को बहिष्कृत उत्पादों के *** मी.ट. की छोटी मात्रा निर्यात की है। भारत को निर्यातित बहिष्कृत उत्पादों की मात्रा पी ओ आई के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन का *** प्रतिशत है। घरेलू उद्योग के संबंधित पक्षकार द्वारा बहिष्कृत उत्पादों को इतने न्यूनतम निर्यात का न तो घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा और न ही क्षति और संभावना के विश्लेषण पर।

142. क्षति रहित कीमत और इसके प्रकटीकरण के परिकलन पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत को नियमावली के अनुबंध-111 और प्राधिकारी के अनवरत अभ्यास के अनुसरण में निर्धारित किया गया है और घरेलू उद्योग को इसका प्रकटन किया गया है।

143. पीओआई-पश्चात अवधि की जांच के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक निर्णायक समीक्षा जांच में पीओआई-पश्चात की अवधि की जांच करना अनिवार्य रूप से जरूरी नहीं है। वास्तव में, बहुत सी निर्णायक समीक्षा जांचों में पीओआई पश्चात अवधि की प्राधिकारी ने जांच नहीं की है। वर्तमान मामले में, पी ओ आई सहित क्षति जांच अवधि के लिए सूचना यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है, यदि शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न व्यवधान के कारण पी ओ आई पश्चात अवधि भी प्रभावित हुई है और इसलिए यह अवधि भी प्रतिनिधिक नहीं है।
144. हार्किस राइट और रेड बुक की रिपोर्ट के अविश्वसनीय होने से संबंधित अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने संभावना के विश्लेषण के प्रयोजन से हार्किस राइट और रेड बुक की रिपोर्ट में प्रदान किए गए आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है। वास्तव में, प्राधिकारी ने, शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने के लिए संबद्ध देशों से प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदान किए गए सत्यापित आंकड़ों के आधार पर एक विश्लेषण किया है।
145. अधिक क्षमता की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की संगत संस्थाओं के क्षमता संबंधी आंकड़ों को निकालने से संबंधित अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने संभावना के विश्लेषण में घरेलू उद्योग के संगत पक्षकारों की अधिक क्षमता की जांच नहीं की है और संबद्ध देशों से अन्य उत्पादकों/निर्यातकों की अधिक क्षमता पर ध्यान केन्द्रित किया है।
146. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने जांच शुरूआत के स्तर पर संबद्ध देशों, तीसरे देश के निर्यातों, निर्यात उन्मुखीकरण आदि में आधिक्य क्षमता के संबंध में ट्रेड नोटिस सं. 02/2017 दिनांक 12.12.2017 के संदर्भ में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई थी।
147. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी के पास जांच आयोजित करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि 5 वर्षों के लिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने संबंधी अधिसूचना गैर कानूनी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रथम निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने वाली सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 43/2016 दिनांक 8 अगस्त, 2016 और 31 अक्टूबर, 2021 तक संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार करने वाली दिनांक 30 जून, 2021 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 39/2021 को भारत में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा गैर-कानूनी घोषित नहीं किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी के पास वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच को आयोजित करने और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।
148. इस अनुरोध के संबंध में कि बहिष्कृत उत्पाद प्रकारों का तकनीकी उत्पाद विवरण उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों ने ही बहिष्कृत उत्पाद प्रकारों के क्षेत्र का स्पष्टीकरण करने का अनुरोध किया है। प्रतिभागी आयातकों/प्रयोक्ताओं ने बहिष्कृत उत्पाद प्रकार के क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए अनुरोध नहीं किया है और/या बहिष्कृत उत्पाद प्रकारों की कोई प्रस्तावित परिभाषा उपलब्ध नहीं कराई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी के क्षेत्र से बहिष्कृत उत्पाद प्रकार से आयातक/प्रयोक्ताओं के लिए अच्छी तरह से परिचित हैं और बहिष्कृत उत्पाद प्रकारों के क्षेत्र को स्पष्ट करने की और कोई आवश्यकता नहीं है।
149. एपीआर द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में कि कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए एपीआर के संबंधित व्यापारी के लाभ और एसजीए व्ययों के लिए कोई कटौती किए जाने की जरूरत नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने पाटनरोधी नियमावली और इसके निरंतर अभ्यास के अनुसार भी सहयोगी पक्षकारों के लिए पाटन मार्जिन को निर्धारित किया है।
150. इस अनुरोध के संबंध में कि, प्राधिकारी ने एक्सेल फॉर्मेट में आयात आंकड़ों को साझा नहीं किया है, यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी की वर्तमान अभ्यास के अनुसार, आयात संबंधी आंकड़ों की ट्रेड नोटिस सं. 07/2018 दिनांक 15 मार्च, 2018 के अनुसरण में हितबद्ध पक्षकारों को हार्ड प्रति उपलब्ध कराई गई है।
151. इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध देशों में प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों के पास कोई सरप्लस क्षमता नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अपनी प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों में किए गए अनुरोधों पर विधिवत् विचार किया है।

152. इस अनुरोध के संबंध में कि जांच की अवधि के बाद एसएफजे अथवा एसएफजे की संगत कंपनियों के पास कोई अधिक्य क्षमता नहीं है, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि उसने प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अपनी प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों में किए गए अनुरोधों पर विधिवत् विचार किया है।
153. इस अनुरोध के संबंध में कि ग्रासिम गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में शामिल है जैसाकि सीसीआई के निर्णय में स्थापित किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सी सी आई के निर्णय को घरेलू उद्योग द्वारा अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी गई है और मामला विचाराधीन है और अभी तक इसे अंतिमता प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, यदि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के उपबंधों का कोई उल्लंघन किया गया है तो यह संबंधित प्राधिकारी के लिए है कि वह उस पर उचित कार्यवाही करे। उस मामले में किसी भी निर्णय से शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की उद्देश्यपरक जांच पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के निरसन की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना पर आधारित है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर-प्रतिस्पर्धी व्यवहार को निर्धारण करने के लिए सी सी आई द्वारा की गई जांच की अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 तक थी। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई क्षति अवधि 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 है।

ड. निष्कर्ष

154. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और किये गये अनुरोधों जिन्हें इन जांच परिणाम में रिकार्ड किया गया है, को ध्यान में रखते हुए और ऊपर में उल्लेख किये गये घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के निर्धारण के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि :

- क. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और मार्जिन महत्वपूर्ण है। संबद्ध देश से पाटन के जारी रहने की संभावना है।
- ख. पर्याप्त क्षति के संबंध में विभिन्न मापदंडों पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में विगत दो वित्तीय वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्रियों में एक गिरावट देखी है। तथापि, उत्पादन और बिक्रियों में गिरावट, कोविड-19 महामारी के चलते मांग में गिरावट के कारण हो सकती है। संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही है और कम कीमत पर बिक्री भी नकारात्मक है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ अभी तर्कसंगत है। जांच की अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत, बिक्री कीमत और एनआईपी से काफी अधिक हैं। घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में एकाधिकार की स्थिति का लाभ ले रहा है और संबद्ध देशों से आयातों का बाजार अंश काफी कम है। अतः आयातों से घरेलू उद्योग पर कोई कीमत और मात्रा संबंधी प्रभाव पड़ने के बारे में कहा नहीं जा सकता।
- ग. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटन के जारी रहने की संभावना है। तथापि, घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना अधिक मजबूत नहीं है, जिससे 11 वर्षों से आगे शुल्कों को जारी रखने की जरूरत होती। संबद्ध देशों में प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के पास काफी सरप्लस क्षमताएं हैं, जिनका प्रयोग, शुल्क को हटाए जाने की स्थिति में भारत को उनके निर्यातों में वृद्धि के लिए किया जा सकता है।
- घ. अतः रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना की उद्देश्यपरक जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करने का कोई औचित्य नहीं है।

ड. सिफारिशें

155. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी दिनांक 8 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 15/09/2015-डीजीएडी के तहत संस्तुत किए गए और दिनांक 8 अगस्त, 2016 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 43/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत लगाए गए तथा दिनांक 30 जून, 2021 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 39/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 तक आगे विस्तार किए गए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं।

त. आगे की प्रक्रिया

156. केंद्र सरकार के इस आदेश के विरुद्ध अपील जो इस सिफारिश के परिणामस्वरूप की जा सकती है, इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जायेगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2021

FINAL FINDING

Case No. SSR AD – 03/2021

Subject: Sunset Review of anti-dumping investigation concerning imports of “Viscose Staple Fibre” originating in or exported from China PR and Indonesia.

F. No. 7/03/2021 - DGTR.— A. BACKGROUND OF THE CASE

Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as ‘the Rules’ or ‘AD Rules’) thereof;

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an antidumping investigation in respect of imports of “Viscose Staple Fibre” (hereinafter referred to as “VSF” or “PUC” or “Product Under Consideration” or “Subject Goods”) originating in or exported from China PR and Indonesia on 19th March 2009 and after conducting the investigation recommended imposition of definitive duty vide Final Findings No. 14/6/2009 – DGAD dated 17th May 2010 and the anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No.76/2010-Customs dated 26th July 2010.
2. A sunset Review (SSR) investigation was initiated vide Notification No. 15/9/2015-DGAD dated 22nd July 2015. The extension of anti-dumping duties was recommended vide Final Findings Notification No. 15/9/2015-DGAD on 8th July 2016 and the same was imposed by the Central Government vide Notification No.43/2016-Customs (ADD) dated 8th August 2016.
3. Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B), inter alia, provides that anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. Association of Man Made Fibre Industry of India (hereinafter referred to as the 'Applicant Association' or 'AMFII') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of M/s Grasim Industries Limited, in accordance with the Act and the Rules, for initiation of sunset review investigation concerning imports of "Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo Fibre, Modal Fibre, Non-Woven fibre, Flame retardant Fibre, Eco Fibre (Eco Vero or EV), Spun Dyed Fibre, Tencel Fibre (or Lyocell) and Outlast Viscose Fibre" (hereinafter referred to as 'subject goods' or 'product under consideration') originating in or exported from China PR and Indonesia (hereinafter referred to as 'subject countries'). Grasim Industries Limited has provided data and has requested extension of duties.
5. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, and in

accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, initiated a sunset review investigation vide Notification F. No. 7/03/2021-DGTR (SSR-AD-03/2021) dated 22nd February 2021 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

6. The existing duties on the subject goods were set to expire on 7th August 2021. The Central Government vide notification no. 39/2021 dated 30th June 2021 extended the anti-dumping duties up to 31st October 2021.
7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods (as defined in the initiation notification F. No. 7/03/2021-DGTR (SSR-AD-03/2021) dated 22nd February 2021), originating in or exported from the subject countries.

B. PROCEDURE

8. The procedure described below has been followed in this investigation:
 - i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority issued a Notification dated 22nd February 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review of antidumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 22nd February 2021 to the Embassies of the subject countries in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users and other interested parties, as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - v. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent along with the names and addresses of the known producers/exporters from the respective subject countries.
 - vi. Upon the request made by the interested parties, the Authority granted extension of time upto 20th May 2021 to file their response as well as submissions.
 - vii. The Authority sent exporters' questionnaires to the following known exporters in the subject countries in accordance with the Rule 6(4) of the Rules to elicit relevant information:
 - a. Alaer Fulida, China PR
 - b. Anhui Somet Fibre, China PR
 - c. China Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited, China PR
 - d. Aoyang Industrial Group (Manasi), China PR
 - e. Birla Jingwei, China PR
 - f. Chengdu Grace Corporation Limited, China PR
 - g. Jiujiang Hengsheng, China PR
 - h. Hebei Jigao Chemical Fiber Company Limited, China PR
 - i. Jiangsu Sanfangxiang Chemical Fibre Co.Ltd., China PR
 - j. Jilin Chemical Fibre, China PR

- k. ChtcHelon Company Limited, China PR
- l. Lenzing Nanjing Fibres, China PR
- m. Nanjing Chemical Fibre Limited, China PR
- n. Yibin Grace Company Limited, China PR
- o. Sateri Jiangsu Fiber Company Limited, China PR
- p. Sateri(Jiangxi) Chemical Fiber Company Limited, China PR
- q. SateriJiujiang (Hukou), China PR
- r. Sateria China, China PR
- s. Shandong Boxing Yamei Technology, China PR
- t. Shandong Chenming, China PR
- u. Shandong Silver Hawk Chemical Fiber, China PR
- v. Shunquan Chemical Fiber, China PR
- w. Tangshan Sanyou Group Chemical Fibre Company Limited, China PR
- x. Xingxiang Bailu Chemical Fibre Group Limited, China PR
- y. Xinjiang Fulida Fibre Company Limited, China PR
- z. Xinjiang Tiantai, China PR
- aa. Sateri Fibre Company Limited, China PR
- bb. Zhejiang Fulida Fibre Company Limited, China PR
- cc. P.T. South Pacific Viscose (Lenzing), Indonesia
- dd. P.T. Indo Bharat Rayon, Indonesia
- ee. Pt Sri RejekiIsman (Sritex), Indonesia
- ff. Asia Pacific Rayon, Indonesia
- viii. Following companies have filed the exporter questionnaire responses as producers/exporters of the product under consideration:
 - a. Sateri (Fujian) Fibre Co. Ltd., China PR
 - b. Birla Jingwei Fibres Company Limited, China PR
 - c. PT Asia Pacific Rayon, Indonesia
 - d. PT South Pacific Viscose, Indonesia
 - e. PT Indo Bharat Rayon, Indonesia
 - f. Asia Fibre Trading Pte. Ltd., Singapore (Trader)
- ix. The Authority forwarded a copy of the notification to the following known importers/consumers/user Associations of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with the Rule 6(4) of Rules:
 - a. Pallava Textiles Limited, Tamil Nadu
 - b. Cheran Spintex India Private Limited, Tamil Nadu
 - c. Pallipalayam Spinners, Tamil Nadu
 - d. PKPN Spinning Mills Private Limited, Tamil Nadu
 - e. Keshar Multiyarn Mill Limited, West Bengal

- f. Soundararaja Mills Limited, Tamil Nadu
- g. Ginni Filaments Limited, Uttar Pradesh
- h. Shri Cheran Syn. India Limited, Tamil Nadu
- i. Reliance Chemotex Industries Limited, Maharashtra
- j. Rajapalayam Mills Limited, Tamil Nadu
- k. RSWM Limited, Uttar Pradesh
- l. Adani Enterprises Limited, Gurgaon
- m. Shree Rajasthan Syntex Limited, Rajasthan
- n. Deepak Spinners Limited, Chandigarh
- o. Rajaguru Spinning Mills Private Limited, Tamil Nadu
- p. Chola Spinning Mills Private Limited, Tamil Nadu
- q. Zenith Spinners LLP, Gujarat
- r. Maharaja Sathayam Ind. Private Limited, Tamil Nadu
- s. Sutlej Textiles and Industries Limited, New Delhi
- t. AGT Mills Private Limited, Tamil Nadu
- u. Mothi Spinner Limited. Tamil Nadu
- v. APM Industries Limited, Rajasthan
- w. SMP Textile Mills Private Limited, Tamil Nadu
- x. Keshar Multiyarn Mill Limited, West Bengal
- y. Sarmangal Synthetics, Tamil Nadu
- z. Pee Vee Textiles Limited, Maharashtra
- aa. Sri Karthikeya Spinning and Weaving Mills Private Limited, Tamil Nadu
- bb. Chola Spinning Mills Private Limited, Tamil Nadu
- cc. Nahar Spinning, Punjab
- dd. KRV Spinning Mills Private Limited, Tamil Nadu
- ee. Velatal Spinninh Mills Private Limited, Tamil Nadu
- ff. Sree Dinakar Fabrics, Andhra Pradesh
- gg. Gimatex Industries Private Limited, Maharashtra
- hh. Soundararaja Mills Limited, Tamil Nadu
- ii. Suryalata Spinning Mills Limited, Telangana
- jj. Gillanders Arbuthnot & Company Limited, West Bengal
- kk. Sree Karpagambal Mills Limited, Tamil Nadu
- ll. Arunkumar Spinning Mills Private Limited, Tamil Nadu
- mm. Shree Bharani Spinning Private Limited, Tamil Nadu
- nn. Sidharth Exports Private Limited, Uttar Pradesh
- oo. Sri Choleeswarar Spinning Mills Private Limited, Tamil Nadu
- pp. Sri Bhagirath Textiles Limited, Maharashtra

- qq. Victory Spinning Mills Private Limited, Tamil Nadu
- rr. Sri Hariprasath Textiles Private Limited, Tamil Nadu
- ss. Saraf Yarn Private Limited, Maharashtra
- tt. Sri Nallathal Spinning Mills Private Limited, Tamil Nadu
- uu. Supertex Mills India Private Limited, Tamil Nadu
- vv. GVS Spinners Private Limited, Tamil Nadu
- ww. NRU Spinning Mills Limited, Tamil Nadu
- xx. Valli Spinning Mills Limited, Tamil Nadu
- yy. Arcot Textile Mill Limited, Tamil Nadu
- zz. Vardhman Textile Limited, Punjab
- aaa. Banswara Syntex Limited, Maharashtra
- bbb. Sangam Spinners Limited, Rajasthan
- ccc. Chenab Textile Mills, New Delhi
- ddd. Spentex Industries Limited, New Delhi
- x. Following importers/users responded and filed importer/user questionnaire responses:
 - a. Lambodhara Textiles Limited
 - b. Pallava Textiles Private Limited
 - c. Acsen Tex Private Limited
 - d. Sri Cheran Synthetics India Private Limited
 - e. Gimmatex Industries Private Limited
 - f. RSWM Limited
- xi. Authority also sent copies of initiation notification to the following Associations and sought their comments: -
 - a. Rajasthan Textiles Mills Association, Rajasthan
 - b. Northern India Textiles Mill's Association, Haryana
 - c. The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTPC), Maharashtra
 - d. Indian Spinners' Association, Tamil Nadu
- xii. The following Associations and other interested parties have participated or filed submissions during the course of investigation:
 - a. Indonesian Embassy
 - b. Southern India Mills Owners Association (SIMA)
 - c. Tamil Nadu Spinning Mills Association (TSMA)
 - d. Indian Manmade Yarn Manufacturers Association (IMMA)
 - e. Indian Spinner Association
 - f. Tamil Nadu Federation of Power Looms Associations
 - g. Thiru veltex Private Limited
 - h. Sri Bhagirath Textiles Limited
 - i. Velatal Spinning Mills Private Limited

- xiii. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st October 2019 to 30th September 2020 (12 months). However, injury analysis covers period 2017-18, 2018-19, 2019-20, and the POI.
- xiv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S imports data for computation of the volume & value of imports and injury analysis.
- xv. Verification of the information and data submitted by the domestic industry and the responding producers in the subject countries was carried out to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings.
- xvi. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvii. The Authority held oral hearing on 9th July 2021 to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6). Oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter.
- xviii. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation and the oral hearing, have been addressed in these final findings, to the extent considered relevant by the Authority.
- xix. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information have been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xx. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has treated such parties as non-cooperative and recorded its finding on the basis of 'facts available'.
- xxi. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 21st July, 2021 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.
- xxii. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority is USD = Rs 74.38.
- xxiii. *** in these final findings represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

9. The product under consideration in the original investigation and first sunset review was described as follows:

"Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre". Viscose Staple Fibre is described as "Viscose rayon staple fibre not carded/combed" under the Customs Tariff and is also known as "Rayon Fibre" in some markets. The product under consideration is classified under Custom Headings 5504.10.00. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Viscose Staple Fibre was the first man-made fibre, and unlike other man-made fibres, is not a synthetic fibre. It is made through wet spinning technology and is a regenerated cellulose fibre made from wood pulp, which is essentially cellulose extracted from a sustainable natural resource i.e. wood, by subjecting it to various chemical and mechanical processes. On account of its cellulosic base, viscose staple fibre properties are similar to those of natural cellulosic fibres than those of thermoplastic, petroleum based synthetic fibres such as nylon or polyester. Further, it has a distinct advantage of engineered specification and uniformity. Viscose Staple Fibre has silk-like aesthetic with superb drape, soft feel and retains rich brilliant colours. Fabrics made from it are moisture absorbent (even more than cotton), breathable, comfortable to wear, and easily dyeable in vivid colours. They do not build up static electricity, and are pill-resistant.

10. The product under consideration covered all types of Viscose Staple Fibre including Grey Viscose Staple Fibre, Non-woven Fibre, Modal Fibre, Flame Retardant Viscose Staple Fibre, Spun dyed Viscose Staple Fibre, Tencel Viscose Staple Fibre, and the Eco vero Viscose Staple Fibre and excluded only Bamboo Fibre in the original and first sunset review investigation. The domestic industry while filing the petition for initiation of the present sunset review requested the Authority to restrict the scope of the product under consideration and to consider only Viscose Staple Fibre excluding Modal Fibre, Non-Woven Fibre, Flame Retardant Fibre, Eco Fibre, Spun Dyed Fibre, Tencel Fibre (or Lyocel) and Outlast Viscose Fibre as product under consideration for the purpose of the present sunset review investigation.

11. The Authority at the stage of initiation, read with corrigendum to the initiation notification, defined the product under consideration as under:

“The scope of product under consideration in the present investigation is restricted to only Viscose Staple Fibre (VSF) excluding:

- a) Bamboo Fibre*
- b) Modal Fibre*
- c) Non-Woven Fibre*
- d) Flame Retardant Fibre*
- e) Eco Fibre (Eco Vero or EV)*
- f) Spun Dyed Fibre*
- g) Tencel Fibre (or Lyocel) and Outlast Viscose Fibre”*

C.1 Submissions made by the Applicant

12. The following submissions have been made by the domestic industry and the applicant during the course of the investigation.
 - a. All types of Viscose Staple Fibre including Grey Viscose Staple Fibre, Non-woven Fibre, Modal Fibre, Flame Retardant Viscose Staple Fibre, Spun dyed Viscose Staple Fibre, Tencel Viscose Staple Fibre, and Eco Vero Viscose Staple Fibre are currently attracting anti-dumping duty and only Bamboo Fibre is outside the scope of the product under consideration.
 - b. It is requested that the scope of the product under consideration for the purpose of the present investigation be considered as Grey Viscose Staple Fibre.
 - c. Over the years, various other grades of Viscose Staple Fibre have been developed. Domestic industry has the technology to produce almost all the grades of Viscose Staple Fibre.
 - d. Grey Viscose Staple Fibre produced by the domestic industry is a like article to the imported product. There are no differences in the applicant's product and the alleged dumped product.
 - e. As against the submission on curtailment of the scope of the product under consideration, it is submitted that there is no bar on curtailment of the scope of the product under consideration. However, the Authority cannot enhance the scope of the product under consideration, or countries involved in the sunset review investigation. Authority has neither expanded the scope of the product under consideration nor added fresh countries at the stage of the sunset review investigations.

- f. Designated Authority has routinely curtailed the scope of the subject countries at the time of the sunset review investigations.
- g. Curtailment of the scope of the product under consideration is permissible due to the reason that there may be no longer a justification for continuing duty on some particular product types/set of product types or the domestic industry might have been producing some types at the time of original investigation, but has stopped producing the same at the time of the sunset review investigation.
- h. Interested parties are not at all prejudiced by restricting the scope of the product under consideration in a SSR investigation. On the contrary, interested parties are the beneficiary of cessation of antidumping duty on such product types, as they are free to export the product without the same attracting antidumping duty.
- i. Neither Section 9A (5) nor Rule 23 bars the Authority to restrict the scope of the PUC in a SSR case. It does not make any difference if the same is restricted during the course of investigation or at time of filing of application itself by the domestic industry.
- j. Facts in investigation concerning DI Pipes and Polystyrene are different and hence reference is not proper. In both these cases, applicant did not request for exclusion of the product type while filing the application and sought so after initiation and the interested parties had provided relevant information.
- k. Domestic industry is unaware of any past instance where the Designated Authority refused curtailment of the scope of the product under consideration at the time of initiation.
- l. There is no ill intention of domestic industry to source these excluded types from subject countries, post extension of ADD in the present sunset review investigation. The domestic industry could have done this already from its related entity in Thailand as it produces all the excluded types. Also, the domestic industry produces all types with the exception of Bamboo Fibre and Outlast VSF. With the restriction in the scope of the PUC, other foreign producers can export these products to India without attracting ADD. The curtailment will benefit the exporters as well as the consumers.

C.2 Submissions made by other interested parties

13. The following submissions have been made by other interested parties during the course of the investigation.
- a. Domestic industry has not provided proper justification behind narrowing down the scope of the product under consideration.
 - b. Technical nomenclature adopted for exclusions by the domestic industry are not as per industry standards.
 - c. In the previous sunset review, Authority had itself held that there was no need to disintegrate the product under consideration into various grades/types.
 - d. Dissecting the scope of the product under consideration would imply that related entities of Grasim in subject countries will have complete liberty to export excluded categories of Viscose Staple Fibre to India.
 - e. Domestic industry unilaterally altered scope of the product under consideration in their application to suit their agenda. Such unilateral alteration of product under consideration by the domestic industry in their application ensured that continuation of duty did not meet the requirements of Rule 23(1B) as well as Section 9A (5).
 - f. It is not permissible in law and is also against the consistent approach of the Authority to alter scope of the product under consideration in a sunset review investigation.
 - g. In cases when the scope of the product under consideration is permitted to be altered, the same is done after conducting an investigation and finding a need of alteration in view of compelling circumstances such as non-production of a type by the domestic industry after analysing the information/arguments of all the parties concerned.
 - h. The products have been excluded as they are high priced and by including them would have impacted dumping and injury margins.

- i. Decision to curtail the scope of the product under consideration has been taken by the domestic industry on its own without giving the Authority any opportunity to apply its mind on the legality or the logic of the approach.

C.3 Examination by the Authority

14. The product under consideration in the original and first sunset review investigation was as mentioned below:

“Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre”. Viscose Staple Fibre is described as “Viscose Rayon staple fibre not carded/combed” under the Customs Tariff and is also known as a “Rayon Fibre” in some markets. The product under consideration is classified under Custom Headings 5504.10.00. The Custom Classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation ...”

Only Bamboo Fibre was outside the scope of the product under consideration. In the application for current sunset review investigation, the applicant requested Authority to exclude Modal Fibre, Non-Woven Fibre, Flame Retardant Fibre, Eco Fibre, Spun Dyed Fibre, Tencel Fibre (or Lyocel) and Outlast Viscose Fibre. The exclusion request was accepted by the Authority at the time of the initiation of the investigation and accordingly the scope of the product under consideration was restricted/ narrowed down. The Authority notes that there is no bar either under the Act or under the Rules on narrowing down the scope of product under consideration in a sunset review particularly when the domestic industry has itself requested for narrowing down the scope of PUC as they no longer need protection on the excluded grades/types.

15. The Authority has restricted the scope of product under consideration in several sunset review investigations in the past at the time of initiation. Further, it has not been established by the interested parties how curtailment of the scope of the product under consideration has caused prejudice to their interests. The Domestic industry did make the request for limiting the scope of the product under consideration at the initiation stage itself. Had the Authority proceeded with the investigation without acceding to the request for the exclusion of these type/ grades of PUC, it might have resulted in imposition of anti-dumping duty on the types/grades for which the applicant/domestic industry did not want any protection. Moreover, curtailment of the scope of product under consideration cannot cause prejudice to the interested parties opposing imposition of anti-dumping duty. Therefore, the scope of product under consideration was curtailed at the stage of initiation itself.
16. The applicant has claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant is being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.
17. Accordingly, the scope of the PUC in the present sunset review investigation is *“Viscose Staple Fibre (VSF) excluding:*
 - a) Bamboo Fibre*
 - b) Modal Fibre*
 - c) Non-Woven Fibre*
 - d) Flame Retardant Fibre*
 - e) Eco Fibre (Eco Vero or EV)*
 - f) Spun Dyed Fibre*
 - g) Tencel Fibre (or Lyocel) and Outlast Viscose Fibre”*

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

18. Rule 2(b) of the Antidumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a

major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers."

D.1 Submissions made by the Applicant

19. The following submissions have been made by the applicant during the course of investigation.

- a. Application has been filed by Association of Man-Made Fibre Industry of India (AMFII) on behalf of M/s Grasim Industries Limited. Association has provided all the relevant documents to the Authority as a part of the verification procedure.
- b. Grasim Industries Limited has provided all the relevant data to the Authority with request for extension of duties.
- c. It is an established fact that Grasim industries Ltd. is the sole producer of the subject goods in India and represents 100% the total Indian production. The Authority has considered M/s Grasim, as domestic industry consistently in the original case and first SSR case.
- d. The domestic industry is not related to any importer in India. However, it has related producers in the subject countries who have participated in the present investigation. The law provides discretion to the Authority to consider a producer in the ambit of domestic industry even though it is related to exporter of the subject goods in the subject countries.
- e. There are no imports in commercial quantities by the domestic industry from the related producers in subject countries. The imports are de-facto samples for research purposes only and the volume of the same is negligible.
- f. M/s Grasim Industries Limited constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and rule 5(3) of the Rules.
- g. The submission that the applicant AMFII is ineligible, is misplaced. The Association has been participating as an applicant association of domestic producers for quite some time. This is not the first time that the Association has participated in an investigation in front of the Authority.
- h. Members of the applicant Association are involved in production of the Viscose Staple Fibre, Viscose Filament Yarn and Rayon Tyre Yarn/ Cord Fabric. Since Viscose Staple Fibre is produced by Grasim Industries only, so application is being filed on behalf of 100% members of association.
- i. The statement that the AMFII, that has filed the present SSR, is the same party which filed complaint before the CCI, is factually incorrect. The order passed by CCI on 16/3/20 is against AMFII and Grasim Industries Limited.

D.2 Submissions made by other interested parties

20. The following submissions have been made by other interested parties during the course of investigation.

- a. Since Grasim is the sole producer of subject goods, other members of the Association cannot be producers of the same, which makes the Association ineligible to be an 'interested party under Rule 2 (c). The Application filed by the Applicant should be rejected and dismissed.
- b. AMFII, which has filed the present SSR is the same opposing party which filed complaint before the CCI.
- c. Information regarding percentage of total Indian production was not given in NCV. It is necessary to assess the status of the domestic industry if it is "representing the domestic industry".
- d. Product scope has been curtailed as domestic industry imported substantial quantities of excluded VSF from its related entities in China PR and Indonesia. Some grades/types have been excluded as it would have prejudiced the standing requirement of the domestic industry.
- e. Reference is invited to Polyester Staple Fibre investigation from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand wherein Reliance Industries was kept outside the definition of domestic industry being related to exporter in the subject country.

D.3 Examination by the Authority

21. The present application has been filed by the AMFII of India on behalf of M/s Grasim Industries Limited. The Association has filed applications for anti-dumping duty investigations in the past on behalf of its member companies. M/s Grasim Industries Limited (“Grasim”) is the sole producer of product under consideration in India and has provided relevant information as per the prescribed format requesting the extension of duties. Grasim has related entities in the subject countries and the applicant has furnished details of the same.
22. As regards the contention that the Association is not eligible to be an ‘interested party’ under Rule 2 (c), the Authority notes that in the original as well as in the first sunset review investigation, the application had been filed by the AMFII. In the present sunset review investigation as well, the Association has filed the application on behalf of Grasim Industries Limited and provided relevant documents to the Authority during the course of the investigation. The Authority further notes that there is no bar either on considering the sole producer of the subject goods as domestic industry or on filing of application by the Association on behalf of sole producer.
23. As regards the contention that AMFII has filed complaint before the CCI, the Authority notes that the said contention is factually incorrect.
24. It has been contended by the opposing interested parties that as per Rule 2(b), Grasim Industries Limited is ineligible to be considered as domestic industry because they have related entities in subject countries. The Authority notes that Rule 2(b) of the Rules provides discretion to the Designated Authority on the issue of exclusion of a domestic producer from the ambit and scope of the domestic industry on account of its relationship with an exporter in the subject country and a considered view is taken depending upon the type and extent of imports undertaken from such related entities by the applicant. The Authority needs to examine whether there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such so as to cause the related domestic producer in India to behave differently from non-related producers.
25. In the present review investigation, related entity of Grasim Industries Limited in China PR has not exported to India during the POI whereas related entity in Indonesia has not exported commercial quantities. It has exported *** MT only to its related entity during the POI, which is a very miniscule quantity. The Authority further notes that the related company in Thailand has also exported *** MT to Grasim. The total exports from the related entity in Thailand is *** MT but this is not relevant for the present investigation on account of Thailand being non-subject country.
26. It is further noted that at the time of the original as well as the first sunset review investigations, this issue had been dealt with in detail. In the original investigation, M/s. Grasim Industries Ltd.’s related entity P.T. Indo Bharat Rayon, Indonesia had exported the PUC to India during the POI. The Authority, after due investigation, had concluded that M/s Grasim Industries Ltd. constituted domestic industry notwithstanding its relationship with one of the exporters in subject countries. In the present sunset review investigation as well, the Authority notes that there are no grounds for believing or suspecting that the relationship of Grasim Industries Limited with producers of subject goods in Indonesia and China PR has made them behave differently from non-related producers.
27. Having regard to the definition under Rule 2(b) of AD Rules, past determinations made by the Authority in original and the first sunset review investigation, and considering the facts on record of the present case, the Authority concludes that there is no justification to consider Grasim Industries Limited as ineligible domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules. Accordingly, the Authority considers Grasim Industries Limited as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.
28. Considering the above, the Authority holds that application satisfies the requirement of standing and Grasim Industries Limited constitutes ‘Domestic Industry’ within the meaning of the AD Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**E.1 Submissions made by the Applicant**

29. The following submissions have been made by the applicant during the course of the investigation.
 - a. On the submission that application lacks evidence, it is submitted that all relevant data and evidence required for a sunset review application has been provided at the stage of the application itself and the

- Authority after due examination has initiated the case. It is not the responding party who will decide whether the evidence was sufficient or not.
- b. PT South Pacific Viscose average price of exports to India is USD ***/MT whereas exports to other countries with same level of exports is in the range of USD ***/MT to USD ***/MT. In case of China average export price to India is USD ***/MT whereas exports to other countries with same level of trade are average of USD ***/MT.
 - c. Designated Authority is requested to call DG Systems data and cross verify the claims of the domestic industry with regard to over invoicing. Designated Authority should call all relevant information to rule out possible over invoicing.
 - d. Public interest does not limit itself to consumer interest alone and is a much wider term, which covers interests of domestic industry and interests of public at large as well.
 - e. Imposition of measures would be in interest of domestic manufacturer to enable them to remain viable and competitive. Similarly, it is also in consumers' interest to have a competitive domestic industry capable of supplying product in competition to fair priced imports. If domestic industry is left to suffer, it can eventually be wiped out and consumers will be left at the mercy of exporters. The consumers will have to maintain higher degree of inventory if they have to depend on imported material.
 - f. Besides foreign producers, market will also be dominated by traders who have short-term view and move from one market to another market with profitability in the immediate business being their sole objective. MSMEs run the risk of being exploited by traders and foreign producers in the absence of domestic manufacturing.
 - g. No substantial information has been provided by the consumers with respect to any likely adverse impact of imposition of anti-dumping duty.
 - h. The users in the anti-dumping investigation of VSY claimed that the impact of duty on eventual fabric is insignificant and inconsequential on either domestic or export competitiveness. Further, it was claimed that with imposition of duties on VSY by Turkey from Indonesia and China, Yarn industry may shift to India as India will be a potential market for them.
 - i. It has been submitted by the user industry that raw material (wood pulp) prices are in tandem with international prices. However, the real position is that the import prices have declined more than the decline in raw material (wood pulp) price.
 - j. Anti-dumping duty has had no adverse impact on the consumers. Impact of duty can be ascertained by the Authority considering the data filed by the user industry. It is domestic industry's understanding that the downstream industry passes on the increase in price of raw material to their final product price.
 - k. Performance of some of the participating consumers was the best in 2017-18, when the import prices from subject countries was the highest and the domestic industry did not suffer injury. Whereas the performance of some of other participating consumers was best in 2016- 17, when the import prices from subject countries was the second highest and the domestic industry did not suffer injury.
 - l. Domestic industry has invested significant amount on its existing VSF capacity and is further making an investment of Rs *** cr. in its integrated VSF plant capacity in Gujarat under the Make in India scheme.
 - m. The present industry is a capital-intensive industry. Industry requiring low capital investment may be able to survive on low profits but a capital-intensive industry requires adequate profits to recover the cost of investment made.
 - n. Domestic industry has provided employment to around 10,000 people directly in its plants. The indirect employment further will be around 15,000 persons.
 - o. As regards the submission regarding the CCI order, it is submitted that the matter is stayed by National Company Law Appellate Tribunal, New Delhi and is sub-judice. Further, proceedings and outcome of CCI is not related to ADD in any manner and does not come under the scope of DGTR.

- p. On the submission that the even the auditor has accepted the penalty of CCI and that disclosure of the penalty amount has been made to comply with the Indian GAAP, it is submitted that the domestic industry has not made any provision for this penalty which itself shows that the probability of paying the penalty is remote.
- q. User industry in the anti-dumping investigation of VSY conceded that CCI order has no relevance in VSY AD investigation. Now, contrary to their earlier stand they are arguing that CCI order has direct relevance in the present investigation. The applicant is unable to understand why the VSY Industry is taking two opposite stands on the same matter in two different investigations.
- r. On the submission of price discriminatory policy maintained by the domestic industry, it is submitted that the consumers who produced and exported the eventual product have availed all export benefits on such exports and domestic industry has not benefited.
- s. In order to increase competitiveness of consumer industry in global market, and in furtherance to the policy applied by the Govt. of India, domestic industry has given additional benefits to the consumers exporting products made out of the product under consideration. If the domestic industry were to sell all product at these prices for all domestic sales, domestic industry would have suffered significant financial losses.
- t. On the submission that the domestic industry is using anti-dumping duty as a protectionist measure, it is submitted that the downstream industry has benefitted and grown in partnership with the domestic industry in the last 10 years as the domestic industry has invested in capacity building, product, market, and application development in the downstream value chain.
- u. On submission that duty will lead to monopolistic situation, it is submitted that opposing interested parties have failed to provide the reason why the continuation of duty will lead to monopolistic market. The antidumping duty has been in force for the past 10 years but no concrete evidence on monopolistic position has been provided.
- v. On the submission that SMEs and MSME do not have negotiating power, it is submitted that Grasim has a laid down pricing policy and sells to various customers on non-discriminatory basis with no regard to the size of the organisation. The price is charged to the customers on the basis of such pricing policy only. Sales listing of the company is already on record with the Authority, showing the list price at which, the goods were invoiced.
- w. On the submission that the capacity of the domestic industry is inadequate, it is submitted that the statement is factually incorrect. The capacity of the domestic industry is more than the Indian demand. Besides, domestic industry is further extending the capacity to cater not only to the Indian demand but also the global demand.
- x. On the submission of disclosure of DGCI&S import data, it is submitted that even under the present practice the parties manipulate the export price based on the import data. Designated Authority should completely withdraw the requirement of sharing DGCI&S transaction wise data even in PDF form. The DGCI&S transaction wise data serves as evidence and not as information. No investigating authority makes such information available to the parties at large.
- y. On the submission that only in exceptional case ADD duty should be recommended beyond 10 years, it is submitted that there is no such requirement of “exceptional circumstances” either in the Act or the Rules for extension of duties beyond a particular period. The only condition necessary for extension of duties is whether cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. DGTR has in plethora of cases extended anti-dumping duty for more than 10 years.
- z. With regard to reliance placed on certain investigation wherein duty has not been extended beyond 10 years, it is submitted that the interested parties have cherry picked some of the investigations wherein facts and circumstances were different. The Authority has extended duty beyond 10 years in a number of investigations wherein facts of the case were similar to the facts of the current investigation.
- aa. On the submission that domestic industry is enjoying the benefit of duties, price of domestic industry is quite comparable to the landed price of import. Further, even considering the lowest duty, price

- undercutting is negative. This shows that the domestic industry has not charged any duty in its prices and therefore not enjoyed any benefit.
- bb. The statement that SME and MSME are facing huge losses is wholly unsubstantiated and factually incorrect. There is no data provided to establish the same. The vision of the government about textile industry in fact shows the relevance and importance of the domestic industry in the country.
 - cc. On the submission that the duties were not extended on PTA, it is submitted that the fact that Government has removed duty on PTA and has not imposed duty on nylon filament yarn while continuing duty on VSF on one hand, and the improved performance of these downstream sectors on the other hand clearly establishes that ADD did not have any adverse effect on the consumer industry.
 - dd. On the submission of adverse impact on exports of garments, it is submitted that the study conducted by Grasim establishes that decline in fabrics exports is due to cost disadvantage contributed by other factors and not on account of imposition of duty on VSF. The report has been prepared by Central Economic cell (Aditya Birla Group) and submitted to government officials in different ministries/Ministers/Niti Aayog/PMO.
 - ee. On the submission of increase in import of VSY due to duty imposed on VSF, it is submitted that imports of spun yarn constitute only 16.60% of Indian demand. If injury period of VSY case is considered, it would be seen that the cumulative import of VSY consisted of 7.72 % of demand. Therefore, the claim that the imports of VSY has increased due to duty on VSF is not correct.
 - ff. Spindles added / Jobs created during last 8-10 years demonstrates how duty protection in VSF helped growing MMCF (Man Made Chemical Fibre) in India. Further, VSF prices have always been competitive to support spinners and curb yarn imports.
 - gg. On the submission of Associations requesting for termination of duty, it is submitted that the objective of anti-dumping duty is to address the price discrimination caused by the unfair trade practice of dumping which is injurious to the industry in India. The domestic industry in the present case is suffering as it is unable to charge adequate prices. There is no documented report that trade measures on textile inputs have adversely impacted the textile sector. The Associations are attempting to hide real issues being faced by industry and shifting blame on to trade measures.
 - hh. In the final finding of VSY concerning imports from China PR, Indonesia and Vietnam, Authority noted that impact of duty on VSY on eventual end product is less than 1%. Since the impact of ADD on VSY on eventual end product is less than 1%, impact would be far below than 1% in the case of VSF.

E.2 Submissions made by other interested parties

30. The following submissions have been made by other interested parties during the course of the investigation: -
- a. Applicant has failed to provide sufficient evidence as required by Article 5.2 of ADA, for initiating the review. Authority before initiating an investigation must have carried out proper analysis of the application instead of initiating investigation merely on receipt of the application under Article 11.2 and 11.3 of the Agreement on Anti-dumping.
 - b. Application for initiation of the investigation does not meet the requirement of “duly substantiated” under Rule 23(1B) and Article 11.3 of Antidumping Agreement.
 - c. Duties are without jurisdiction as decision of continuation of duty was made after a gap of 12 days and 14 days in 2015 and 2016 respectively. As per the Delhi High Court in case of Forech India Ltd. vs. the Designated Authority which relied on the decision of the Supreme Court in Kumho Petrochemicals Co. Ltd. vs. Union of India, due to break in continuation of anti-dumping duty in the first sunset review, duties cannot be continued in the present sunset review investigation as per first and second proviso of Section 9A (5) of the Customs Tariff Act.
 - d. It is established by the order of CCI dated 16th March 2020 that Grasim has been taking undue advantage of its monopolistic position in India. Grasim created price disparity amongst the spinners by selling them raw material at unfair and discriminatory prices.

- e. CCI order holds good and must be considered by the Authority because the stay is on the penalty and not on the unfair conduct of the domestic industry. Even the independent auditors of Grasim have accepted the penalty imposed in the Annual Report 2019-20.
- f. Authority could have considered 18 months period as the period of investigation as done in recently initiated cases such as Tyre Curing press and Melamine.
- g. Apart from protecting the interest of domestic industry, Authority is also entrusted with the responsibility to take care of the user industry and prevent exploitation of the user/consumer industry in name of “Atmanirbhar Bharat”.
- h. Domestic industry is using duty as a protectionist measure that has the effect of artificially reducing fair competition and strengthening its monopolistic position in the market.
- i. SMEs and MSMEs do not have negotiating power and that makes the power loom fabric exports uncompetitive in the exports market.
- j. Demand of the subject goods is increasing consistently, and the domestic industry does not have enough capacity to meet the demand.
- k. Duty has had an adverse impact on end users and councils and committees such as CITI, SMAI, ISA and PDEXCIL have been appealing for removal of ADD.
- l. Domestic industry had in the past furnished import data from a secondary source but it was rejected by the Authority.
- m. As per Article 11.3 of ADA, the continuation of the duty beyond 10 years should be in exceptional cases and be supported with evidence.
- n. DGTR has in several cases not recommended extension of duties such as Dry Cell Batteries from China, Soda Ash’ from Turkey and Russia, “Coated Paper” from China PR, EU and USA, 3rd Sunset Review investigation concerning Paracetamol from China, Digital Offset Printing Plates from China and Belting Fabric from China.
- o. Indigenous user industries, SMEs, MSMEs are already facing huge losses due to the existing duty. Target of USD 350 billion market size of Indian textile and clothing sector by 2025 is impossible to achieve if the duty continues.
- p. Union Government has helped MMF sector by removing anti-dumping duty on PTA, which is a major raw material for polyester staple fibre. However, VSF is protected with anti-dumping duty, and this affects the entire viscose staple fibre textile value chain.
- q. Export of VSF based readymade garments has declined and that of viscose fabric has dropped by 25 percent between 2016-17 and 2019-20. India is losing out to smaller players like Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka, Nepal, and Pakistan in the international market due to high-cost raw of material.
- r. Possibility of continuation of anti-dumping duty pursuant to a sunset review is an exception and not the general rule. Special facts and circumstances must exist to substantiate continuation of anti-dumping duty further to a second sunset review.
- s. Information provided in the Petition regarding VSY does not support the claim of the applicant, as duty on VSF is the real cause of the increase in imports of Viscose Spun Yarn (VSY)
- t. Duty on VSF is forcing textile industry to increasingly import Viscose Spun Yarn and India's power loom sector lost an opportunity to utilize production capacity worth Rs 1000 crore and provide 8000 jobs in the financial year 2020.
- u. Regarding confidentiality claim for cost of sales in Appendix 1, PT Asia Pacific Rayon has noted that it started production of VSF in 2019 and the trend information for 2019 and POI is irrelevant as they have an overlapping period of 6 months.

- v. Regarding the losses suffered by Sateri (Fujian) Fibre Company Ltd. on PUC, it is submitted that losses suffered on sales are inconsequential as its actual cost of production is not taken into consideration for determination of normal value.
- w. Domestic industry's claim that VSY import price has declined sharply in the Q4 of POI lacks rationale. Duty on VSF has resulted in yarn being available at a cheaper rate than VSF to weaving and knitting sectors resulting in imports of VSY in India.
- x. Domestic industry enjoys unfair and undue advantage because of inverted duty structure on account of zero customs duty. Zero duty is also applicable on Dissolving Wood Pulp under ASEAN FTA. Basic Customs Duty (BCD) applicable for wood pulp is only 2.5% as against the BCD on the subject goods, which is 5%.
- y. Domestic industry has been protected for 10 years during which its position improved manifold and the user industry has failed as it has become uncompetitive in the international market.
- z. Domestic industry is practicing price discriminatory policy making Indian spinners uncompetitive and the garment industry suffers in the international market.
- aa. Yarn producers who have the option of duty-free imports of VSF are given a discount on the basis of export proof of yarn which results in Indian viscose yarn becoming available at substantially low prices than what the domestic value chain have to pay.
- bb. Indian Spinners Association members have complained multiple times about the higher pricing of input raw materials due to DI pricing policy. There is difference in price of Grasim's domestic fibre and price of deemed export fibre.
- cc. On the submission that interested parties have not submitted any evidence for adverse impact of duties, many user industries and consumers have approached various forums including the PMO (Prime Minister's Office). The Indian spinner industry is losing consumers in domestic as well as international markets.
- dd. Domestic industry's presentation of profit ratios showing profits of the users are misleading as the same are consolidated figures and not standalone of product under consideration. Users have submitted questionnaire responses and Authority may rely on these submissions instead of the submissions made by the domestic industry.
- ee. Removal of duty will make VSF available at competitive price and will make the users globally competitive in MMF-based Textile & Apparel and create more employment opportunities.
- ff. Only India has levied ADD on VSF. Government has removed ADD on basic textile raw material to promote export of value-added finished goods. Government has also refused to impose ADD on VSY in the larger interest of value chain.
- gg. It has been mis-declared that Birla Jingwei Fibres Company Ltd is a joint venture when the website states that the company in China was fully acquired by the Aditya Birla Group through 100% acquisition of shares in 2008.
- hh. Ministry of Finance has decided to not impose anti-dumping duty in several products involving the textile industry.

E.3 Examination by the Authority

- 31. The submissions made by the domestic industry and opposing interested parties that are considered relevant, are addressed by the Authority as below:
- 32. As regards the submission of other parties that Application for initiation of the investigation does not meet the requirement of "duly substantiated" under Rule 23(1B) and Article 11.3 of Antidumping Agreement, the Authority notes that the current investigation was initiated on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicant. The Authority has examined the claims of the domestic industry and initiated the investigations on being satisfied that there was sufficient prima facie evidence provided showing that cessation of anti-dumping duty was likely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry.

33. As regards the submission that present investigation is without jurisdiction as decision of continuation of duty was made after a gap in previous sunset review investigation, the Authority notes that Customs Notification No. 43/2016 dated 8th August 2016 extending anti-dumping on subject goods for 5 years pursuant to the first sunset review and Customs Notification No. 39/2021 dated 30 June 2021 extending the anti-dumping duty on subject goods till 31st October 2021 have not been declared illegal by any Court or Tribunal in India. Therefore, the Authority is well within its rights to conduct the present sunset review investigation and examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
34. Interested parties have referred to the decision of the CCI. It is noted that CCI decision has been challenged by the domestic industry before Appellate Court and the matter is sub-judice and has not yet attained any finality. Moreover, if there are any contraventions of the provisions of Competition Act, it is for the concerned authority to take appropriate action thereon. Any decision in that matter would not prejudice objective examination of the need for continuation of duty, which is based on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of revocation of the existing anti-dumping duty. The Authority also notes that the period examined by CCI for determining anti-competitive behaviour of Grasim Industries Limited was upto financial year 2016-17. The injury period being examined by the Authority in the present sunset review investigation is 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 1st October 2019 to 30 September 2020.
35. As regards the submission relating to demand and supply gap, it is noted that that the capacity of the domestic industry is more than the demand in the country and the domestic industry is further expanding its capacity by *** MT. Therefore, there is no demand supply gap in India.
36. As regards the submission concerning extension of duty beyond 10 years, the Authority notes that there is no legal bar on the number of sunset reviews that can be conducted, as also on the period for which antidumping duty can be extended, as long as the legal requirements for extension of antidumping duty are met.
37. As regards the submission of other interested parties that the extension of duties will lead to domestic industry enjoying monopolistic situation, the Authority notes that the duties will not restrict the imports as such. Imports from subject countries have continued in spite of anti-dumping duties imposed for more than 10 years. The users are free to import from subject countries. Thus, even after imposition of ADD, the domestic industry will be required to compete with the imports from the subject countries and other countries at fair prices.
38. As regards the submission of opposing interested parties concerning non competitiveness of spinners in the international market on account of expensive raw material, the Authority notes that imports made for the purpose of manufacture of export products are exempted from the levy of anti-dumping duty under duty exemption scheme of Govt. of India.
39. As regards the submission of the users that the domestic industry is being granted unwarranted protection, it is noted anti-dumping duty is not a protection but an equalisation levy to ensure fair competition in the market. The response filed by the producers/exporters from subject countries clearly show that they have resorted to dumping in the Indian market.
40. On the submission made by the interested party on non-imposition of duties by MOF in case of certain products, non-imposition of duties in one investigation does not imply that duties cannot be imposed on any other textile product. Authority has considered all the facts and information on record. Any duty, if recommended, will be after considering the interests of all the interested parties. Anti-dumping or anti-subsidy duties are recommended against unfair trade practice of dumping or subsidization which have caused injury to the domestic industry.

F. CONFIDENTIALITY

F.1. Submissions of the domestic industry

41. The following submissions have been made by the applicants with regards to confidentiality:
 - a. Asia Pacific Rayon has claimed the trend of cost of sales per unit for the domestic market and the export market as completely confidential and no information has been provided.
 - b. PT South Pacific Viscose (SPV) has claimed the complete appendix 3A as confidential. Applicant is therefore unable to offer any meaningful submission even on the adjustment claimed.

- c. PT. South Pacific Viscose (SPV) has provided for some difference between product sold in domestic market or other countries and exports to India. It has claimed the response as completely confidential. Domestic industry fails to understand how these can be claimed confidential and if claimed confidential, how the domestic industry shall offer its comments.
- d. Applicant has claimed confidentiality as per the Trade notice no- 10/2018 dated 7th Sept. 2018.
- e. Complete information that is relied on by the Authority for the purpose of injury examination has been provided by the applicant.

F.2. Submissions by other interested parties

- 42. The following submissions have been made by other interested parties with regards to confidentiality:
 - a. Applicant has claimed excess confidentiality and violated Rule 7 of the AD Rules and Trade Notices 10/2018, 13/2018 and 14/2018.
 - b. Applicant has not provided NCV of all documents submitted such as Registration Certificate, copy of the by-laws and MoA, list of the members etc.
 - c. Excessive confidentiality has been claimed by the Applicant without sufficient reasons.
 - d. Applicant has claimed the Hawkins report which is the basis of likelihood as confidential.
 - e. Domestic industry did not provide stage wise manufacturing process, non-confidential summary of calculation of Normal Value ("NV"), Export Price and Dumping Margin, Annual Reports of domestic industry, NCV calculation methodology that have been taken for calculation of Non- Injurious Price ("NIP").
 - f. Authority should provide import volume and value data to the other interested parties in excel format for effective analysis.

F.3. Examination by the Authority

- 43. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per Rule 6(7).
- 44. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”
- 45. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The

Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

46. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
47. As regards the contention that excel file of transaction-by-transaction imports were claimed confidential by the domestic industry, it is noted that the procedure for sharing and procuring import data has been laid down in the Trade Notice 07/2018 dated 15th March 2018. It provides that (i) the sorted import data relied upon by the domestic industry can be shared in hard copy & (ii) interested parties can seek authorization from the Authority for seeking raw transaction by transaction import data from DGCIS. The hard copy of the sorted import data was made accessible to the interested parties based upon declaration/undertaking as per prescribed format. The interested parties who requested for procurement of import data from DGCIS and provided undertaking as per Trade Notice 07/2018 were also granted authorization to obtain import data in excel file from DGCIS. The Authority, thus, notes that the procedure outlined in the relevant Trade Notice has been duly observed and the same practice has been followed uniformly in all investigations conducted by the Directorate.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1 Normal Value

48. Under Section 9A (1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting countries or territory as determined in accordance both the rules made under sub-section (6); or*
- ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting countries or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting countries or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting countries or territory or an appropriate third countries as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the countries of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from countries other than the countries of origin and where the article has been merely transhipped through the countries of export or such article is not produced in the countries of export or there is no comparable price in the countries of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the countries of origin.

G.2 Submissions made by the domestic industry

49. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation:
 - a. Normal value of Chinese producers cannot be accepted unless the producers show that their accounts reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration, having regard to the provisions of Rule 7 and 8 of the Rules, provisions of Accession Protocol of China, and the practice being followed by the Designated Authority.
 - b. Thailand can be considered as an appropriate market economy third country for China. Authority has in the past held Thailand to be an appropriate surrogate third country for China.
 - c. Selling price in domestic market of Thailand cannot be considered as normal value as profit making transactions are less than 1% of the total domestic sales and the selling price is not in ordinary course of business.

- d. Domestic industry has provided relevant information with respect to cost of production and selling price of its related entity Thai Rayon Public Company Limited.
- e. Dumping margin determined on the basis of above is not only positive but is significant.
- f. Positive dumping even when duties are imposed shows likelihood of dumping when duties will expire.
- g. None of the responding exporters have either given methodology for calculations of dumping margin or have quantified the dumping margin in the NCV response.
- h. The exporters have provided information without suggesting a methodology for determination of dumping margin and without quantifying dumping margin.
- i. Chinese participating producer has not filed response to Market Economy Treatment questionnaire and therefore it is clear that it has not claimed market economy treatment.
- j. Responding producer of China even after public hearing conducted by the Designated Authority did not propose any other methodology that can be followed for the purpose of determination of normal value.
- k. Normal value in case of Indonesia can be considered on the basis of cost of production in Indonesia.
- l. Due to oversupply situation in Indonesia, related entity of domestic industry is unable to sell at adequate remunerative prices.
- m. PT Asia Pacific Rayon and PT South Pacific Viscose have claimed normal value on the basis of domestic sales. When one of the producers is unable to sell the product at a price above cost of production, normal value based on domestic sales is not appropriate as the situation with other producers cannot be materially different.
- n. Responding producers have understated their cost of production.
- o. Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd and Asia Fibre Trading Pte. Ltd. has reported nil adjustment for credit cost and packing cost in calculation of their export price to India. Further, no adjustment has been reported on account of bank charges.
- p. In case of PT South Pacific Viscose (SPV), Appendix-I filed by it shows that there are no domestic sales and export to other countries in the period of investigation. The applicant is unable to understand how then normal value can be claimed on the basis of domestic sales.
- q. The exports of PT South Pacific Viscose (SPV) made to India are at losses over the injury period which clearly shows that producer is involved in dumping practices.
- r. PT Asia Pacific Rayon is a new producer in the market and would have incurred significant research and development expense. As per appendix 1, the producer has not claimed adjustment for research and development expenses.
- s. PT Asia Pacific Rayon has a related entity Asia Pacific Resources International Holding Ltd. from which it procures raw material pulp. However, there is nothing in questionnaire response which can show that the raw material has been procured at market price.
- t. Dumping margins may be understated due to inappropriate and inadequate adjustments claimed in the response.
- u. There are significant variations in the price trend of exports to India and other countries. When product is already attracting anti-dumping duty, there appears to be no reason why the producers will export to India at higher price as compared to other countries. This only highlights that the producers have issued post invoicing discount.
- v. On the submission of the interested parties on export price adjustment, responding party is not aware of the methodology considered for calculating the net export price in spite of giving the same in the non-confidential version of the application.
- w. On submission of the export price as normal value, applicant has not adopted/proposed third country prices for construction of normal value for Indonesia.

G.3 Submissions made by other interested parties

50. The following submissions have been made by other interested parties during the course of investigation:

- a. Had the applicant used CIF price data of import of product with necessary adjustment, it would have resulted in no dumping margin for Indonesia.
- b. Basis of export price calculation has not been clearly mentioned.
- c. Applicant has resorted to selection of data in arbitrary manner and this is unfair.
- d. Use of export price of a third country is against Article 2.2 ADA which states that the third countries export price is used for 'constructed normal value method'.
- e. There is no requirement in the EQR to provide dumping margin methodology.
- f. Exporters have submitted all the required information regarding their domestic sales, cost of production and exports to India.
- g. With regards to claims regarding adjustments to export price, PT Asia Pacific Rayon and Asia Fibre Trading Pte. Ltd. have reported all the adjustments.
- h. There are no credit cost adjustments and packing cost adjustments for Asia Fibre Trading Ltd.
- i. PT Asia Pacific Rayon has undertaken all the related party transactions at arm's length.
- j. Export prices of Asia Fibre Trading Ltd should be relied upon as all the exports are made through it.
- k. There are no significant differences between average price per unit of the product under consideration exported to India and to other countries.
- l. On considering Thailand as an appropriate surrogate country, level of development of the country and the product should be examined by the Authority.
- m. Claim that the Chinese producers operate under non-market economy conditions is without evidence.

G.4 Examination by the Authority

51. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters from the subject countries have filed exporter's questionnaire response:

- a. Sateri (Fujian) Fibre Co. Ltd., China PR
- b. Birla Jingwei Fibres Company Limited, China PR
- c. PT Asia Pacific Rayon, Indonesia
- d. PT South Pacific Viscose (SPV), Indonesia
- e. PT Indo Bharat Rayon, Indonesia
- f. Asia Fibre Trading Pte. Ltd., Singapore (Trader)

From the information on record, it is seen that Birla Jingwei Fibres Company Limited, China PR and P.T. Indo Bharat Rayon, Indonesia have not exported the subject goods to India in the period of investigation. Therefore, the Authority has not determined any separate individual dumping margin for both the producers.

G.4.1 Normal Value Determination

52. The Authority has determined quarterly dumping margin and injury margin in the present case because of significant fluctuations in raw material prices and the PUC prices during the POI. The Authority has not considered the quarter of April 2020 to June 2020 in dumping margin and injury margin calculations because there was a nationwide lockdown in India during this quarter.

China PR

53. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- a. In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:
 - i. If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
 - ii. The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
- b. In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China PR may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China PR.
- c. The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.
- d. Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.

54. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to MET/supplementary questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para. 7 of Annexure I of the Rules.

55. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of

selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

56. The applicant had at the stage of initiation proposed to determine normal value for China PR on the basis of cost of production in Thailand. It has been claimed by the applicant that the Authority had in the past several investigations considered Thailand as an appropriate market economy third country for China PR. The domestic industry has provided relevant information with respect to the cost of production and the selling price of its related entity Thai Rayon Public Company Limited, Thailand. It has been claimed by the domestic industry that ***% of the domestic sales are loss making and hence normal value should be determined on the basis of the cost of production after adding reasonable return. Even though the domestic industry has provided information with respect to cost of production of its related entity, the same could not be verified.
57. The Authority notes that Normal Value for a country considered as a non-market economy is required to be computed in accordance with para 7 and 8 of Annexure-I of the Rules. In the instant case, since none of the exporters have filled up supplementary questionnaire, the options under para 7 of Annexure-I to Rules need to be explored. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7. Normal value in Thailand cannot be constructed on the basis of cost or price in Thailand due to reasons stated above. Export price from Thailand to other countries including India is also not possible for this purpose in view of the fact that there is no bifurcation of PUC and NPUC (excluded fibres) available in the WTA data. In view of this, since sufficient information is available with regard to the price at which product under consideration has been exported from Thailand to India, the Authority, therefore, adopts export price from Thailand to India which could be considered for determining normal value for China PR. It is noted that while China PR accounts for 2500 MT i.e. 10% of total imports of subject goods during period of investigation, similar level of imports are from Thailand at around 3,698 MT constituting 15% of total imports into India. Thailand being a non-subject country with no ADD measure in force and with import volume being quite significant, the CIF price from Thailand is representative in nature. Therefore, the normal value for China PR has been determined on the basis of import price into India from Thailand.
58. For the purpose of normal value calculation, the import price from Thailand to India has been adjusted with ocean freight, marine insurance and other adjustments on account of port charges, bank charges etc to arrive at ex-factory price. The normal value so determined is shown below in the dumping margin table.

Indonesia

PT Asia Pacific Rayon (APR), Indonesia

59. PT Asia Pacific Rayon is engaged in the production of subject goods in Indonesia and has sold the subject goods directly in the domestic market. During the period of investigation, the producer has sold the subject goods in the domestic market to unrelated and related parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. The cost of production of subject goods submitted by the producer was duly verified and the same has been adopted for conducting ordinary course of trade test. The Authority has also examined the details of purchases of raw material (wood pulp) from related parties and satisfied itself regarding the arm's length pricing between the related parties. The Authority examined whether the profit-making transactions are more than 80% or not. If the profitmaking transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are to be considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are to be taken into consideration for the determination of the normal value. In the present case, the profit-making transactions were less than 80% for each quarter of the POI and therefore only the profit-making transactions have been considered for

determination of normal value. APR has claimed adjustments for inland transportation, ocean freight and insurance and the same have been allowed by the Authority.

60. Accordingly, normal value at ex-factory level has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

PT. South Pacific Viscose (SPV), Indonesia

61. PT. South Pacific Viscose (SPV) is engaged in the production of subject goods in Indonesia and has sold the subject goods directly in the domestic market. During the period of investigation, the producer has sold the subject goods in the domestic market to unrelated and related parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. The cost of production of subject goods submitted by the producer was duly verified and the same has been adopted for conducting ordinary course of trade test. The Authority noted that if profit making transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are to be considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are to be taken into consideration for the determination of the normal value. In the present case, the profit-making transactions were less than 80% for each quarter of the POI and therefore only the profit-making transactions have been considered for determination of normal value. SPV has claimed adjustment for credit cost and the same has been allowed by the Authority.
62. Accordingly, normal value at ex-factory level has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

All other non-cooperating producers/exporters in Indonesia

63. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Indonesia has been determined on the basis of normal value of the responding producers and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.2 Export Price

China PR

Sateri (Fujian) Fibre Co. Ltd., China PR

64. Sateri (Fujian) Fibre Co. Ltd, who is a producer of subject goods in China PR, has filed questionnaire response. During the period of investigation, Sateri (Fujian) Fibre Co. Ltd, exported the subject goods to India directly. The producer has provided all the relevant information in the requisite format. Sateri (Fujian) Fibre Co. Ltd has claimed adjustments on account of ocean freight, inland freight, port & related expenses, insurance and bank charges and the same was allowed by the Authority. On the submission of the domestic industry regarding the issuance of post invoicing discount, the Authority has called for the relevant information from Sateri (Fujian) Fibre Co. Ltd and found that no such post invoicing discounts have been offered by the company to Indian customers. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Sateri (Fujian) Fibre Co. Ltd, China PR has been determined after allowing the adjustments claimed, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

All other non-cooperating producers in China PR

65. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation has been determined based the facts available and the same has been mentioned in the Dumping Margin Table below.

Indonesia

PT Asia Pacific Rayon, Indonesia

66. PT Asia Pacific Rayon, who is a producer of subject goods in Indonesia, has filed questionnaire response. During the period of investigation, PT Asia Pacific Rayon, exported the subject goods to India through its related company Asia Fibre Trading Pte. Ltd., Singapore. Asia Fibre Trading Pte. Ltd. has also participated in the present investigation and has provided all the relevant information in requisite format. PT Asia Pacific

Rayon and Asia Fibre Trading Pte Ltd. have claimed adjustments on account of port handling charges in Indonesia, ocean freight, insurance, handling expenses and the same have been allowed by the Authority. The Authority has also made deductions for SGA expenses & profit of Asia Fibre Trading Pte Ltd. to arrive at ex-factory export price. On the submission of the domestic industry regarding the issuance of post invoicing discount, the Authority has called the relevant information from PT Asia Pacific Rayon & Asia Fibre Trading Pte. Ltd. and found that no such post invoicing discounts have been offered by them to Indian customers. Accordingly, the net export price at ex-factory level for PT Asia Pacific Rayon, Indonesia has been determined after allowing the adjustments claimed, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

PT. South Pacific Viscose (SPV), Indonesia

67. PT. South Pacific Viscose (SPV), who is a producer and exporter of the subject goods in Indonesia, has filed questionnaire response. During the period of investigation, PT South Pacific Viscose (SPV), exported the subject goods to India directly. The producer has provided the relevant information. PT South Pacific Viscose (SPV) has claimed adjustments on account of ocean freight, inland freight and credit costs, and the same has been allowed by the Authority. On the submission of the domestic industry regarding the issuance of post invoicing discount, the Authority has called the relevant information from PT South Pacific Viscose (SPV) and found that no such post invoicing discounts have been offered by the company to Indian customers. Accordingly, the net export price at ex-factory level for PT South Pacific Viscose (SPV), Indonesia has been determined after allowing the adjustments claimed, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

All other non-cooperating producers in Indonesia

68. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation has been determined based on export price of the responding producers and the same has been mentioned in the Dumping Margin Table below.

G.4.3 Dumping Margin

69. Considering the normal value and export price determined, as explained above, it is noted that the dumping margin for both China PR and Indonesia are more than the de-minimis limit prescribed under the Rules.

Quarter-wise Dumping Margin:

Sateri (Fujian) Fibre Co. Limited.					
Quarter	Qty-KG	Export Price (USD)	Export Price USD Per MT	NV US\$ per MT	DM US\$
Oct- Dec 2019	***	***	***	***	***
Jan- March 2020	***	***	***	***	***
July- Sep 2020	***	***	***	***	***
Wt. Avg	***	***	***	***	***
PT Asia Pacific Rayon					
Quarter	Qty-KG	Export Price (USD)	Export Price USD Per MT	NV US\$ per MT	DM US\$
Jan- March 2020	***	***	***	***	***
July- Sep 2020	***	***	***	***	***
Wt. Avg	***	***	***	***	***

PT. South Pacific Viscose (SPV)					
Quarter	Qty-KG	Export Price (USD)	Export Price USD Per MT	NV US\$ per MT	DM US\$
Oct- Dec 2019	***	***	***	***	***
Jan- March 2020	***	***	***	***	***
July- Sep 2020	***	***	***	***	***
Wt. Avg	***	***	***	***	***

Dumping Margin Table

SN	Particulars	Normal Value	Export price	Dumping margin	Dumping margin	Range
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	%
1	China PR					
a	Sateri (Fujian) Fibre Co. Limited.	***	***	***	***	10-20%
b	Any other producer	***	***	***	***	20-30%
2	Indonesia	***				
a	PT Asia Pacific Rayon	***	***	***	***	15-25%
b	PT. South Pacific Viscose (SPV)	***	***	***	***	30-40%
c	Any other producer	***	***	***	***	60-70%

70. It can be seen from the above table that the dumping margin is very significant and above de-minimis.

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Submissions made by the Applicant

71. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are as under:

- i. There is significant fluctuation in the prices of raw material of the subject goods as a result of which prices of the subject goods have also fluctuated significantly. Applicant requests the Authority to consider undertaking quarterly analysis of the data.
- ii. Demand of subject goods in India increased till 2019-20 but declined in the period of investigation due to Covid-19 pandemic.
- iii. In spite of antidumping duty in force for almost 10 years the volume of dumped imports from subject countries is significant.
- iv. Volume of imports from subject countries increased till 2018-19 but declined in 2019-20 and further declined in the period of investigation.
- v. Imports in relation to production and consumption increased in 2018-19, declined in 2019-20 and have remained at similar level in period of investigation.
- vi. Domestic industry has sold the product, having regard to the prices offered by the foreign producers.
- vii. Price undercutting is positive in Q4 2019-20 and negative in other quarters.

- viii. Applicant was forced to reduce its prices in view of increasing imports of Viscose Spun Yarn in India. Increasing imports of Viscose Spun Yarn impacted production and sales of producers of Viscose Spun Yarn which are much smaller companies with lower ability to withstand import competition. Domestic industry had to reduce its prices in order to ensure that the Viscose Spun Yarn producers continue their production and sales.
- ix. The delta between domestic industry's price and yarn import price has declined sharply in the latest quarter of period of investigation.
- x. The decline in selling prices in the period of investigation was much more than the decline in cost of sales which was due to sharp fall in landed prices of subject imports.
- xi. Domestic industry has been forced to adjust its prices in tandem with the import prices. Imports have thus resulted in price depression.
- xii. Capacity of domestic industry has continuously increased over the injury period and the domestic industry now has the capacity to cater to the entire demand in the country.
- xiii. Production and sales of the domestic industry increased till 2019-20 but declined sharply in the period of investigation.
- xiv. Decline in production and sales cannot be attributable to decline in demand as domestic industry was running with idle capacity and could have produced and sold more, had there been no dumped imports in India.
- xv. Deemed export sales reported in its records are actually not deemed export sales and are those sales where fibre sold has been consumed in a yarn which has been exported and the producer of yarn has taken export benefit. Therefore, these should be considered as domestic sales of the domestic industry.
- xvi. Market share of dumped imports from subject country has increased over the years and that of domestic industry has declined.
- xvii. Due to surge in yarn imports at cheaper price and import of subject goods, domestic industry is unable to sell in domestic market and therefore undertook exports.
- xviii. Domestic industry is selling product at lower price to yarn exporters so that they can be competitive in the global market as compared to the global players.
- xix. Domestic industry was earning reasonable profits in the base year and the next year. As landed price declined in 2019-20, profits declined and then further declined in the period of investigation.
- xx. Profit per unit of the domestic industry has declined by more than ***% in period of investigation as compared to the previous year and more than ***% as compared to base year.
- xxi. Average inventory declined in the year 2018-19 but increased in the year 2019-20 and further increased in the period of investigation.
- xxii. Growth of domestic industry is positive in volume parameters such as production and sales till 2019-20 but negative in period of investigation. The price parameters such as profit, profit before interest and tax, cash profits and return on investment shows positive growth in 2018-19 and negative growth in 2019-20 and period of investigation.
- xxiii. On the submission of increase in imports from Thailand, it is submitted that imports from Thailand are significantly higher in price as compared to imports from subject countries, selling price of domestic industry and non-injurious price of domestic industry. Therefore, imports from Thailand cannot be a cause of injury.
- xxiv. Profits in the export market were lower than domestic market but the domestic industry was forced to export even when it earned lower profits.
- xxv. On the submission of negative report in economic indicators which is in contradiction with the annual report, it is submitted that profitability and sales values reported in annual report are of viscose segment, which includes other products like excluded Viscose Staple Fibre, Viscose Filament Yarn and Pulp.

- xxvi. On the submission on inconsistent use of the period in analysis, it is submitted that all injury data has been provided in the form and manner prescribed. Rules do not provide which period is to be considered for making the injury analysis.
- xxvii. On the submission that imports from Indonesia are not undercutting the domestic industry's prices, it is submitted that price undercutting was as high as ****% in 2019-20 and the volumes were also significant. Volume of imports having positive undercutting are significant in the period of investigation.
- xxviii. On the submission of increase in captive sales, it can be seen that domestic industry has negligible captive sales and increase in period of investigation is miniscule which cannot be the reason for reduction in domestic sales and export sales.
- xxix. On the submission that pricing of subject goods is based on the price of its raw material, it is submitted that decline in prices of subject goods is more than decline in prices of wood pulp.
- xxx. On the submission that the injury in the period of investigation is due to global slowdown and Covid-19, it is submitted that the demand of subject goods increased in 2019-20 and production and sales have increased consequently. In spite of increase in demand, profitability of the domestic industry showed a significant decline.
- xxxi. The economic parameters of the domestic industry have started declining from 2019-20 and further declined in the period of investigation. The decline was far steeper in 2019-20. Quarter-wise analysis of period of investigation substantiates that the profitability was quite low in Q3 and Q4 of 2019-20, which do not fall under the period of Covid-19.
- xxxii. On the submission that the domestic industry is completely backward integrated, it is submitted that the domestic industry's Harihar plant has its own pulp and production of this plant accounts for only ****% in the total production of the subject goods. Therefore, the argument that the domestic industry's production capacity is highly backward integrated covering almost 80% of the overall input cost is factually incorrect.
- xxxiii. Domestic industry has only stated that its two plants Vilayat and Kharach from where the exports are made are one of the lowest cost of production plants in the world and it did not say that Grasim is the one of the lowest cost producing player in the world.
- xxxiv. On the submission that the domestic industry has expanded its capacity in spite of injury, it is submitted that domestic industry has never claimed that it has always suffered injury. The argument presumes that industry should make no effort to increase capacities when demand is increasing.
- xxxv. On the submission of increasing inventory due to increasing capacity, it is submitted that the inability in selling the product results in piling up of the inventories which is not related to the capacity but related to production and sales.
- xxxvi. On the submission that losses in July to September 2020 period is due to different reasons, it is submitted that domestic industry did not suffer losses in July to September 2020 although performance deteriorated as compared to 2019-20.
- xxxvii. The losses suffered in April to June 2020 quarter is on account of decline in demand because of the Covid-19 and the Authority may decide appropriately how to address the impact of Covid-19 while doing the injury examination.
- xxxviii. On the submission that there is no causal link, it is submitted that the selling price of the domestic industry has moved in tandem with the import price, and not in tandem with the cost of production. Consequently, performance of the domestic industry has steeply declined in respect of profit, return on investment and cash flow.
- xxxix. On the submission that normation should be done in all cases, plain reading of rules makes it evident that only inefficiencies in utilization of production capacities should be removed while calculating NIP. Domestic industry cannot be punished on account of plant shut down due to government orders. It is not inefficiency on the part of the domestic industry.

- xl. On the submission that decline in performance in the period of investigation is due to increase in depreciation, it is submitted that PBDIT also shows similar trend as PBT which is has declined over injury period.
- xli. On the submission that the excluded product will show profits, it is submitted that performance in excluded products is negative and domestic industry is suffering losses in it.

H.2 Submissions made by other interested parties.

72. The submissions of other interested parties with regard to injury and casual link are as under:

- i. Application shows a negative report in terms of economic indicators of the domestic industry which is highly in contradiction with the domestic industry's annual report.
- ii. Injury to the domestic industry was due to the declining export sales performance and other economic factors.
- iii. Applicant has adopted inconsistent use of periods in the injury analysis which has made it difficult for the interested parties to analyse the losses suffered by the domestic industry.
- iv. Price undercutting for Indonesia even without considering anti-dumping duty was -5% to 5%. Imports from Indonesia did not undercut domestic industry's prices.
- v. There is negative price undercutting.
- vi. Import volume from other countries have increased as compared to subject countries. Authority is requested to kindly analyse them as an injury factor.
- vii. There is a significant increase in the captive sales which has resulted in decline in domestic sales and export sales.
- viii. Pricing of subject goods is based on the price of raw material. The price of raw material has declined globally.
- ix. The reason for increased imports is that domestic industry is forcing end-users to import because of its price disparity.
- x. Domestic industry had reached high levels of profitability. The decline in profitability is a minor dip.
- xi. Slow-down in business during the period of investigation is due to the low demand for the subject goods globally.
- xii. Domestic industry is one of the most integrated and competitive producers in the world and its capacity is highly backward integrated covering almost 80% of the overall input cost. Major raw materials are from their captive source.
- xiii. Domestic industry had in one of its investor's conference call stated that their cost of production is one of the lowest in the world and can compete with Chinese producers because of the cost advantage.
- xiv. Domestic industry had been enjoying highest profits in decades and using unfair practice to abuse its monopolistic presence.
- xv. Domestic industry's economic parameters show an increasing trend till 2019-20 and decreasing trend in the period of investigation is only due to the effects of Covid-19.
- xvi. The domestic industry has been claiming injury yet continuously expanding its capacity and running its plant at almost 100% capacity utilization.
- xvii. Total imports into India are continuously declining in relation to the production and consumption.
- xviii. Domestic industry is practicing a discriminatory pricing policy in which it is creating a difference between domestic prices and imported prices from subject countries.
- xix. Domestic industry is itself selling in the international market with price lower by 22 to 30%. Therefore, they cannot claim any injury, as they are themselves dumping in international market.
- xx. Even during the low demand, the domestic sales of the subject goods have been steady.

- xxi. As per the annual report of the domestic industry, VSF business delivered superior operational performance in FY20.
- xxii. Production of the domestic industry is steady even after the global slowdown in the demand.
- xxiii. Domestic sales are steady during the entire period of investigation and the preceding 3 years despite slowdown in global demand.
- xxiv. Market share of the domestic industry is stagnant, as they were following price discriminatory policy during these years and selling the goods at different prices for different buyers.
- xxv. The profitability parameters of the domestic industry cannot be relied upon as they do not represent the correct picture.
- xxvi. Inventory of the domestic industry has been piling up due to the continuous capacity addition and low demand of subject goods.
- xxvii. Increase in inventory is not in itself an indicator of injury and poor economic performance.
- xxviii. Employee strength of the domestic industry has been decreasing slightly, whereas the wages and salary of these employees are increasing steadily. Decrease could be a management strategy and does not reflect injury.
- xxix. Growth of the domestic industry is positive and substantial till 2019-20 and any decline in period of investigation is due to Covid-19 situation.
- xxx. Domestic industry has admitted at various places in its annual reports that its growth in subject goods is tremendous and unparalleled.
- xxxi. Loss suffered during the period June-September 2020 should not be considered for the purpose of injury analysis as it is unprecedented and not linked to the alleged dumping.
- xxxii. Domestic industry has failed to establish any causal link between injury and dumped imports.
- xxxiii. Domestic industry has admitted to impact of Covid-19 outbreak in its annual report.
- xxxiv. As analysed by the Authority in the recently concluded anti-dumping investigation, increased imports of Viscose Spun Yarn also shows that there is a short supply of raw material Viscose Staple Fibre for domestic Viscose Spun Yarn producers.
- xxxv. Information provided by the applicant regarding imports in Format IV A and Price Undercutting is not clear as to whether it pertains to VSF of all types or PUC specifically.
- xxxvi. Assessment of the present injury based on the present period of investigation will be unrepresentative of likelihood of injury, as it was impacted with Covid -19.
- xxxvii. Critical volume parameters like total capacity, total production, total sales have all increased in the period of investigation as compared to base year.
- xxxviii. Domestic industry is vertically integrated and decline in merchant sales of subject goods may be as a result of its business decision to increase its captive consumption and concentrate on downstream products.
- xxxix. Decline in the domestic production can also be attributed to Grasim's re-distribution of product portfolio vis-a-vis its related entities in subject countries.
- xl. The claim of the domestic industry that it was forced to reduce its prices due to imports is contrary to the data provided in the application.
- xli. Annexure III does not say that normation should be done only if lower capacity utilization in the period of investigation is due to 'inefficiency' of domestic industry.
- xlii. Injury caused in the period of investigation is due to sudden increase in depreciation cost and interest cost which cannot be attributed to imports from subject countries.

- xlili. Due to high anti-dumping duty imposed on imports of VSF, weavers have increased imports of VSY. Imports of VSY have now increased and are more than VSF.
- xliv. The applicant has not been able to show that there is any dumping and consequent injury to domestic industry with positive evidence as required by Rule 11 of the AD Rules.
- xlv. There is no volume effect of the alleged dumped imports. Volume of imports has declined throughout the injury investigation period with significant decline in the period of investigation.
- xlvi. There is no negative price effect of the alleged dumped imports on the domestic industry. Price undercutting as a whole is negative for the subject countries. There is no price suppression or depression.
- xlvi. Domestic industry has seen a significant increase with respect to sales, output, market share, productivity, and return on investments during the period of investigation as compared to the base year.
- xlvi. There is no negative effect with respect to cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments as all such parameters have either seen consistent improvement in the injury investigation period or have been positive despite significant disruption by Covid-19 pandemic.
- xlvi. Grasim is performing exceedingly well in the product types which have been excluded.
- l. Assessment based on the period of investigation will be unrepresentative as it includes 6 months affected by nation-wide lockdown.
- li. Imports under Advance Authorisation should not be considered as they are meant for re-exports as value added products.
- lii. Market share of imports has reduced drastically over the years and the domestic share has increased.
- lii. Exports of domestic industry have increased because they want to enjoy better margins on their speciality products and not because of inability to sell VSF domestically.
- liv. Capacity to raise investments could not have been affected as Grasim is a top-rated company as per CRISIL and India ratings.
- lv. Duties cannot be imposed as a substitute for nil basic customs duty under the ASEAN FTA.
- lvi. Deemed export pricing policy of the domestic industry wherein they claim to offer discounts has not contributed to the growth of the industry. The domestic industry has kept its prices very high based on the import parity price.
- lvii. Grasim Industries, a AAA rated company having net worth more than Rs. 40,000 crores, have not utilized its working capital limits and it is misleading to state that their ability to raise capital is impacted.
- lviii. Domestic industry's production capacity is highly backward integrated covering almost 80% of input cost. 60% pulp is captive and 40% is sourced at zero import duty from ASEAN countries.
- lix. Domestic industry does not have a transparent pricing policy as the discounts are communicated over the phone, around 15% prices are held back as discounts to be reimbursed by the end of the year, it locks customers with annual contracts with penalty clauses against switching suppliers or products
- lx. Customer has to accept short supply if Grasim is unable to meet requirements of customer.

H.3 Examination by the Authority

73. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases, which otherwise

would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

74. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of the investigation with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed in the present final findings.
75. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury.
76. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link, and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and the other interested parties.
77. In order to nullify the effect of lockdown on account of Covid19 pandemic and bring objectivity in injury analysis, the injury data for quarter Apr-Jun 2020 has been taken out and data for remaining nine months of POI has been annualised.
78. The Authority notes that captive sales of the domestic industry are minuscule and cannot be the reason for decline in domestic sales and export sales.
79. As regards the contention of some interested parties that the prices of the subject goods have declined in POI because of decline in wood pulp prices, it is noted that decline in imports prices are more than decline in the wood pulp prices.

H.3.1 Assessment of Demand

80. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India, as the sum of domestic sales of the Indian Producers, and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
						9M	Ann
1	Subject countries	MT	15,429	25,290	24,799	16,638	22,185
2	Other countries	MT	1,065	1,066	7,687	3,552	4,736
3	Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	127	135	132	132
4	Total demand	MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	129	139	133	133

81. It is seen that the demand of the subject goods continuously increased till the year 2019-20 but declined in the period of investigation because of Covid-19 pandemic.

H.3.2 Volume effect of dumped imports

i. Import volume and share of subject countries

82. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows.

SN	Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
						9M	Ann
1	Subject Countries	MT	15,429	25,290	24,799	16,638	22,185
A	China PR	MT	1,223	2,337	4,340	2,112	2,816
B	Indonesia	MT	14,206	22,953	20,459	14,526	19,368
2	Subject countries import in relation to -						
A	Indian production	%	100	134	122	110	110
B	Consumption	%	100	127	116	108	108
C	Total imports	%	93.54%	95.96%	76.34%	82.41%	82.41%

83. It is seen that the volume of dumped imports of product under consideration from subject countries have declined in the period of investigation.

H.3.3 Price effect of dumped imports

84. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.
85. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from subject countries.

a. Price undercutting

Price undercutting has been determined by comparing the landed price of imports from the subject country with the net sales realisation of the domestic industry in India.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
						9M	Ann
1	Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***	***
2	Subject countries as a whole						
A	Landed Price	Rs/MT	1,30,229	1,40,253	1,23,389	1,11,135	1,11,135
B	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
C	Price Undercutting	%	***	***	***	***	***
D	Price Undercutting	Range	0-10%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%	(0-10)%
3	China PR						
A	Landed Price	Rs/MT	1,37,973	1,45,553	1,20,477	1,12,476	1,12,476
B	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
C	Price Undercutting	%	***	***	***	***	***
D	Price Undercutting	Range	0-10%	(0-10)%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%
4	Indonesia						
A	Landed Price	Rs/MT	1,29,562	1,39,713	1,24,007	1,10,940	1,10,940

B	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
C	Price Undercutting	%	***	***	***	***	***
D	Price Undercutting	Range	0-10%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%	(0-10)%

86. The landed price of imports is above the selling price of the domestic industry in the period of investigation. Therefore, the price undercutting is negative. On the submission of domestic industry and other interested parties over the quarterly analysis, the Authority has also undertaken quarterly analysis of price undercutting.

SN	Particulars	UOM	Quarter 3 2019-20	Quarter 4 2019-20	Quarter 2 2020-21
1	Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***
2	Subject countries as a whole				
A	Landed Price	Rs/MT	1,18,952	1,08,081	1,03,553
B	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***
C	Price Undercutting	%	***	***	***
D	Price Undercutting	Range	(0-10)%	0-10%	(0-10)%
3	China PR				
A	Landed Price	Rs/MT	1,16,122	1,06,566	1,09,505
B	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***
C	Price Undercutting	%	***	***	***
D	Price Undercutting	Range	(0-10)%	0-10%	(0-10)%
4	Indonesia				
a	Landed Price	Rs/MT	1,19,562	1,08,357	1,03,287
b	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***
c	Price Undercutting	%	***	***	***
d	Price Undercutting	Range	(0-10)%	0-10%	(0-10)%

87. It is seen that the prices have declined significantly over the period of investigation. The price undercutting was positive in the 2nd quarter of the period of investigation and negative in the other quarters.

b. Price suppression/depression

88. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Ann)
1	Landed price of imports	Rs/MT	1,30,229	1,40,253	1,23,389	1,11,135
	Trend	Indexed	100	108	95	85
2	Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	104	98	89

3	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	103	87	78

89. It can be seen that the landed price of imports during the POI is significantly higher than the cost of sales and selling price of the domestic industry. Therefore, the imports cannot be said to be causing any price suppression or depression on the domestic industry.

c. Price underselling

SN	Particulars	UOM	Q3 2019-20	Q4 2019-20	Q2 2020-21	Average
1	Non-Injurious Price	Rs/MT	***	***	***	***
2	Subject countries as a whole					
A	Landed Price	Rs/MT	118,952	108,081	103,553	111,135
B	Price Underselling	Rs/MT	***	***	***	***
C	Price Underselling	%	***	***	***	***
D	Price Underselling	Range	Negative	0-10%	Negative	Negative
3	China PR					
A	Landed Price	Rs/MT	116,122	106,566	109,505	112,476
B	Price Underselling	Rs/MT	***	***	***	***
C	Price Underselling	%	***	***	***	***
D	Price Underselling	Range	Negative	0-10%	Negative	Negative
4	Indonesia					
A	Landed Price	Rs/MT	119,562	108,357	103,287	110,940
B	Price Underselling	Rs/MT	***	***	***	***
C	Price Underselling	%	***	***	***	***
D	Price Underselling	Range	Negative	0-10%	Negative	Negative

90. The price underselling from China PR and Indonesia are negative.

H.3.4 Impact on economic parameters of the domestic industry

91. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, production, capacity utilization and sales.

92. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
						9M	Ann
1	Capacity	MT	5,05,725	5,45,605	5,84,820	4,44,745	5,92,993
	Trend	Indexed	100	108	116	117	117
2	Production - Plant	MT	4,99,250	5,41,151	5,67,008	4,05,178	5,40,237
	Trend	Indexed	100	108	114	108	108
3	Production - PUC	MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	122	132	131	131
4	Capacity Utilisation	%	99%	99%	97%	91%	91%
	Trend	Indexed	100	100	98	92	92
5	Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	132	152	146	146
6	Deemed export sales	MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	103	57	64	64
7	Gross Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	127	135	132	132

93. It is seen that: -

- The domestic industry has expanded its capacity continuously over the injury period.
- The domestic industry was operating at almost full capacity utilisation till 2019-20. The capacity utilisation of the domestic industry reduced during the POI due to Covid-19 disruption.
- Production and sales of domestic industry increased till 2019-20 but declined sharply in the period of investigation due to Covid-19 disruption.

b. Market share of the domestic industry in demand

94. The effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Subject countries	% Trend	100	127	116	108
2	Other countries	% Trend	100	78	521	334
3	Domestic industry	% Trend	100	99	98	99

95. It is seen that the market share of the domestic industry has constantly been more than ***% throughout the injury investigation period. The market share of domestic industry has increased during the POI despite Covid-19 disruption.

c. Inventory

96. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given below: -

SN	Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
2	Closing inventory	MT	***	***	***	***
3	Average inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	70	162	222

97. It is seen that the average inventory of the domestic industry declined in 2018-19 but increased in 2019-20 and further increased in the period of investigation.

d. Profit or loss, cash profits and return on investment.

98. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
						9M	Ann
1	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	104	98	89	89
2	Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	103	87	78	78
3	Profit / Loss	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	36	27	27
4	Profit / Loss	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	122	48	36	36
5	Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	122	61	50	50
6	PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	121	55	41	41
7	Return on capital employed	%	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	101	48	37	37

99. It is seen that the domestic industry was earning healthy profits in 2017-18 and 2018-19. Even though the profits of the domestic industry have declined in the period of investigation, the profits are still reasonable.

e. Employment, wages and productivity

100. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was examined.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	
						9M	Ann
1	No of employees	Nos	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	98	94	92	92

2	Salary & wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	118	122	119	119
3	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	108	114	108	108
4	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	110	121	118	118

101. It is seen that employment levels of domestic industry have declined over the injury period and wages paid have increased over the injury period except in the period of investigation. The productivity per employee and per day increased till 2019-20 but declined in POI due to decline in production.

f. Growth

102. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below.

SN	Particulars	2018-19	2019-20	POI
1	Production	22.11%	7.97%	-0.47%
2	Domestic Sales	27.10%	6.51%	-2.72%
3	Profit/(Loss) per unit	-4.28%	-62.65%	-23.28%
4	Inventory	-29.62%	130.26%	37.24%
5	Market Share	-1.32%	-1.00%	1.11%
6	Profit/(Loss)	21.65%	-60.22%	-25.37%
7	Cash Profit	21.61%	-50.23%	-17.62%
8	PBIT	20.57%	-54.28%	-25.96%
9	ROI %	1.41%	-52.93%	-21.71%

103. It is seen that volume parameters of the domestic industry show a positive growth till 2019-20 but have shown a negative growth thereafter in the period of investigation. The price parameters show positive growth in 2018-19 and negative growth in 2019-20 and the period of investigation.

g. Magnitude of dumping

104. It can be seen that the dumping margin is not only more than *de-minimis* but also substantial.

h. Ability to raise fresh capital

105. It has been contended by the domestic industry that considering the existing profits earned by them, their ability to raise capital has been impacted. However, Authority notes that the domestic industry has admitted having planned to undertake further capacity expansion for which it will be investing around Rs *** crore on its integrated plant and therefore its ability to raise fresh capital has not been impacted.

Conclusion on Injury

106. Considering various parameters relating to material injury, the Authority notes that the volume of dumped imports from the subject countries have declined in the period of investigation. The imports from subject countries are not undercutting the prices of the domestic industry and price underselling is also negative. The domestic industry has seen a decline in the production and sales during POI. However, the decline in

production and sales can be attributed to the fall in demand due to Covid-19 pandemic. The profitability of the domestic industry has declined during the POI. However, profit earned by the domestic industry during POI are still reasonable. The landed price of imports during the POI is significantly higher than the cost of sales, selling price and NIP of the domestic industry. Therefore, the imports cannot be said to be causing any price effect on the domestic industry.

I. CAUSAL LINK

107. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third country

108. Besides the subject countries, imports above de-minimis limits are from Thailand. It is seen that the landed price of imports from Thailand is above the selling price and the non-injurious price of the domestic industry.

b. Contraction in Demand and / or Change in pattern of Consumption

109. The demand of the subject goods has declined in the period of investigation. As already examined above, the decline in demand was due to Covid-19. The pattern of consumption with regard to product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the injury to the domestic industry.

c. Development of technology

110. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change.

d. Trade restrictive practices

111. The Authority notes that there is no trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry.

e. Export performance

112. It is seen that the exports of the domestic industry have increased in the period of investigation. In any case, Authority has considered data for the domestic operations only.

f. Performance of other products

113. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

114. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

115. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below. Further, on the submission of the domestic industry and the other interested parties, the Authority has calculated injury margin on quarterly basis. The Authority

has not considered the quarter of April 2020 to June 2020 in injury margin calculations because there was a nationwide lockdown in India during this quarter.

Quarter-wise Injury Margin:

Sateri (Fujian) Fibre Co. Limited.					
Quarter	Qty- KG	CIF Price (US\$)	Landed Value US\$ Per MT	NIP US\$ per MT	Injury Margin US\$ per MT
Oct- Dec 2019	***	***	***	***	***
Jan- March 2020	***	***	***	***	***
July- Sep 2020	***	***	***	***	***
Wt. Avg	***	***	***	***	***
PT Asia Pacific Rayon					
Quarter	Qty- KG	CIF Price (US\$)	Landed Value US\$ Per MT	NIP US\$ per MT	Injury Margin US\$ per MT
Jan- March 2020	***	***	***	***	***
July- Sep 2020	***	***	***	***	***
Wt. Avg	***	***	***	***	***

PT. South Pacific Viscose (SPV)					
Quarter	Qty- KG	CIF Price (US\$)	Landed Value US\$ Per MT	NIP US\$ per MT	Injury Margin US\$ per MT
Oct- Dec 2019	***	***	***	***	***
Jan- March 2020	***	***	***	***	***
July- Sep 2020	***	***	***	***	***
Wt. Avg	***	***	***	***	***

Injury Margin Table

SN	Particulars	Non- Injurious Price	Landed Value	Injury Margin	Injury Margin	Range
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	%
1	China PR					
a	Sateri (Fujian) Fibre Co. Limited	***	***	***	***	Negative

SN	Particulars	Non- Injurious Price	Landed Value	Injury Margin	Injury Margin	Range
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	%
b	Any other producer	***	***	***	***	5-15%
2	Indonesia					
a	PT Asia Pacific Rayon	***	***	***	***	Negative
b	PT. South Pacific Viscose (SPV)	***	***	***	***	Negative
c	Any other producer	***	***	***	***	10-20%

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

K.1 Submissions made by domestic industry

116. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of investigation:

- a. Dumping has continued in the period of investigation from both the subject countries. Further, dumped imports have continued to enter domestic market at prices below the non-injurious prices.
- b. Positive dumping margin and injury margin itself establishes that cessation of duties will lead to dumping and consequent injury to the domestic industry.
- c. 92% of exports from China PR and 94% of exports from Indonesia to rest of the world are at dumped prices. Cumulatively, the associated volume accounts for 170 % of Indian demand.
- d. 68% of exports from China PR and 88% of exports from Indonesia to rest of the world are at prices below the Indian prices. Cumulatively, the associated volume account for 143% of Indian demand.
- e. Current surplus capacities of all types of Viscose Staple Fibres are 39% of capacity in China and 64% in case of Indonesia.
- f. Producers in the subject countries are operating with idle capacities. India being a destination of high demand for VSF, cessation of anti-dumping duty will encourage the producers to ship their goods in the Indian market. Current idle capacities are 36% in case of China and 64% in case of Indonesia.
- g. Capacity in Indonesia will increase further in 2021-23 as PT Asia Pacific Rayon is likely to implement Phase II of expansion with two more lines with a capacity of 263K tonnes per year. M/s Sateri Fibre Co. Limited in China is further expanding its capacity by 1 million tons.
- h. Producers in Indonesia are required to fulfil export obligations. As per the regulations, producers can sell maximum 50% of their production in the domestic market.
- i. Export as a percentage of production is 10% in case of China PR and 50% in case of Indonesia.
- j. In sunset review investigation, volume of actual imports is not important. The possibility of diverting the third country exports to India and existing surplus capacities is required to be examined.
- k. The post period of investigation period is also impacted by Covid-19.
- l. Domestic industry has provided the capacity data which is for the countries as whole, and it is implied that the capacities of all entities are included in the total capacities for the country.
- m. Exports to India have increased at a higher rate as compared to the sales in the domestic market. Further, while both the domestic price and the export price have declined, the decline in the export price to India is at a higher rate. This shows that despite duty in place, India continues to be an important market for the producer.

- n. In case of Asia Fibre Trading Pte Ltd., export sales into India increased from 100 to 581 points from 2019 to period of investigation while that to other countries increased from 100 to 135. However, sales value to India has reduced from 100 to 80 from 2019 to POI.
- o. The trend of the data provided by Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd shows that it has suffered losses in the period of investigation in the exports to India and exports to India have increased sharply over the injury period. This shows that despite duty in place, India was an important market for the producer.
- p. In case of P.T. South Pacific Viscose, trend shows that export sales to India have increased over the injury period but declined in the domestic market and exports to India are at losses. This is despite the fact that the trend of price to India shows a sharp increase and that of cost of sales shows decline. Despite the increase in cost per unit, the producer has further reduced its prices in the period of investigation.
- q. In case of P.T. South Pacific Viscose, trend of cost of sales in the domestic market and export market are similar till the year 2020 but have changed drastically in the period of investigation.

K.2 Submissions made by other interested parties

117. The following submissions have been made by other interested parties during the course of investigation: -

- a. There is no information on record to indicate that the revocation of duty would lead to a situation in which dumping causing injury is clearly foreseen and imminent.
- b. Domestic industry has relied upon some non-verified and unsubstantiated numbers pertaining to the excess capacities in the subject countries.
- c. Mere presence of freely disposable capacities in the subject countries is not sufficient and domestic industry is required to establish that the said freely disposable capacity shall be diverted into India.
- d. There is no submission on inventories of the product under consideration.
- e. Domestic industry has relied on extraneous factors, unfounded in law, to claim likelihood of dumping and injury.
- f. As per quarterly reports and presentation, Grasim has performed exceedingly well in the post period of investigation.
- g. Price undercutting and price underselling if determined based on only low-priced imports cannot become the basis for positive determination of material injury or positive determination of injury margin.
- h. Exports by Sateri (Fujian) Fibre Company Limited are too insignificant to pose any challenge to the domestic industry.
- i. There is no likelihood of diversion of exports to India, which can be verified from the data regarding sales.
- j. Method adopted for determination of surplus capacity by the domestic industry is incorrect.
- k. Applicant has not provided any evidence of export orientation of producers/exporters in the subject countries.
- l. Applicant has not justified as to why Indian market would be chosen as a destination for exports after withdrawal of the duty.
- m. Hawkin's right and Red Book provided by the applicant is unreliable. Domestic industry must have included the data of their related producers in subject countries to show excess capacity.
- n. Evidence for recurrence of dumping has not been submitted by the applicant.
- o. Further explanation is required from the applicant on its claim that aggregate volume of dumped exports to third countries account for 170% of the Indian demand.
- p. Regarding the regulations on Bondage Area, it has been submitted that the petitioners did not refer to the main regulation of the bondage area which is the Ministry of Finance Regulation No. 131/2018.

- q. 50% export obligation which has been in place way before 2018, is not counted based solely on the production but on the number of export value-added by trade value to the domestic market and other economic zones. The exporters can also propose exceptional addition to 50% export obligation in terms of next year substitution.
- r. New investments made for capacity expansions in the subject countries, when duties were already in place, are not intended for India. They have been planned, targeting domestic market and markets of Turkey, Pakistan and Bangladesh.
- s. On submission of the domestic industry on capacity expansions in China, it is submitted that Sateri (Fujian) Fibre Company Ltd. has no plans for expansion but is only acquiring existing VSF capacity in China PR.

K.3 Examination by the Authority

118. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from China PR and Indonesia. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
119. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia, factors which are relevant for threat of injury and the same factors may be used for likelihood analysis in a sunset review as well:
- a) A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - d) Inventories of the article being investigated.
120. Further, the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
121. All the opposing interested parties have raised concerns regarding the authenticity of the Hawkins Right Reports provided by the applicant for the purpose of likelihood analysis. Authority notes that there are only three producers of subject goods in Indonesia namely (i) PT Asia Pacific Rayon (ii) PT South Pacific Viscose & (iii) PT Indo Bharat Rayon. All these three companies have participated and have provided relevant information in the subject investigation. Even in case of China PR, Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd. has participated in the investigation and has also provided details regarding the capacities and production of its related parties involved in the production of subject goods namely, Sateri (China) Fibre Co., Ltd., Sateri (Jiangsu) Fibre Co., Ltd., Sateri (Jiujiang) Fibre Co., Ltd., and Sateri (JiangXi) Chemical Fibre Co., Ltd. Therefore, the Authority has deemed it appropriate to consider the data provided by participating producers/exporters from subject countries except related companies of the domestic industry for the likelihood analysis.

K.3.1 Imports of subject goods from subject countries

122. The import details in the subject investigation are as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Subject Countries	MT	15,429	25,290	24,799	19,651
China PR	MT	1,223	2,337	4,340	2,516
Indonesia	MT	14,206	22,953	20,459	17,134
Market share of subject countries in demand	%	100	127	116	108

Market share of domestic industry in demand	%	100	99	98	99
---	---	-----	----	----	----

123. The Authority notes that the volume of dumped imports of product under consideration from subject countries have declined in the period of investigation. The domestic industry enjoys a dominant position in the Indian market and the market share of imports from subject countries is very low.

K.3.2 Surplus capacities

124. Information with respect to surplus capacities in case of responding producers/exporters from subject countries is given below: -

Particulars	Capacity (MT)	Production (MT)	Capacity Utilisation (MT)	Surplus Capacity	Surplus Capacity (range)
Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd	***	***	***	***	NIL
PT Asia Pacific Rayon	***	***	***	***	0-10
PT. South Pacific Viscose	***	***	***	***	40-50

125. With regard to the capacity of participating producers/exporters, Authority notes as follows:

- Small surplus capacity is available with PT Asia Pacific Rayon. However, APR is a new producer who has commenced production in 2019 and therefore it cannot be expected to achieve 100% capacity utilisation immediately. As per questionnaire response filed by APR, they plan to increase their capacity but this capacity expansion will happen only in quarter 4 of 2024.
- Surplus capacity is available with PT South Pacific Viscose. However, the company has submitted that it has regularly been operating at ***% capacity utilisation. Its capacity utilisation was low during POI due to Covid-19 disruptions.
- There is no surplus capacity available with Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd. There are other related companies of Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd. who are engaged in production of subject goods in China PR but have not exported to India during POI. The surplus capacities available with such related companies, as indicated in their submission, are shown in the table below:

Particulars	Capacity (MT)	Production (MT)	Capacity Utilisation (MT)	Surplus Capacity	Surplus Capacity (range)
Sateri (China) Fibre Co., Ltd.	***	***	***	***	30-40
Sateri (Jiangsu) Fibre Co., Ltd	***	***	***	***	NIL
Sateri (Jiujiang) Fibre Co., Ltd	***	***	***	***	0-10
Sateri (JiangXi) Chemical Fibre Co., Ltd	***	***	***	***	NIL

126. It can be seen that Sateri (China) Fibre Co., Ltd. has surplus capacities available with it during the POI. However, it was submitted in the post disclosure comments along with detailed data that Sateri (China) Fibre Co. Ltd. had a capacity utilisation of ***% in the post-POI period. Its capacity during POI was low because first line of production started during December 2019 and second line of production began in April 2020. Its production has stabilised in post-POI and there is no surplus capacity. Therefore, the Authority notes that there is no surplus capacity with Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd., Sateri (China) Fibre Co., Ltd., Sateri (Jiangsu) Fibre Co., Ltd., Sateri (Jiujiang) Fibre Co., Ltd., and Sateri (JiangXi) Chemical Fibre Co., Ltd.

K.3.5 Third country dumping

127. Information with respect to third country dumping in case of responding producers/exporters from subject countries is given below: -

Particulars	Total Exports to third countries (MT)	Exports to third countries at dumped prices (MT)	% of Exports to third countries at dumped prices	% of Exports to third countries at dumped prices (range)
Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd	***	***	***	90-100
PT Asia Pacific Rayon	***	***	***	80-90
PT. South Pacific Viscose (SPV)	***	***	***	90-100

128. It can be seen that 90-100% of the exports to third countries by the participating producer/exporter from China PR are at dumped prices. In case of Indonesia, 80-90% of exports to third countries by APR are at dumped prices and 90-100% of exports to third countries by SPV are at dumped prices.

K.3.6 Third country injurious exports

129. Information with respect to third country injurious exports in case of responding producers/exporters from subject countries is given below:

Particulars	Total Exports to third countries (MT)	Exports to third countries at prices below NIP (MT)	% of Exports to third countries at prices below NIP	% of Exports to third countries at prices below NIP (range)
Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd	***	***	***	50-60
PT Asia Pacific Rayon	***	***	***	80-90
PT. South Pacific Viscose	***	***	***	80-90

130. It can be seen that 50-60% of the exports to third countries by the participating producer/exporter from China PR are at prices below the NIP. In case of Indonesia, 80-90% of exports to third countries by APR and SPV are at prices below the NIP.

K.3.7 Price attractiveness

131. Information with respect to price attractiveness in case of responding producers is given below:

Particulars	Total Exports to third countries (MT)	Exports to third countries at prices below export price to India	% of Exports to third countries at prices below export price to India	% of Exports to third countries at prices below export price to India (range)
Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd	***	***	***	55-65%
PT Asia Pacific Rayon	***	***	***	65-75%
PT. South Pacific Viscose	***	***	***	85-95%

132. It can be seen that 55-65% of the exports to third countries by the participating producer/exporter from China PR are at prices below the exports price to India. In case of Indonesia, 65-75% of exports to third countries by APR are at prices below the export price to India and 85-95% of exports to third countries by SPV are at price below the export price to India.

K.3.8 Imports below NIP and NSR

133. The Authority has examined the volume of imports which are below the NIP and NSR of the domestic industry and is shown below. It is seen that there are significant imports below the NIP and NSR of the domestic industry.

SN	Particulars	UOM	China PR	Indonesia
1	Total imports (excluding imports for April-June 2020 quarter)	MT	2,112	14,526
2	Imports below NIP	MT	1,308	3,539
3	Imports below NSR	MT	1,331	4,967
4	% of injurious imports	%	62%	24%
5	% of imports below NSR	%	63%	34%

Conclusion on Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

134. It is noted that there is a likelihood of continuation of dumping from subject countries. However, the likelihood of recurrence of injury is not strong enough to warrant continuation of duties beyond 11 years. The information on record shows that there are insignificant surplus capacities with the responding producers/exporters in subject countries. Imports from subject countries have reduced during the POI. Imports from subject countries are not undercutting the prices of domestic industry. The landed price of imports during the POI is significantly higher than the cost of sales, selling price and NIP of the domestic industry. Therefore, the imports cannot be said to be causing any price effect on the domestic industry.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

135. The Authority issued a disclosure statement disclosing essential facts of the case and inviting comments from all the interested parties. The post-disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised in the post disclosure comments have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions to the extent deemed relevant have been examined as under:

L.1 Submissions made by domestic industry

136. The following submissions have been made by the domestic industry on the disclosure statement:

- a. Production and exports of exclusions can be examined. The domestic industry has been exporting excluded product types and reason for exclusion was not domestic industry's intent of importing the excluded types.
- b. Related parties of domestic industry do not produce all the excluded types. This defeats the argument of other interested parties that exclusion will ensure that related parties of the domestic industry will be able to export excluded products to India.
- c. Benefit of exclusion would accrue to all the foreign producers including domestic industry's related parties.
- d. Domestic industry has not been disclosed complete working of NIP including Format B, D, expenses allowed/disallowed, net fixed assets considered, and capital employed details and quarterly calculation of the NIP.
- e. Performance of the domestic industry after removing the impact of lockdown has also shown deterioration. Imports have increased in absolute and relative terms, selling price of domestic industry has declined more than decline in cost of sales and profits and ROI have declined.
- f. Authority has found no other factors, which could have caused injury to the domestic industry.
- g. Post POI period is also distorted. Post POI period would have been relevant if the period would have been free from distortion. Post POI period is also affected due to COVID-19 pandemic.
- h. Authority in various sunset review investigations such as Flat Base Steel Wheels, Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel, Methyl Acetoacetate, Phthalic Anhydride etc. recommended extension of duties without examining the post POI period data.
- i. Authority is requested to kindly consider extension of same quantum of duty considering the likelihood of continuation of dumping and injury.
- j. Domestic industry is the sole producer and if duty is not continued, it could lead to adverse impact on the domestic industry.
- k. If the domestic industry is shut down, then users will be completely dependent of imports and no consumer industry would want to depend only on imports. Producers in the downstream industry have also supported the extension of duties.
- l. Consumers are already enjoying nil duty on imports of subject goods from Indonesia under the India ASEAN FTA. Domestic industry will be left with no protection if the duties are not extended to compete with duty-free imports from Indonesia.
- m. Domestic industry has contributed to the economy as a whole with investments, growth of the industry, employment generation, public health, safety and security.

L.2 Submissions made by other interested parties

137. The following submissions have been made by the other interested parties on the disclosure statement:

- a. Authority has established in disclosure that Indonesia imports of the VSF did not have a price effect on the domestic selling price and as such, no price undercutting, price suppression, and price depression could be possibly caused by Indonesian producers.
- b. Authority's examination that 80%-100% of Indonesian VSF exports to third countries are at a dumped price is unsubstantiated. All Indonesian exporters are operating with profit orientation and at fair price.
- c. There is no relevance between estimation of capacity given in Hawkins Right and Redbook data and diversion of third country export from Indonesia to Indian market.
- d. Over the decade, user industry experienced mushroom growth of new players. The users have transformed their own businesses to produce more value-added products through innovation in business operations. They will exist in their sectors even after refusal of the Central Govt. to put ADD on VSY, but domestic industry has not shown any such broad mindedness.

- e. Domestic industry's management has made contradictory claims. It has mentioned to its investors that it is running short of regular VSF capacity to meet domestic demand whereas in the current application it claims to have sufficient capacity to meet the entire Indian demand.
- f. Authority has failed to understand that it is not the exclusion from PUC which is a matter of concern but the matter of concern is collusion of related parties of domestic industry in both the subject countries and in the Republic of Thailand. Domestic industry planned exclusion so that its related parties could export to India, without ADD.
- g. Interested parties had requested the Authority to analyze the exports from the related parties of the domestic industry with the government agencies data like DGCIS. However, the Authority chose not to pay heed to the request and move ahead with concluding the uncorroborated claim of the domestic industry.
- h. Though Rule 2(b) provides discretion to the Authority, however Authority should examine it on the basis of facts since livelihood of many small-scale industries are at stake, which are already at a dismal condition because of the dominance of the applicant.
- i. Information required in terms of Trade Notice No.2/ 2017 dated 12.12.2017 such as surplus capacities, third country exports, export orientation etc. were not provided at the time of initiation.
- j. Authority should first segregate excess capacity data of the related entities of the domestic industry for examining excess capacity in subject countries.
- k. Imposition of duty has made spinners non-competitive.
- l. While the Authority has concluded that the capacity of the domestic industry is more than the demand, it has not given due consideration to the submission of interested parties.
- m. Domestic industry in its own admission at various places in its Annual Reports has accepted that its growth in subject goods is tremendous and unparallel.
- n. Authority should clarify the scope of the products excluded from PUC as definitions submitted by domestic industry are not industry-standard definitions.
- o. Domestic industry's definition of Modal Fibre does not conform to mathematical formula given in definition of Modal Fibre given by Bureau International pour la Standardisation des Fibres Artificielles (BISFA). Domestic industry has specified a minimum conditioned tenacity of 3.70 gpd whereas in reality it varies based on linear density of the fibre. Conditioned tenacity criterion given by domestic industry is technically incorrect and does not conform to BISFA norms.
- p. Domestic industry's definition of Nonwoven Fibre is ambiguous and not distinctive. It is not clear if the distinction sought is based on the end use application or production process for fibre. Further, 1.50 denier is restrictive as many applications require different linear density.
- q. Domestic industry's definition of Flame Retardant Fibre is narrow and limited to one type of non-woven fibre that is produced by the domestic industry. There are viscose flame-retardant fibres that are used in spinning applications and have different specifications ranging from linear density of 1.5 denier to 8.0 denier.
- r. Domestic industry's definition of Eco Fibre is based on using wood sourced from sustainably managed FSC certified non-ancient and endangered forests with low GHG emission, EUBAT compliance and full traceability from forest to fibre. Such a definition can wrongly imply that the wood sourced should be from endangered forests.
- s. Definition of Eco Fibre is: "Eco fibre is a more sustainable viscose made by using wood from sustainably managed forest or plantations and certified by internationally credible forest certifications (FSC/PEFC) with relatively lower GHG impact. The wood source cannot be from ancient and endangered forests, should have full traceability from forest to fibre production, and produced at a production facility which is EUBAT compliant".

- t. Domestic industry's definition of Spun Dyed Fibre mentions linear density of only 1.50 denier. There should be no such restriction on linear density.
- u. Lyocell Fibre was not covered in the previous investigation and sunset review. Manufacturing process and plant for Lyocell Fibre is completely different from VSF unlike above other product exclusions for which production process and plant are similar. It is misleading to state Lyocell Fibre as a new exclusion from PUC.
- v. AFT is an extended arm of APR and no deductions are required to be made for profit and SGA expenses for determining ex-factory export price. Dumping margin for APR should be revised accordingly.
- w. APR is a new producer of PUC. It did not make any exports of PUC during the original investigation or during the first sunset review. The Authority has for the first time in the present sunset review assessed behaviour of APR and determined that exports made by APR to India are at non-injurious price. Hence, no anti-dumping duty should be continued on exports made by APR even if anti-dumping duty is continued on exports of PUC made from Indonesia.
- x. There is no excess capacity with SFJ or related companies of SFJ. Capacity utilization of Sateri (China) Fibre Co. Ltd. was low in POI but stabilised in post-POI period. This is because it had just started PUC production in POI and hence, achieved production were lower than the designed annual capacity in the POI, but optimum in post-POI.
- y. For likelihood assessment, Authority should not rely on exports to third countries. There is no information on record to show that exports to third countries would be diverted to India.
- z. Should the Authority opt to proceed with analysis of third country exports, it should examine the exports to third countries by APR in the post-POI period. APR's export sales had stabilized in post-POI period and reflect a more accurate export price range of its exports to third countries.
- aa. The Authority is required to decide the jurisdictional issue in the present case before making any recommendation as the existence of jurisdiction is a *sine qua non* for the exercise of power by the Authority.
- bb. The quantities of exports made by the related parties of the domestic industry cannot be said to be sample quantities since as per our understanding the same were in commercial quantities.
- cc. The Authority has not shared the import data in excel format.
- dd. The proposal of the Authority with respect to the modification of PUC is against the principles of fair play because related parties of domestic industry in subject countries have exported excluded products to India and also exclusion of these high priced grades has directly and artificially affected the dumping and injury.
- ee. Grasim indeed has behaved differently from non-related producers, by excluding the grades of PUC imported from its related parties.
- ff. The Authority has not analysed the surplus capacities, and the export prices of the related parties of the applicant industry. It is impermissible to create a differentiation between different exporters. The said approach is also incorrect because the data relating to the related exporters of the domestic industry would have established that the prices of the other exporters are in line with the prices of the related exporter of the domestic industry. This also shows that how relationship of the domestic industry with their related parties has impacted the investigation.
- gg. There is no injury to the domestic industry. Moreover, injury margin from the Indonesian exporters is negative despite excluding value added products from the scope of the product under consideration.
- hh. Since there is no stay on the CCI judgement, it shows that there are uncontroverted findings of the competent authority that Grasim had indeed manipulated the Indian market and had been involved in anti-competitive practices. It would be travesty of justice if the Authority ignores the findings of the CCI wherein it has been categorically established that Grasim has manipulated and distorted the market. It would be unfortunate if the Authority decides to recommend continuation of anti-dumping duties and allow the sole domestic producer to perpetuate its practices which have been proved to be distortionary

and anti-competitive. Any positive recommendation would not only be illegal but also against the interests of the user industry.

L.3 Examination by the Authority

138. It is seen that most of the submissions made by the interested parties on the disclosure statement are mere reiteration of their earlier submissions. The Authority has already examined the submissions made by other interested parties at the time of issuance of the disclosure statement. The views expressed by the interested parties which are mere repetition of the submissions made before are not being reproduced again. Submissions made by interested parties on the disclosure statement that are not already examined by the Authority have been addressed herein.

139. With regard to the submission concerning exclusion of certain product types from the scope of the PUC at the time of initiation itself, the Authority notes that Article 11 of Anti-dumping Agreement states that an anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping, which is causing injury. This implies that it is within the powers of the Authority to restrict the scope of PUC at the time of initiation itself if the domestic industry has categorically made a request that it no longer requires extension of anti-dumping duty on certain product types. It is noted that Article 11.1 of the Anti-Dumping Agreement which sets the applicable requirement for a Review Investigation reads as under:

“An anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury.”

Similarly, Rule 23 (1) of the Anti-Dumping Rules, 1995 is an umbrella provision for review investigations which puts forth an obligation on the Authority that an anti-dumping duty imposed under Section 9A of the Act, shall remain in force only for the time period and to the extent it is necessary to counteract dumping which is causing injury.

Ordinary meaning of the word extent is “point, degree, or limit” and the meaning of the term necessary is “needed to be done, achieved, or present; essential.”

Thereby Rule 23(1) provides for a limitation on the Authority while carrying out a Sunset Review Investigation under Rule 23(1B) that an extension of the duty/imposition of duty is an exceptional circumstance and this extension can only be done to the extent necessary to counteract dumping causing injury.

In consonance with the above Rules and as per the request made by applicant to exclude Modal Fibre, Non-Woven Fibre, Flame Retardant Fibre, Eco Fibre, Spun Dyed Fibre, Tencel Fibre (or Lyocel) and Outlast Viscose Fibre, the Authority has considered the request particularly when the applicant itself is not interested in extension of duty on the above product types which were earlier within the scope of the product under consideration. Therefore, by applying Article 11.1 which sets a guiding principle for review investigations and Rule 23(1), which is verbatim Article 11.1 for the Indian Review Investigations, the Authority has restricted the product scope applying the principle “to the extent necessary” as envisaged under Rule 23(1) at the stage of initiation itself preventing the futile exercise by the Authority. Had the Authority initiated the review investigation on the above said products despite the request of the domestic industry, it would have been a waste of resource and time.

140. With regard to the submission concerning intention of the domestic industry to exclude products so that its related parties could export to India without ADD, the Authority notes that no interested party has provided any evidence to demonstrate this fact. It is noted that the related parties of the domestic industry are not even engaged in production of all types of excluded products whereas the domestic industry itself is engaged in production of all the excluded products. Hence, it defies logic that demand in India for these excluded products would be met by related parties of domestic industry in subject countries and not by the domestic industry itself.

141. With regard to the submission concerning exports made by related parties of the domestic industry for the excluded products, the Authority notes as follows:

- a. The related party of the domestic industry in China PR has not exported the excluded products to India during the injury investigation period including the POI.

- b. The related party of the domestic industry in Indonesia has not exported the excluded products to India during 2017-18 and 2018-19. It has exported a small quantity of ***MT of excluded products to India during the POI. The quantity of excluded products exported to India is *** % of the domestic industry's production during the POI. Such miniscule exports of excluded products by the related party of the domestic industry would not have any effect either on the standing of the domestic industry or on the injury and likelihood analysis.
142. With regard to the submission made by the domestic industry on computation of non-injurious price and disclosure thereof, Authority notes that non-injurious price has been determined in accordance with Annexure III of the Rules and the consistent practice of the Authority and the same has been disclosed to the domestic industry.
143. With regard to examination of the post POI period, Authority notes that it is not compulsorily required to examine post POI period in every sunset review investigation. In fact, Authority has not examined post POI period in a number of sunset review investigations. In the present case, the information for the injury investigation period including the POI is sufficient enough to show that there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, if the duties are allowed to expire. The Authority also notes that even the post POI period has been affected due to disruption caused by Covid-19 pandemic and therefore this period would also not have been representative.
144. With regard to the submission concerning Hawkins Right and Red Book report being unreliable, the Authority notes that it has not relied on the data provided in Hawkins Right and Red Book report for the purpose of likelihood analysis. In fact, the Authority has conducted an analysis based on the verified data provided by the participating producers/exporters from subject countries for examining likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury in the event of revocation of duty.
145. With regard to the submission concerning exclusion of capacity data of the related entities of the domestic industry for examining excess capacity, Authority notes that it has not examined the excess capacity of the related parties of the domestic industry in its likelihood analysis and has focused on the excess capacity of other producers/exporters from subject countries.
146. With regard to the submission that the domestic industry did not provide any data in terms of Trade Notice No. 02/2017 dated 12.12.2017 regarding surplus capacities in subject countries, third country exports, export orientation etc. at the stage of initiation, Authority notes that the domestic industry had provided all the necessary information for the purpose of initiation of investigation.
147. With regard to the submission made by interested parties that Authority has no jurisdiction to conduct investigation because the notification continuing the anti-dumping duty for 5 years is illegal, Authority notes that Customs Notification No. 43/2016 dated 8th August 2016 extending anti-dumping on subject goods for 5 years pursuant to the first sunset review and Customs Notification No. 39/2021 dated 30 June 2021 extending the anti-dumping duty on subject goods till 31st October 2021 have not been declared illegal by any Court or Tribunal in India. Therefore, the Authority is well within its rights to conduct the present sunset review investigation and examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
148. With regard to the submission that technical product description of excluded product types needs to be provided, Authority notes that only producers/exporters from subject countries have requested for clarifying the scope of excluded product types. Participating importers/users have not requested for defining the scope of excluded product types and/or have not provided any proposed definition of excluded product types. Thus, Authority notes that product types excluded from the scope of PUC are well known to importers/users and there is no further requirement to clarify the scope of excluded product types.
149. With regard to the submission made by APR that no deductions are required to be made for profit and SGA expenses of related trader of APR for determining ex-factory export price, Authority notes that it has determined the dumping margin for the co-operating parties as per the Anti-Dumping Rules and also in accordance with its consistent practice.

150. With regard to the submission that the Authority has not shared import data in the excel format, it is noted that as per the present practice of the Authority, transaction wise import data in hard copy is made available to interested parties in accordance with Trade Notice No. 07/2018 dated 15th March 2018.
151. With regard to the submission that there is no surplus capacity with participating producers/exporters in subject countries, the Authority notes that it has duly considered the submissions made by participating producers/exporters in their post disclosure comments.
152. With regard to the submission that there is no excess capacity with SFJ or related companies of SFJ in the post POI period, Authority has notes that it has duly considered the submissions made by participating producers/exporters in their post disclosure comments.
153. With regard to the submission that Grasim is involved in anti-competitive practices as established by the CCI decision, Authority notes that CCI decision has been challenged by the domestic industry before Appellate Court and the matter is sub-judice and has not yet attained any finality. Moreover, if there are any contraventions of the provisions of Competition Act, it is for the concerned authority to take appropriate action thereon. Any decision in that matter would not prejudice objective examination of the need for continuation of duty, which is based on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of revocation of existing anti-dumping duty. The Authority also notes that the period examined by CCI for determining anti-competitive behaviour of Grasim Industries Limited was up to financial year 2016-17. The injury period being examined the Authority in the present sunset review investigation is 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 1st October 2019 to 30 September 2020.

M. CONCLUSION

154. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the determination of dumping and consequent injury to the domestic industry made hereinabove, the Authority concludes that:
- Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from each of the subject countries have been determined, and the margins are significant. There is a likelihood of continuation of dumping from subject countries.
 - Considering various parameters relating to material injury, the Authority notes that the volume of dumped imports from the subject countries have declined in the POI as compared to the previous two financial years. The domestic industry has seen a decline in the production and sales during POI. However, the decline in production and sales can be attributed to the fall in demand due to Covid-19 pandemic. The imports from subject countries are not undercutting the prices of the domestic industry and price underselling is also negative. The profitability of the domestic industry has declined during the POI. However, profit earned by the domestic industry during POI are still reasonable. The landed price of imports during the POI is significantly higher than the cost of sales, selling price and NIP of the domestic industry. The domestic industry enjoys a dominant position in the Indian market and the market share of imports from subject countries is very low Therefore, the imports cannot be said to be causing any price and volume effect on the domestic industry.
 - From the information available on record, it is noted that there is a likelihood of continuation of dumping from subject countries. However, the likelihood of recurrence of injury to the domestic industry is not strong enough to warrant continuation of duties beyond 11 years. There are insignificant surplus capacities with the responding producers/exporters in subject countries, which can be used to increase their exports to India in event of revocation of duty.
 - Therefore, based on objective examination of information on record, it is concluded that there is no justification for recommending continuation of anti-dumping duty in the present case.

N. RECOMMENDATION

155. In view of above, the Authority considers it appropriate to recommend withdrawal of antidumping duty on import of subject goods from the subject countries recommended vide Notification No. 15/09/2015-DGAD dated 8th July 2016 and enforced vide Customs Notification No. 43/2016-Customs (ADD) dated 8th August

2016 which was further extended vide Customs notification No 39/2021-Customs (ADD) dated 30th June 2021 till 31st October 2021.

O. FUTRHER PROCEDURE

156. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority